सोमवार
23 अप्रैल 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ३, १९५६

(१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६)

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ४१ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खण्ड ३, अंक ४१ से अंक ६०—१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६]

अंक ४१—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०४, १५०५, १५०७ से १५१५, १५१८, १५१९, १५२१, १५२३, १५२४, १५२८, १५३० और १५३२ से १५३८ ... १५०८–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०६, १५१६, १५१७, १५२०, १५२२, १५२५ से १५२७, १५२९ और १५३९ से १५४३ ... १५३०–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७० से ११२६ ... १५३४–५३

दैनिक संक्षेपिका ... १५५४–५६

अंक ४२—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४४ से १५४६, १५४८ से १५५१, १५५३, १५५६, १५५७, १५५९ से १५६३, १५६५, १५६६, १५६९, १५७१ से १५७४ और १५७७ ... ... १५५७–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४७, १५५२, १५५४, १५५५, १५५८, १५६४, १५६७, १५६८, १५७०, १५७५, १५७६ और १५७८ से १५८१ ... १५७६–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ से ११६८ और ११७० से ११९८ १५८०–१६०५

दनिक संक्षेपिका ... १६०६–०९

अंक ४३—शुक्रवार, २० अप्रेल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८२ से १५८४, १५८६, १५८९, १५९३, १५९५ से १५९७, १६००, १६०१, १६०३ से १६०७, १६०९, १६१०, और १६१२ से १६१५ ... १६१०–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८५, १५८७, १५८८, १५९१, १५९२, १५९४, १५९८, १५९९, १६०२, १६०८ और १६१६ ... ... १६३२–३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२५० और १२५२ से १२६४ ... १६३५–५९

दैनिक संक्षेपिका ... १६६०–६२

अंक ४४--शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६१७ से १६१९, १६२१, १६२३, १६२४, १६२७ से १६३०, १६३२ से १६३९, १६४१, १६४२, १६४४, १६४५, १६२६ और १६३१ ... ... १६६३–८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९५, १४१५, १६२०, १६२२, १६२५ और १६४० १६८४–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६५ से १२९७ और १२९९ से १३०८ १६८६–१७००

दैनिक संक्षपिका ... १७०१–०३

अंक ४५--सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७०४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६४६ से १६४९, १६५२, १६५४ से १६५९, १६६२, १६६३, १६७२, १६६५ से १६६८, १६७०, १६७३, १६७५, १६७८, १६७९, १६६०, १६६४ और १६५१... ... १७०४–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६५०, १६५३, १६६१, १६६९, १६७१, १६७४, १६७६, १६७७ और १६८० ... १७२६–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०९ १३५२ और १३५४ से १३९९ ... १७२९–५१

दैनिक संक्षेपिका ... १७५२–५४

अंक ४६--मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८१ से १६८३, १६८९, १६९०, १६९५, १६९७, १७०१, १७०२, १७०४, १७०६, १७०८, १७०९, १७११, १७१३ से १७१५, १७१७, १६८७ और १६९१ ... १७५५–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४ से १६८६, १६८८, १६९२ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७००, १७०३, १७०५, १७०७, १७१०, १७१२ और १७१६ १७७४–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३७० से १४१०, १४१२ से १४१८, १४२० से १४२३ और १४२५ से १४३५ ... ... १७७९–१८०१

दैनिक संक्षेपिका ... १८०२–०४

अंक ४७—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७१८ से १७२२, १७२४, १७२७, १७३० से १७३२, १७३४, १७३६ से १७३९, १७४१, १७४३, १७२३, १७२५ और १७२६ — १८०५–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७२९, १७३३, १७३५, १७४० और १७४२ — १८२६–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १४३६ से १४६२ और १४६४ से १४९३ — १८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका — १८४७–४९

अंक ४८—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४५ से १७४८, १७५२ से १७६०, १७६३, १७६५, १७६७ से १७७०, १७७२, १७४४ और १७६६ ... १८५०–७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ... १८७०–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४९ से १७५१, १७६१, १७६२, १७६४ और १७७१ — १८७२–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९४ से १४९७ और १४९९ से १५२१ ... १८७४–८३

दैनिक संक्षेपिका ... १८८४–८५

अंक ४९—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७४, १७७६, १७७९, १७८१ से १७७९, १७९१ से १७९३, १७९५, १७९७ से १७९९, १८०१ और १८०२ — १८८६–१९०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७५, १७७७, १७७८, १७८०, १७९०, १७९६, १८०३ और १८०४ ... ... १९०७–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२३ से १५३९ और १५४१ से १५६२ ... १९०९–२३

दैनिक संक्षेपिका ... १९२४–२६

अंक ५०—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०६ से १८११, १८१३, से १८१६, १८२० से १८२४, १८२६ से १८३०, १८३२ और १८३३ ... ... १९२७–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०५, १८१२, १८१७ से १८१९, १८२५ और १८३१ — १९४७–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ और १५७७ से १६०७ ... १९४९–६२

दैनिक संक्षेपिका १९६३–६५

अंक ५१—मंगलवार, १ मई, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३४, १८३६, १८३९, १८४५, १८४७, १८४८, १८५२ से १८५५, १८५७, १८६१, १८३५, १८४३, १८४४ और १८६२ ... १९६६–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ ... १९८५–८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३८, १८४० से १८४२, १८४६, १८४९ से १८५१, १८५६ और १८५८ से १८६० ... ... १९८७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०८ से १६२६ और १६२८ से १६४१ १९९०–२००१

दैनिक संक्षेपिका ... २००२–०३

अंक ५२—बुधवार, २ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६३, १८६४, १८६६, १८७०, १८७२, १८७३, १८७६ से १८७८, १८८०, १८८२ से १८८४, १८८७, १८८९, १८९२, १८९३ और १८९५ से १८९७ ... ... २००४–२५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५ ... २०२५–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७ से १८६९, १८७१, १८७४, १८७५, १८७९, १८८१, १८८५, १८८६, १८८८, १८९० १८९१ और १८९४ २०२९–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६४२ से १६५४, १६५६ से १६८६ और १६८८ से १७१० ... ... २०३४–५९

दैनिक संक्षेपिका ... २०५६–५५

अंक ५३—गुरुवार, ३ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९९ से १९०२, १९०४ से १९०८, १९१०, १९११, १९१३ और १९१७ से १९२४ ... ... २०६०–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९८, १९०३, १९०९, १९१२, १९१४ और १९१५ २०८०–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७११ से १७५९ ... २०८२–९७

दैनिक संक्षेपिका २०९८–२१३०

अंक ५४—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५, १९२७, १९३०, १९३८, १९४०, १९४२ से १९४६, १९४८, १९४९, १९५३, १९५६, १९५८, १९६०, १९६२, १९६४, १९६६, १९२६, १९६३, १९३१ और १९३७ ... ... २१०१–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२८, १९२९, १९३२, १९३४ से १९३६, १९३९, १९४१, १९४७, १९५० से १९५२, १९५४, १९५५, १९५७, १९५९, १९६१ और १९६५ ... ... २१२१–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९७ ... २१२७–३९

दैनिक संक्षेपिका ... २१४०–४२

अंक ५५––सोमवार, ७ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९६७, १९६९, १९७१, १९७२, १९७५, १९७८, १९७९, १९८१, १९८२, १९८४, १९८६ से १९८८, १९९१ से १९९३, १९९५, १९९७, १९९८, २०००, १९६८, १९७०, १९९९, १९८३ और १९८९ २१४३–६५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ २१६६–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७७, १९९६, १९८०, १९८५, १९९०, १९९४ और २००१ से २००३ २१६८–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९८ से १८३६ और १८३८ से १८५० २१७१–८७

दैनिक संक्षेपिका २१८८–९०

अंक ५६––मंगलवार, ८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००४, २००७, २००९, २०१२ से २०१६, २०१८, २०१९, २०२१, २०२२, २०२४, २०२८, २०३० से २०३२ और २०३४ २१९१–२२११

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००५, २००६, २००८, २०१०, २०११, २०१७, २०२०, २०२३, २०२५ से २०२७ से २०२९, २०३३, २०३५ और २०३६ २२११–१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५२ से १८८५ और १८८७ से १८९३ २२१५–२९

दैनिक संक्षेपिका ... २२३०–३२

अंक ५७––बुधवार, ९ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३९, २०४०, २०४२, २०४३, २०४५ से २०५०, २०५२ और २०५६ से २०६० २२३३–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४१, २०४४, २०५१, २०५३ से २०५५ और २०६१ से २०८३ २२५४–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १८९४ से १९२४ और १९२६ से १९३८ ... २२६४–८०

दैनिक संक्षेपिका २२८१–८३

अंक ५८--गुरुवार, १० मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८४, २०८५, २०८७, २०९० से २०९२, २०९४, २०९५, २०९८ से २१०२, २१०५ से २१०७, २१०९ और २१११ से २११६ — २२८४–२३०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८६, २०८८, २०८९, २०९६, २०९७, २१०३, २१०४, २१०८, २११० और २११७ से २१२५ — २३०४–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ से १९६४ ... २३०९–१८

दैनिक संक्षेपिका — २३१९–२०

अंक ५९--शुक्रवार, ११ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१२८, २१३१, २१३३, २१३७, २१३९, २१४२ से २१४४, २१४९ से २१५१, २१५३, २१५६, २१२६, २१२९, २१४५, २१४६, २१४८, २१५४ और २१५५ — २३२१–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तरांकित प्रश्न संख्या २१२७, २१३२, २१३४ से २१३६, २१३८, २१४०, २१४१, २१४७, २१५२, २१५७ — २३४२–४५

अनारांकित प्रश्न संख्या १९६५ से १९९२ — २३४५–५४

दैनिक संक्षेपिका — २३५५–५६

अंक ६०--सोमवार, १४ मई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण — २३५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१५८ से २१६२, २१६४ से २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७६ और २१७८ से २१८१ ... २३५७–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६३, २१७१, २१७४, २१७७ और २१८३ से २१९६ — २३७८–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९३ से २०३१ ... २३८३–९६

दैनिक संक्षेपिका — २३९७–९८

M60LSD—190—20-3-58—GIPF

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

सदस्य द्वारा शपथग्रहण

श्रीमती सुशीला गणेश मावलंकर (अहमदाबाद)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

साबुन उद्योग

†*१६४६. **श्री झूलन सिंह :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रबन्ध और विदेशी प्रबन्ध वाली कम्पनियों द्वारा बनाये गये नहाने और कपड़े धोने के साबुन से पूरी होने वाली भारतीय आवश्यकता का अनुपात क्या है; और

(ख) भारतीय प्रबन्ध वाली कम्पनियों द्वारा निर्मित साबुन से शेष कमी पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५०**]

†**श्री झूलन सिंह :** पिछले दो वर्षों में देशी पूंजी से उत्पादन में कितनी उन्नति हुई है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** संगठित क्षेत्र में कोई उन्नति नहीं हुई किन्तु असंगठित क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है ।

†**श्री झूलन सिंह :** क्या मैं जान सकता हूं कि औषधियुक्त साबुन कितना आयात किया गया जिसका जिक्र विवरण के अंतिम भाग में किया गया है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** उसका परिमाण बहुत कम है । मेरे पास उसके आंकड़े यहां नहीं हैं ।

†**श्री कामत :** क्या किसी मंत्री का विदेशी प्रबन्ध के समवायों में कोई हित है चाहे वह आर्थिक या वाणिज्यिक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, निकट या दूरस्थ किसी भी प्रकार का हो ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** कोई नहीं है ।

†**डा० रामा राव :** क्या यह सच है कि भारतीय समवायों की संस्थापित क्षमता के ८२ प्रतिशत अंश का उपयोग नहीं किया जाता है जब कि विदेशी समवाय अपनी संस्थापित क्षमता के ९३ या ९४ प्रतिशत अंश का उपयोग करते हैं ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** ऐसा हो सकता है ।

†**श्री ए० एम० थामस :** माननीय मंत्री ने जिन कार्यवाहियों का उल्लेख किया है उनके साथ, जनसाधारण के लिये इस वस्तु के महत्व को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्रालय सस्ते साबुन उपलब्ध कराने की कार्यवाही भी कर रहा है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** मेरे विचार से अधिकांश देशी साबुन सस्ते दामों पर मिलते हैं ।

भारतीय वाद्यों का निर्माण

†*१६४७. **श्री डाभी :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड द्वारा मद्रास में भारतीय-वाद्य निर्माण प्रशिक्षण केन्द्र खोला जायेगा;

(ख) यदि हां, तो वह कब खोला जायेगा; और

(ग) इस केन्द्र को चलाने के लिये आवर्तक और अनावर्तक व्यय कितना होगा ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) :** (क) और (ख). भारतीय वाद्य निर्माण प्रशिक्षण केन्द्र मद्रास में २ जनवरी, १९५६ को खोला गया था ।

(ग) इस केन्द्र को चलाने का प्राक्कलित व्यय निम्नलिखित है :

आवर्तक (एक वर्ष के लिये) ३२,००० रुपये
अनावर्तक (एक वर्ष के लिये) २०,००० रुपये

†**श्री डाभी :** मैं प्रशिक्षण केन्द्रों का ब्योरा जानना चाहता हूं, अर्थात् प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, उनकी योग्यतायें आदि क्या हैं ?

†**श्री आर० जी० दुबे :** उनकी योग्यताओं का तो मुझे पता नहीं किन्तु अभी तक बीस प्रशिक्षणार्थी भर्ती हुये हैं । बारह तो विभिन्न क्षेत्रों के हैं और शेष मद्रास नगर के हैं ।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार :** क्या यह इस वर्ष या एक दो वर्ष के लिये 'तदर्थ' प्रबन्ध है या यह प्रबन्ध प्रशिक्षण हेतु स्थायी रूप से किया गया है ?

†**श्री आर० जी० दुबे :** यह प्रश्न विचाराधीन है । हमने दस्तकारी बोर्ड से पूछा है कि भविष्य में वे इस केंद्र को किस प्रकार चलाना चाहते हैं ।

श्री विभूति मिश्र : क्या गवर्नमेंट इस तरह के केंद्र उत्तर भारत में लखनऊ, पटना या कलकत्ता में भी खोलना चाहती है ?

श्री आर० जी० दुबे : जी हां, बोर्ड ने इस के बारे में सेन्टर (केंद्र) को सलाह दी है कि नार्थ इंडियन म्युजीकल इंस्ट्रूमेंट्स (उत्तर भारतीय संगीत वाद्य) के बारे में भी कुछ कदम उठाये जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तुंगभद्रा बोर्ड

†*१६४८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में तुंगभद्रा बोर्ड की कितनी बैठकें हुई; और

(ख) मुख्य-मुख्य निश्चय क्या किये गये ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) १९५५ में तुंगभद्रा बोर्ड की पांच बैठकें हुई ।

(ख) अपने कार्य सम्पादन सम्बन्धी जितने भी प्रश्न थे उन के बारे में बोर्ड ने निश्चय किये हैं। विशेषत: तुंगभद्रा परियोजना पूरी करने, उसे ठीक स्थिति में रखने और उसके कार्य संचालन के सम्बन्ध में।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** इस बोर्ड के क्या काम हैं ?

†**श्री हाथी :** बोर्ड का मुख्य कार्य आंध्र और मैसूर के सामान्य निर्माण कार्यों तथा अन्य आनुषंगिक कार्यों के सम्बन्ध में कार्यवाही करना है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** १ अक्तूबर के बाद जब नये राज्य बनेंगे तो क्या इस बोर्ड का पुर्निर्माण होगा ?

†**श्री हाथी :** मेरे विचार से पुर्निर्माण आवश्यक नहीं होगा ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या बोर्ड की किसी बैठक में तुंगभद्रा परियोजना की उच्च स्तरीय नहर बनाने के विभिन्न प्रश्नों पर विचार किया गया था और यदि हां, तो क्या बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न सरकारों की राय में कोई अंतर था ?

†**श्री हाथी :** नहीं । बोर्ड का सम्बन्ध केवल परियोजना से है जैसी कि वह अभी है ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या इसका यह अर्थ लिया जाय कि उच्च स्तरीय नहर के बारे में उसने कभी नहीं सोचा है ?

†**श्री हाथी :** मेरे विचार से उसने नहीं सोचा है ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या बोर्ड का काम इस बात पर विचार करना भी है कि अधिक भूमि खेती के योग्य बनाई जाय और यदि हां, तो क्या हाल ही की बैठकों में इस पर विचार किया गया था ?

†**श्री हाथी :** जी हां, तुंगभद्रा घाटी का विकास करना बोर्ड का एक कार्य है और उसने इस प्रश्न पर विचार किया है ?

†**श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या मैं जान सकता हूं कि उसने क्या निश्चय किये हैं ?

†**श्री हाथी :** वे वास्तव में निश्चय नहीं बल्कि सिफारिशें हैं जिन से राज्य सरकारें कृषकों को ऐसी सहायता करें जिससे वे अधिक भूमि की सिंचाई कर सकें, भूमि समतल कर सकें और ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकें ।

अपहृत महिलाओं की प्राप्ति के बारे में तथ्य निर्धारण आयोग का प्रतिवेदन

†*१६४९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** १२ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपहृत महिलाओं की प्राप्ति के बारे में भारत सरकार तथा पाकिस्तान सरकार ने संयुक्त रूप से जिस तथ्य निर्धारण आयोग की नियुक्ति की थी उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर विचार किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या कारण है कि इस आयोग की जो इस समस्या पर विचार करने के लिये स्थापित किया गया था, कोई बैठक नहीं हुई ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : तथ्य निर्धारण आयोग में दो उच्च शक्ति प्राप्त पदाधिकारी हैं जिसमें से एक भारत के प्रतिनिधि हैं तो दूसरे पाकिस्तान के । वे कई बार मिले हैं ; उन्होंने इस बारे में चर्चा भी की है किन्तु वे अंतिम रूप से प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सके हैं ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या इन दो उच्च शक्ति प्राप्त पदाधिकारियों की बैठक के परिणाम-स्वरूप कोई अस्थायी निर्णय हुए हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी हां । वे बहुत से मामलों की चर्चा करते हैं और प्राय: प्रक्रियात्मक तथा अन्य मामलों पर अपनी सहमति प्रकट करते हैं । और इस बीच में काम चलता रहता है । उनके निर्देश पद दो थे अर्थात् पहला काम शेष कार्य का अनुमान लगाना था तथा दूसरा काम यह था कि इस वर्ष की गति बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करनी चाहिये । काम का अनुमान लगाना बड़ा कठिन है, और कार्य चालू रहता है । प्रतिवेदन के कारण न तो कोई कार्य रुकता है और न रोका जाता है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या कार्य की गति को बढ़ाने के बारे में जो कि इस आयोग का दूसरा निर्देशपद था, कोई कार्यवाही की गई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी हां । इस सम्बन्ध में सभी कार्यवाही की गई है कि प्राप्ति कार्य यथा सम्भव शीघ्रता से आगे बढ़े ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार भारतीय सदस्य के समक्ष सभी तथ्यों को नहीं रख रही है और यही कारण है कि प्रतिवेदन अंतिम रूप से तैयार नहीं हुआ है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : नहीं मैं तो ऐसा सुझाव देने का साहस नहीं कर सकता ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या प्राप्ति सम्बन्धी वर्तमान प्रगति से सरकार पूर्ण सन्तुष्ट है और यदि यह ठीक है तो अन्तर्कालीन अवधि अर्थात् अब तथा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के समय के बीच के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : ऐसे मामलों में यह कहना बहुत कठिन है कि कार्य के स्वरूप से पूर्ण सन्तोष है क्योंकि इससे काम करने वालों में आत्मतुष्टि हो जायेगी । किन्तु सरकार को यह सन्तोष है कि इस मामले में जो भी कार्यवाही की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिये वह सभी कार्यवाही की गई है ।

कपास का मूल्य

†*१६५२. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कपास का मूल्य कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५१]**

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : इन कार्यवाहियों का क्या प्रभाव पड़ा और बाजार में इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : इसका सम्पूर्ण प्रभाव यह हुआ कि इसकी उपरिसीमा से इसका मूल्य नहीं बढ़ा है ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या यह सच है कि इस नियंत्रण का कृषकों पर प्रभाव पड़ा है जब कि मिल मालिकों को अधिक लाभ का और भी अवसर मिल गया है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : यह निष्कर्ष तो बिल्कुल गलत है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या यह सच नहीं है कि गत दो अथवा तीन वर्षों से सूती मिलें काफी लाभ उठा रही हैं और सूत का मूल्य युद्ध काल के मूल्य की अपेक्षा बहुत अधिक है । इस बात को देखते हुए क्या सरकार ने हथकरघा कर्मचारियों को दिये जाने वाले सूत तथा कपास के मूल्य को कम करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि कपास के नियंत्रण एवं मूल्य का प्रश्न इस वर्तमान प्रश्न में से कैसे उठा । यदि माननीय सदस्य इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो इसको चार अथवा पांच भागों में विभाजित करें तो इसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

तिलैया जलाशय

†***१६५४. डा० रामा राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलैया जलाशय कब पूरा हुआ था;

(ख) पहिली बार पानी कब इकट्ठा किया गया;

(ग) सिंचाई के लिये पानी का किस प्रकार उपयोग किया गया; और

(घ) १९५२ के पश्चात् से प्रति वर्ष कितनी भूमि की सिंचाई की गई ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) तथा (ख). तिलैया जलाशय १९५३ के आरम्भ में पूरा हुआ था और १९५२-५३ के मानसून के दिनों में पहली बार वहां पानी इकट्ठा किया गया था ।

(ग) तथा (घ). सिंचाई के लिये अभी तक उस पानी का उपयोग नहीं किया गया है ।

†**डा० रामा राव** : पानी को सिंचाई के लिये उपयोग न करने का क्या कारण है ?

†**श्री हाथी** : सिंचाई के लिये पानी का उपयोग इसलिये नहीं किया गया कि भूमि की रचना वहां इस प्रकार की है कि सिंचाई महंगी पड़ेगी । उन्होंने एक योजना तैयार की थी जिसके अनुसार प्रति एकड़ लगभग १००० रुपये व्यय होंगे । अतः यह स्वाभाविक था कि इस कीमत पर सिंचाई करना संभव नहीं था । तदन्तर उन्होंने दूसरी योजना बनाई और वह भी महंगी थी । अब उन्होंने एक तीसरी योजना बनाई है जिसके आधार पर पानी का उपयोग करने के लिये बिहार सरकार विचार कर रही है ।

†**डा० रामा राव** : इस बात को देखते हुये कि तुंगभद्रा और तिलैया बांधों के पूरा हो जाने के बाद भी पानी का उपयोग नहीं किया गया है, सिंचाई के लिये भी पानी का उपयोग होने लगे तो इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री हाथी** : तिलैया का प्रश्न तुंगभद्रा के प्रश्न से भिन्न है । तुंगभद्रा के पानी का उपयोग सिंचाई के लिये किया जायगा । किन्तु वहां कठिनाई यह थी कि भूमि को समतल नहीं बनाया गया था अतः वह सिंचाई के लिये तैयार नहीं की गई थी । तिलैया के बारे में, मूलतः यह सोचा गया था कि यह बांध मुख्यतः बाढ़ नियंत्रण के लिये है उसके बाद विद्युत उत्पादन के लिये और यह भी विचार था कि कोनार में बनाये जाने वाले मिट्टी के बांध के लिये भी इसके पानी का उपयोग किया जायगा । किन्तु सिंचाई के

†मूल अंग्रेजी में

लिये पानी का उपयोग करने का कोई विचार नहीं था । जब कि तुंगभद्रा का उद्देश्य केवल सिंचाई था, और कृषकों को ऋण आदि देकर सहायता दी जा रही है ताकि अधिक भूमि की सिंचाई हो सके ।

†**डा० रामा राव** : वर्तमान योजना के अधीन आगामी पांच वर्षों में तिलैया बांध से कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी ।

†**श्री हाथी** : जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अधिक नहीं होगी । ७,५०० अथवा १०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या यह सच है कि बिहार तथा पश्चिमी बंगाल की सरकारें इस बात पर सहमत नहीं हुई हैं कि पानी का उपयोग किस प्रकार किया जायगा और पानी पर कर लगाने सम्बन्धी दर के बारे में कोई उचित विधि भी नहीं हैं ?

†**श्री हाथी** : ऐसी बात तो कोई नहीं है कि कोई समझौता नहीं हुआ है । प्रश्न तो सिंचाई के मूल्य के बारे में था ।

सड़क यातायात निगम

†*१६५५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **योजना** मंत्री २० दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में सड़क यातायात निगम बनाने सम्बन्धी योजना आयोग की सिफारिश क्रियान्वित हुई हैं तथा किन-किन राज्यों ने उन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है; और

(ख) उन राज्यों की जिन्होंने सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की हैं, क्या कठिनाईयां हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) सड़क यातायात निगम अधिनियम १९५० के अधीन निम्नलिखित राज्यों के निगम की स्थापना करने के सम्बन्ध में परामर्श दिया गया था :

आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, मैसूर, सौराष्ट्र, पैप्सू, त्रावणकोर-कोचीन, और हिमाचल प्रदेश ।

इनमें से बिहार, सौराष्ट्र और पैप्सू ने योजना आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति के सम्बन्ध में अब तक सूचना दी है ।

(ख) अन्य सम्बन्धित राज्य अभी तक इस मामले पर विचार कर रहे हैं ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण करने और विभाग की ओर से चलाने की अपेक्षा सड़क यातायात निगम का बनाना सड़क यातायात के लिये अच्छा होगा ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : वास्तव में यही विचार है कि व्यावसायिक आधार पर इसका चलाना अच्छा रहेगा ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार को इसका ज्ञान है कि जहां कहीं विभागीय निगम बनाये गये हैं वहां सड़क यातायात संगठनों ने उतनी तेजी से प्रगति नहीं की है जितनी कि पहले होती थी ।

†**श्री एस० एन० मिश्र** : मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सके ।

श्री भक्त दर्शन : उपमंत्री महोदय ने बतलाया कि जिन राज्यों को इस सम्बन्ध में लिखा गया था, उनमें उत्तर प्रदेश का भी नाम है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जो देरी हो रही है उसका कारण यह है कि वहां खुद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी रोडवेज चला रखी है और वह नये कारपोरेशन

†मूल अंग्रेजी में

(निगम) को स्वीकार नहीं करते, इस बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है, इस बारे में भी कुछ बतलाया है ?

श्री एस० एन० मिश्र : उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी अनिच्छा प्रकट की है और उन लोगों को यह बताया है कि इसके सिवाय दूसरी सूरतें हो सकती हैं जिसके जरिये रेलवे के साथ हमारा अच्छा सम्पर्क रह सकता है ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से जिले सड़कों के वास्ते रेकमेंड (सिफारिश) किये गये हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : यह तो इस सवाल से बाहर मालूम होता है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या योजना आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि निगम त्रिदलीय आधार अर्थात् रेलवे, राज्य सरकार, और गैर-सरकारी संचालकों, पर बनाये जायें ? यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने इन राज्यों को परामर्श दिया है कि वे निगम इस आधार पर बनायें ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : जी हां । त्रिदलीय संगठन बनाने का विचार है जिसमें राज्य सरकार, गैर-सरकारी संचालक और रेलवे भाग लेगी ।

सामाजिक-आर्थिक समस्या सम्बन्धी गवेषणा

†*१६५६. **श्री संगण्णा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की सामाजिक आर्थिक समस्याओं के बारे में गवेषणा करने के लिये क्या विश्व विद्यालयों और योजना आयोग में कोई सम्पर्क स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सम्पर्क व्यवस्था भारतीय सांख्यकी संस्था, कलकत्ता द्वारा जो कार्य किया जाता था उसकी पूरक है; और

(ग) क्या यह सम्पर्क व्यवस्था क्षेत्रीय आधार पर है अथवा किसी दूसरे आधार पर ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) जी हां । सम्पर्क की व्यवस्था गवेषणा कार्यक्रम समिति द्वारा की गई है जो विकास क्षेत्र में कुछ चुनी हुई सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर गवेषणा करती है तथा उसमें सहायता करती है । इस समिति में अर्थशास्त्री, और समाजशास्त्री वैज्ञानिक होते हैं और यह समिति देश के विश्वविद्यालय सामाजिक कार्य सम्बन्धी स्कूल और दूसरी गवेषणा संस्थाओं के निकट सहयोग से कार्य करती है ।

(ख) गवेषणा कार्यक्रम समिति का विचार देश की समस्त गवेषणा संस्थाओं की कार्यवाहियों एवं उद्देश्यों को पूरा करना तथा सुदृढ़ बनाने का है ।

(ग) चालू गवेषणा परियोजनाओं सम्बन्धी प्राविधिक समस्याओं पर चर्चा करने के लिये गवेषणा कार्यक्रम समिति की कुछ उपसमितियां हैं ।

†**श्री संगण्णा** : अब तक कितने गवेषणा कार्य किये गये हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : वास्तव में यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके लिये अलग से सूचना चाहिये ।

†**श्री संगण्णा** : गवेषणाओं के परिणाम सम्बन्धित क्षेत्रों में क्रियान्वित करने के लिये किन अभिकरणों द्वारा भेजे जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एस० एन० मिश्र** : जैसा कि मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं ये अभिकरण हैं, विश्वविद्यालय सामाजिक कार्य-स्कूल और अन्य दूसरी गवेषणा-संस्थायें ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इस सम्बन्ध में कौन-कौन प्रतिष्ठान एवं संस्थायें गवेषणा कार्य कर रही हैं ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : वे बहुत हैं । मैं समझता हूं कि जो प्रश्न पूछा गया है इसके सम्बन्ध में यदि पूरी जानकारी मैं सभा पटल पर रख दूं तो अच्छा रहेगा ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : जांच पूरी हो जाने और प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये जाने के बाद क्या वे छपवाये जाते हैं अथवा नहीं ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच करने के लिये रीडर नियुक्त किये जाते हैं और यदि उनकी राय होती है कि ये छपवाये जायें तो उनको छपवाया जायगा ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या हमारे देश की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का अन्य देशों की समस्याओं से तुलनात्मक अध्ययन करने के लिये कुछ व्यक्तियों को विदेश भेजा गया है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : मेरा विचार है कि यह बात समिति के क्षेत्र से बाहर है ।

भारतीय उद्योग मेला

†*१६५७. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन देशों ने भारतीय उद्योग मेले के मंडपों को भारत सरकार को भेंट में दे दिया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : अमरीका और चीन के जनवादी गणतंत्र के मंडपों की भेंट को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है । चेकोस्लोवाकिया के मंडप और रूस के मंडप के पीछे वाले उनके कार्यालय भवन की भेंट का प्रश्न विचाराधीन है ।

†**ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : अन्य सरकारों ने अपने मंडपों के बारे में क्या निश्चय किया है ?

†**श्री करमरकर** : समान्यतः या तो वे गिरा दिये गये हैं अथवा वे ज्यों के त्यों रखे गये हैं—मुझे उनके बारे में निश्चय रूप से ज्ञात नहीं है । माननीय निर्माण, आवास और संभरण मंत्री सम्भवतः इसके बारे में कुछ बता सकें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या दूसरे मंत्री उत्तर देंगें । एक मंत्री दूसरे अपने साथी की तरफ इशारा कर रहे हैं ।

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : माननीय साथी ने जिन मंडपों का उल्लेख किया है केवल वही मंडप रहेंगे और शेष मंडप तो गिराये जा रहे हैं ।

राज्य सहायता-प्राप्त गृह निर्माण योजना, पैप्सू

†*१६५८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेग कि :

(क) क्या यह सच है कि पैप्सू सरकार को औद्योगिक कर्मकरों के लिये राज्य सहायता प्राप्त गृह-निर्माण, योजनाओं के अधीन जो ऋण और अर्थ-सहायता दी गई थी, उसका राज्य सरकार ने पूरा उपयोग नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई कारवाई करने का विचार किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) तथा (ख). योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को मंजूरी जारी होने पर तुरन्त सहायता के ऋण के भाग का तिहाई भाग लेने का हक होता है। पैप्सू सरकार द्वारा चलाई गई दो योजनाओं सम्बन्धी यह भाग ६३,००० रुपये का था और यह अक्तूबर-नवम्बर १९५५ में उस सरकार को दे दिया गया था। उसने हमें सूचना दी है कि इनमें से एक योजना के लिये उसने आवश्यक भूमि अधिग्रहण कर ली है, इसलिये मकानों का निर्माण शीघ्र ही आरंभ होगा दूसरी योजना के अन्तर्गत वह एक महीने के अन्दर निर्माण कार्य आरंभ करने की आशा करते हैं।

श्री राम कृष्ण : क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक इस स्कीम के तहत कितने हाउसेज बन सके हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : किस जगह, पैप्सू में ?

श्री राम कृष्ण : जी, हां।

सरदार स्वर्ण सिंह : नोटिस चाहिये।

†**सरदार इकबाल सिंह** : इस योजना के अन्तर्गत पैप्सू में ये मकान कहां बनने वाले हैं ?

†**श्री पी० एस० नास्कर** : अभी तक दो योजनायें हैं, एक फगवाड़ा के लिये, और दूसरी राजपुरा के लिये।

गोआनी शरणार्थी

†*१६५९. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के आरम्भ से कितने गोआनी शरणार्थी भारत में आये हैं; और

(ख) गोआ से भविष्य में बड़े पैमाने पर लोगों के आने को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) इस वर्ष में अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने पर लगभग ६०० गोआनी गिरफ्तार किये गये थे।

(ख) भारतीय सीमा पर जो विविध सुरक्षा सम्बन्धी उपाय और चोरी के माल ले जाने को रोकने के उपाय किये गये हैं, वे गोआ के बड़े पैमाने पर लोगों के आगमन को रोकने के लिय पर्याप्त हैं ?

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या इन शरणार्थियों ने पुनर्वास के लिये कोई सहायता मांगी है और यदि हां, तो उन्हें कुछ सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : गोआ से जो आठ सौ मछुए आये हैं, उन्होंने सौराष्ट्र की सीमाओं पर मछली पकड़ने की सुविधायें मांगी थीं और उन्हें वे सुविधायें दे दी गई हैं।

†**श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या सरकार हमें बतायेगी कि हाल में प्रकाशित समाचारपत्रों में क्या कोई तथ्य है कि बहुत से गोआनी जो भारत में आश्रय पाने के लिये आये थे, वापिस गोआ में खदेड़ दिये गये हैं, जहां उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और अनेक प्रकार के कष्ट दिये जाते हैं, हालांकि हमें यह आश्वासन दिया गया है कि गोआनी भी दूसरे भारतीयों के समान ही भारतीय हैं।

†**श्री अनिल के० चन्दा** : दयालुता के आधार पर, हमने उनको नहीं भगाया है जो गोआ में खतरे में थे। किन्तु जो लोग वास्तव में ही अवैध रूप से आये थे, स्वभावत: हमने उनको उनके अपने स्थानों पर वापिस भेज दिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : क्या सभा यह समझ सकती है कि सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि पुर्तगाली अत्याचार और बर्बरता से भाग कर आने वाले शरणार्थियों को राजनीतिक आश्रय देने से इनकार नहीं किया जायगा ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : प्रत्येक व्यक्ति के मामले पर उसके गुण के आधार पर विचार किया जायगा ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या सरकार को विदित है कि गोआ में पुर्तगाली सब गोआनियों को निकाल भगाने की क्रमबद्ध नीति का पालन कर रहे हैं और यदि हां, तो सरकार ने उस नीति का विरोध करने का क्या उपाय किया है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : वे सब गोआनियों को उनके क्षेत्र से कैसे निकाल सकते हैं ? तब, वह खाली हो जायगा ।

भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा

†*१६६२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने मनीपुर के मुख्य सचिव, गृह-कार्य सचिव, डिप्टी कमीश्नर, और सुपरिन्टेंडेंट पुलिस के पदों को भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा के अन्दर लाने का विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब लागू करने का विचार किया गया है और क्यों ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)**: (क) तथा (ख). मुख्य सचिव, गृह-कार्य सचिव और सुपरिन्टेंडेंट के पदों को उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण की पदालियों में सम्मिलित करने का मनीपुर प्रशासन की प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है । डिप्टी कमीश्नर , मनीपुर का पद पहले ही भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा नियमों की अनुसूची १ में सम्मिलित किया जा चुका है, जिसकी प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५२**]

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या मनीपुर के आदिम जाति के लोगों को सीमान्त प्रशासन सेवा में कोई विशेष सुविधा दी जायेगी, जैसा कि आसाम के आदिम जातियों के क्षेत्रों में रहने वाले दूसरे आदिम जाति के लोगों को दी जाती है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा**: जी, हां । यह सरकार का इरादा है, कि जहां संभव होगा, वहां आदिम जाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाये ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा के आदिम जाति के लोगों के लिये वे सुविधायें क्या होंगी, जिन्हें विशेष कहा जाता है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : मैं प्रश्न नहीं समझा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इन आदिम जातियों के लोगों को सीमान्त प्रशासन सेवा में कोई विशेष सुविधायें देने का विचार है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : बाद में इस सेवा में लगभग ५० प्रतिशत अभ्यर्थी आदिम जातियों के लिये जायेंगे—५० प्रतिशत रक्षित होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** :-प्रश्न संख्या १६६३ ।

†**श्री कामत** : मेरा सुझाव है कि इस प्रश्न को और प्रश्न संख्या १६७२ को एक साथ लिया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या श्री कृष्णाचार्य इन दोनों को इकट्ठा करना चाहते हैं ?

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, उनका उत्तर इकट्ठा दिया जा सकता है ।

सीमावर्ती अपराधों के बारे में भारत और पाकिस्तान के पुलिस अफसरों की बैठक

†*१६६३. **श्री गिडवानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और पाकिस्तान के पुलिस अफसरों की बैठक हैदराबाद, सिन्ध (पश्चिमी पाकिस्तान) में, सीमावर्ती अपराधों और दूसरे समान मामलों पर चर्चा करने के लिये मार्च, १९५६ के तीसरे सप्ताह में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों की चर्चा की गई थी; और

(ग) क्या निर्णय किये गये थे ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). पुलिस अफसरों ने सीमा की सामान्य शान्ति और व्यवस्था सम्बन्धी स्थिति पर विचार किया, जिसमें डाकुओं की कार्रवाइयाँ जो पाकिस्तानी क्षेत्र में आश्रय ले लेते हैं, डाकुओं द्वारा अपहृत व्यक्तियों की रिहाई, चुराये गये ढोरों की वसूली और भारतीय राजक्षेत्र में पाकिस्तानी राष्ट्र-जनों का अनधिकृत रूप में बड़ी संख्या में आना भी शामिल है ।

भारत-पाकिस्तान सीमा कर्मचारियों का सम्मेलन

†*१६७२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, १९५६, के पहले सप्ताह में, भारत-पाकिस्तान के सीमा कर्मचारियों का सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में किन किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई थी ।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) तथा (ख). पहली फरवरी १९५६ को पश्चिम पाकिस्तान सीमा पुलिस और पंजाब सशस्त्र पुलिस के वरिष्ठ अफसरों की अमृतसर में बैठक हुई थी । यह दोनों पुलिस के अफसरों की सावधिक बैठक थी और पश्चिम पाकिस्तान के एक इकाई बनने के पश्चात पहली बार हुई थी । सम्मेलन में पूर्व स्थिति को बनाये रखने, विवादों के बारे में शान्तिपूर्वक बातचीत करने और चोरी छिपे माल ले जाने को रोकने के उपायों, ढोरों के खोये जाने और ग्रामीण लोगों द्वारा बिना किसी इरादे सीमा के पार चले जाने आदि के बारे में दोनों ओर के इंस्पैक्टर जनरल पुलिस और सीमा पुलिस के कमाडैंटों (कमांडरों) के पिछले निर्णयों पर पुनर्विलोकन किया गया और उन्हें पुनः स्वीकार किया गया, चर्चा हुई ।

†**श्री गिडवानी** : क्या यह सच है कि हुसैन वाला हैडवर्क्स के समीप गंडा सिंह वाला में पाकिस्तान सेना के बहुत से लोग जमा थे, और वे वहां होने वाली मरम्मत में बाधा डाल रहे थे और क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इस मामले में १८ तारीख को विरोध प्रकट किया, यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार से कोई उत्तर मिला है और क्या पाकिस्तानी सेना के व्यक्ति वहां से हटा दिये गये हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न सीमा कर्मचारियों के सम्मेलन से सम्बन्ध रखता है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हमें सूचना मिली है कि सीमा के दूसरी ओर कुछ सैनिक जमा थे और मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान सरकार का ध्यान उस ओर दिलाया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गिडवानी** : वे वास्तव में उस हैड वर्क्स पर हमारे मरम्मत के कामों में बाधा डाल रहे थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इससे उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री कामत** : जहां तक इन सीमावर्ती हमलों का सम्बन्ध है, जिसका सभासचिव ने डाकुओं के हमलों के रूप में उल्लेख किया है (मैंने सुना है उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा है)—सरकार को जो सूचना मिली है, क्या उसके आधार पर सरकार यह सन्देह करती है कि इस मामले में पाकिस्तानी सरकार या दूसरे सरकारी अधिकारियों का हाथ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं समझता माननीय सदस्य मुझ से इन छिपी हुई बातों के बारे में क्या कहलवाना चाहते हैं। हमारा इन बातों से सरोकार नहीं है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या इस मामले में किसी पाकिस्तानी अफसर ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और क्या ऐसे सम्मेलनों का कोई उपयोगी लाभ हुआ है ?

†**श्री सादत अली खां** : यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वे गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं करते। दोनों ओर के पुलिस अधिकारियों के बीच ऐसे सम्मेलन दोनों ओर फैली हुई भ्रांति को कम करने और सीमा पर शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये लाभदायक होते हैं।

†**सरदार इकबाल सिंह** : इन सम्मेलनों में ऐसे कितने लोगों को भारत में भेजने के लिये कहा गया था, जो भारत में अपराध कर के पाकिस्तान चले गये थे और क्या उनमें से कोई व्यक्ति भारत वापिस भेज दिया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वे लोग अपराध करने के बाद अपने आप को पंजीबद्ध नहीं करवाते ।

†**श्री कासलीवाल** : माननीय सभासचिव ने कहा था कि इन सम्मेलन में चुराये गये ढोरों की वसूली के बारे में भी चर्चा की गई थी। क्या सरकार को सूचना मिली है कि उसके बाद कोई चुराये गये ढोर वापिस कर दिये गये हैं ?

†**श्री सादत अली खां** : ढोरों की चोरी में संतोषजनक कमी हो गई है।

†**श्री कामत** : क्या प्रधान मंत्री ने जासूसी किस्सों का उत्तर देना आरंभ कर दिया है ?

अल्यूमीनियम सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

*१६६५. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्यूमीनियम सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति विदेशों का दौरा भी करेगी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों का; और

(ग) यदि नहीं, तो उन सदस्यों के नाम क्या हैं, जो इस सम्बन्धमें विदेशों में होने वाली गवेषणा में विशेषज्ञ हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). समिति के सामने इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) सरकार के पास इसकी कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। सदन की मेज पर एक विवरण उपस्थित है, जिसमें विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नाम दिये गये हैं। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५३**]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० सी० सोधिया** : दूसरी पंचवर्षीय योजना में अल्यूमीनियम उद्योग का बड़ा विस्तार करने का विचार किया गया है, क्या सरकार बिल्कुल आधुनिक ढंग की फैक्टरियां लगाने का विचार करती है ? क्या इस विशेषज्ञ समिति को कुछ विदेशों में जाने के लिये कहना उचित नहीं है, जहां अल्यूमीनियम के निर्माण का बहुत अधिक विकास हुआ है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं यह प्रश्न नहीं है ।

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : इरादा यह है कि अल्यूमीनियम का उस मात्रा का निश्चय किया जाय जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारी आवश्यकता के लिये पैदा करनी है और यह भी निश्चय करना है कि संयंत्र कहां लगाये जायें । उत्पादन के ढंग के बारे में हमें कुछ विदेशी सहयोग की आवश्यकता होगी और इसके लिये बातचीत चल रही है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : दूसरी पंचवर्षीय योजना में अल्यूमीनियम के उत्पादन के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये, क्या यह समिति शिवराम पहाड़ियों और मालाबार से बौक्साइट अयस्क निकालने के सम्बन्ध में अध्ययन करेगी ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : भारत के विभिन्न भागों में बौक्साइट निक्षेपों का अनुमान लगाने का काम इस समिति के कामों में से एक है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : अल्यूमीनियम उद्योग के प्रश्न पर विचार करने वाली समिति में क्या योग्य भूतत्ववेत्ता हैं जिनका मार्ग प्रदर्शन बौक्साइट संसाधनों को ढूंढने और उनको निकालने के लिये किया जा सकता है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : यह आवश्यक नहीं समझा गया है ।

†**डा० रामा राव** : सरकारी क्षेत्र में अल्यूमीनियम बढ़ाने के लिये सक्रिय कार्रवाई की जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुए विदेशी समवाय को हीराकुड के समीप एक नवीन फैक्टरी खोलने के लिये क्यों अनुमति दी गई है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : इस समवाय विशेष को तीन वर्ष पूर्व अनुमति दी गई थी ।

†**श्री वी० पी० नायर** : अब जिन नई फैक्टरियों का विचार किया गया है, उन्हें स्थापित करते हुये क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी कि बौक्साइट अयस्क विभिन्न स्थानों पर मिलता है और क्या ये फैक्टरियां ऐसे स्थानों पर लगाई जायेंगी, जहां बौक्साइट सस्ते दामों पर भेजा जा सकता है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : हो सकता है समिति को इस पर भी विचार करके प्रतिवेदन देना हो, किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि विद्युत् का मिलना अधिक महत्व की बात है । अल्यूमीनियम के उत्पादन में, उपयोग में लाई जाने वाली बिजली की मात्रा के मुकाबले में बौक्साइट का महत्व बहुत कम है ।

सरकारी सम्पत्ति का अप्राधिकृत कब्जा

†*१६६६. **श्री राधा रमण** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में सरकारी और निष्क्राम्य सम्पत्ति के अप्राधिकृत कब्जे के मामलों पर विचार करने के लिये किसी विशेष निकाय की नियुक्ति की है;

(ख) अभी तक कुल कितना किराया बकाया में पड़ा है; और

(ग) इस निकाय ने इस बकाया को वसूलने के लिये किस कार्यवाही का सुझाव दिया है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तीन करोड़ रुपयों से अधिक। सरकार द्वारा निर्मित सम्पत्ति के सम्बन्ध में लगभग १·२५ करोड़ रुपये और निष्क्राम्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में लगभग १·७५ करोड़ रुपये।

(ग) बकाया वसूल करने के सम्बन्ध में सुझाव देना इस निकाय का कार्य नहीं है।

†**श्री राधा रमण** : क्या इस निकाय का कार्य सुझाव देना नहीं है ? इस निकाय के निर्देश-पद क्या हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस समिति की स्थापना सरकार द्वारा निर्मित सम्पत्ति और साथ ही निष्क्राम्य सम्पत्ति के अप्राधिकृत निवासियों को नियमित निवासी बनाने या उनकी बेदखली करने के प्रश्न की छानबीन करने के लिये की गई थी।

†**श्री राधा रमण** : इस निकाय ने अपने आरम्भ से अभी तक इस दिशा में क्या प्रगति की है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : लाजपतनगर में, अप्राधिकृत रूप से कब्जा करने वाले लगभग ४०० परिवारों को बेदखल किया जा चुका है। लगभग ५३० मामलों में, बकाया वसूल करके उनको नियमित बना दिया गया है और दिल्ली भर की २३ बस्तियों में ३४४ परिवारों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री राधा रमण** : आज कल इस प्रकार अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रहने वाली सरकारी इमारतों की संख्या कितनी है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : उन मामलों को छोड़कर जिन के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की जा चुकी है अभी भी सरकार द्वारा निर्मित ऐसे लगभग ७०० मकान और हैं जिन के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करना अभी शेष है।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि आज कल सरकारी इमारतों पर अप्राधिकृत रूप से कब्जा करने वाले ऐसे व्यक्तियों से, यदि वे उनसे वसूला जाने वाला किराया अदा करने का सामर्थ्य नहीं रखते, वे मकान खाली कराये जा सकें ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : निर्णय यह किया गया है कि उन व्यक्तियों के मामलों में जिन्होंने ४ जून, १९५५ से पहले मकानों पर कब्जा किया था बकाया किराया वसूल कर उनको नियमित बना दिया जायेगा। अन्य व्यक्तियों को बेदखल करना पड़ेगा।

भारत-चीन समझौता

*१६६७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** २३ दिसम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तिब्बती अधिकारी पश्चिमी हिमालय में प्रमाण-पत्र और आज्ञा-पत्र लागू करने की योजना से सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों में इस योजना को लागू करने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो भारत और तिब्बत के बीच व्यापार की यथापूर्व स्थिति रखने के लिये कौन सी अन्य कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग). उनसे अपनी तरफ वैसा ही करने को कहा गया है, जैसा कि हमने अपनी तरफ किया है और उनके जवाब का इन्तजार है। ये प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट) और अनुज्ञा-पत्र (परमिट) दोनों ओर की सरहदी जांच-चौकियों पर देखे जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि जब कि भारत और तिब्बत सीमा के अन्य इलाकों सर्टिफिकेट और परमिट सिस्टम (अनुज्ञा-पत्र प्रणाली) जारी कर दिया गया है, तब तिब्बत की सरकार को केवल वैस्टर्न (पश्चिमी) हिमालय में इस प्रणाली को लागू करने में क्या एतराज था, क्या इसका पता लगाने की कोशिश की गई है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा :** यह प्रश्न केवल पश्चिमी तिब्बत के सम्बन्ध में है । मध्य तिब्बत के सम्बन्ध में सर्टिफिकेट की प्रणाली उनकी और हमारी दोनों ही की ओर प्रचलित रही है ।

श्री भक्त दर्शन : मेरा प्रश्न यह था कि क्या तिब्बत की सरकार ने कोई कारण बताया है कि पश्चिम हिमालय में क्यों इस तरह का एतराज किया जा रहा है और क्यों इस सिस्टम को जारी नहीं होने दिया जा रहा है जब कि और इलाकों में इस सिस्टम को जारी कर दिया गया है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सवाल यह पूछा जा रहा है कि उन्होंने एतराज क्यों किया । अब हमारे लिये इसका जवाब देना कठिन है कि उन्होंने क्यों किसी बात पर एतराज किया है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि पिछले वर्ष जब से इस सिस्टम को लागू किया गया है, तब से भारत और तिब्बत के व्यापार में कुछ बढ़ोत्तरी हुई है या उसमें कोई कमी हुई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं बिना जांच-पड़ताल के कुछ भी नहीं कहना चाहता । वैसे मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि उसमें बढ़ती हुई है ।

†**श्री बी० डी० पांडे :** क्या सरकार तिब्बत जाने वाले और तिब्बत से भारत में आने वाले व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखती है, क्योंकि सीमा क्षेत्र से तमाम कपटी लोगों के आ जाने की भी संभावना रहती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य का आशय चीन की सरकार द्वारा रखी जाने वाली कड़ी नजर से है, या भारत सरकार द्वारा ?

मद्य-निषेध सम्बन्धी वृतांत चलचित्र

†*१६६८. **श्री सी० आर० नरसिंहन् :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि मद्य-निषेध और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अन्तर्गत आने वाले अन्य विषयों के सम्बन्ध में उपयुक्त साहित्य के प्रकाशन और वृतांत-चलचित्रों के निर्माण के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** पब्लिकेशन्स डिवीजन ने "मद्य निषेध—कुछ प्रश्न और उत्तर" नाम की एक पुस्तिका निकाली है, और यथासमय वह सभी प्रादेशिक भाषाओं में अनूदित की जायेगी । चालू वित्तीय वर्ष में मद्य-निषेध सम्बन्धी एक वृत्तांत चलचित्र बनाने का भी प्रस्ताव है, और हमने आसाम सरकार के लिये आसाम में मद्य-निषेध से सम्बन्धित एक वृत्तांत चलचित्र बनाने का भी दायित्व ले लिया है । राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अन्तर्गत आने वाले अन्य विषयों से सम्बन्धित साहित्य और वृत्तान्त चलचित्रों का कार्य भी, उनकी कार्यान्विति के समय या उनके समर्थन में लोकमत को शिक्षित करने के लिये, यथासमय आरम्भ किया जायेगा ।

†**श्री सी० आर० नरसिंहन् :** क्या इस प्रकार के प्रकाशन के लिये कोई योजना है, और क्या यह प्रकाशन सभी महत्वपूर्ण प्रादेशिक भाषाओं में किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० केसकर :** अभी इस समय तो इस कार्य के लिये हमारे पास कोई बड़ी योजना नहीं है ।

†**श्री सी० आर० नरसिंहन् :** इन्हें प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करने के सम्बन्ध में, क्या इनको कुछ महत्वपूर्ण प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रकाशित करने का विचार है ?

†**डा० केसकर :** मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं कि उसे प्रादेशिक भाषाओं में अनूदित किया जायेगा ।

†**श्री एन० एम० लिंगम् :** इस बात को देखते हुए कि मद्य निषेध को द्वितीय योजना का एक अविभाज्य अंग बनाये जाने के उद्देश की घोषणा कर दी गई है, क्या सरकार चलचित्रों तथा रेडियो के द्वारा जनता को शिक्षित करने के लिये एक जोरदार प्रयास करने का विचार कर रही है ?

†**डा० केसकर :** योजना और उसका ब्योरा निश्चित तौर पर बन जाने के बाद, यथासमय इस पर भी अवश्य ही विचार किया जायेगा ।

युद्ध-क्षतिपूर्ति में मिलने वाले जर्मन औजार

†*१६७०. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा जर्मन युद्ध-क्षतिपूर्ति के अपने हिस्से के रूप में प्राप्त किये गये मशीनी औजारों की कितनी मदें ३१ मार्च, १६५६ तक बिना बिकी हुई रह गयी हैं;

(ख) बिकी हुई मदों में से कितनी सरकारी विभागों ने ली हैं और कितनी निजी स्रोतों ने नीलाम के जरिये ली हैं; और

(ग) निजी व्यावसायिक संस्थाओं को बेचने से ३१ मार्च १६५६ तक कितनी आय हुई ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर) :**

(क) ४ ।

(ख) (१) ८,७२६ ।

(२) १,३६६ ।

(ग) ६·६१ लाख रुपये ।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** भाग (क) के सम्बन्ध में, क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये चार मदें कहां रखी गई हैं ?

†**श्री पी० एस० नास्कर :** इन चार मदों में से दो को १६५१ में सिन्दरी फर्टिलाइजर्स को ढलवां लोहे के नल बनाने के लिये दे दिया गया था, और उस कारखाने ने उन मशीनों को इंडियन आइरन एण्ड स्टील वर्क्स, कुल्टी को सौंप दिया है । अन्य दो मदें पिछले अवसर पर बेची नहीं जा सकी थीं और वे अब जब भी कभी नीलाम होगा उस समय बेची जायेंगी ।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** इन मशीनरी औजारों को बेचने से कुल कितनी राशि प्राप्त की गई है और उन्हें भारत में लाने पर और यहां उनके संस्थापन पर कितना व्यय हुआ है ?

†**श्री पी० एस० नास्कर :** इस के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री कामत :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा भारत ने नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार ने की थी, भारत सरकार ने जर्मन सरकार या जर्मन सेना द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में क्षत की गई किस और कहां की भारतीय सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति के लिये ये दावे किये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : ये बातें स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले पूछी गयी थीं और अब तो हम केवल उनके उत्सर्जन का कार्य ही कर रहे हैं।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : कुल कितनी मदें प्राप्त की गई थीं और उनमें से कितनी मदों को कबाड़ के रूप में बेच दिया गया है ?

†**श्री पी० एस० नास्कर** : भारत सरकार को जर्मन युद्ध-क्षतिपूर्ति के अपने हिस्से के रूप में मशीनरी औज़ारों की १०,४३१ मदों का नियतन किया गया था। उनमें कबाड़ जैसी कोई चीज नहीं थी, जो बेची न जा सकती हो।

†**श्री कामत** : क्या युद्ध-क्षतिपूर्ति के दावे अगस्त १९४७ के बाद भी किये गये हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह प्रश्न वैदेशिक कार्य मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये।

†**श्री कामत** : बहुत अच्छा। मैं पूछूंगा।

ग्राम विद्युतीकरण

†*१६७३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में ग्राम विद्युतीकरण के लिये राज्यों को कितनी राशियां मंजूर की गईं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार से ऋण के लिये कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ठ ९, अनुबन्ध संख्या ५४]**

†**सरदार इकबाल सिंह** : इस ऋण के लिये अनुमोदित २० करोड़ रुपयों में से केवल आठ करोड़ की मंजूरी दी गई है। प्रथम योजना के अन्त तक वास्तव में इसमें से कितनी राशि का उपयोग किया गया है ?

†**श्री हाथी** : मंजूर की हुई राशि का अर्थ है कुल व्यय। यह एक वापसी वाला ऋण है। पहले व्यय राज्य सरकारों को करना पड़ता है उसके बाद वे व्यय की प्रगति बताती हैं और उनके द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के अनुसार ही उनको राशि दी जाती है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : पंजाब सरकार द्वारा कुल कितनी राशि की मांग की गई है ? केवल तीन ही लाख रुपयों की मंजूरी दिये जाने के क्या कारण हैं ?

†**श्री हाथी** : पंजाब सरकार ने ७० लाख रुपयों का ऋण मांगा था। इसमें से, ६० लाख रुपयों की आवश्यकता उहल विद्युत् प्रणाली के लिये थी। उसे ३० लाख रुपये एक अन्य निधि--विशेष विकास निधि— से मिल गये थे। हमें अभी तक इस मद के सम्बन्ध में व्यय की प्रगति नहीं बताई गई है। जब तक कि वह व्यय का ब्यौरा नहीं बताती है, तब तक इसकी मंजूरी नहीं दी जा सकती है। वह राशि कितनी होगी, यह तो इस पर निर्भर है कि पंजाब सरकार कितने वास्तविक व्यय के आंकड़े हमारे पास भेजती है।

रेशम की छीजन

†*१६७५. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वार्षिक रूप से रेशम की छीजन का कितना परिमाण निकलता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसमें से प्रतिवर्ष कितना परिमाण देश में खप जाता है और कितना निर्यात किया जाता है; और

(ग) रेशम की सारी छीजन के उपयोग के लिये और अधिक कारखानों के स्थापना के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) लगभग १७·७ लाख पौंड ।

(ख) देश में लगभग दस लाख पौंड रेशम की छीजन की खपत होती है और शेष का निर्यात होने दिया जाता है। निर्यात की वास्तविक परिमाण वर्ष प्रतिवर्ष भिन्न-भिन्न रहा है। १९५५ में ८६८,१५८ पौंड का निर्यात किया गया था ।

(ग) आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल और जम्मू तथा काश्मीर राज्यों में कते हुये रेशम का कपड़ा बनानेवाले कारखाने स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री मादिया गौडा** : क्या वर्तमान कारखाना अपने पूरे सामर्थ्य भर कार्य नहीं कर रहा है ; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**श्री के० सी० रेड्डी** : भारत भर में कते हुये रेशम का कपड़ा बनाने का कुल एक ही कारखाना है, और शायद माननीय सदस्य मैसूर के उसी चेन्नापत्तनम् कारखाने का ज़िक्र कर रहे हैं । उसकी सामर्थ्य आठ लाख पौंड माल तैयार करने की है । वह अपनी पूरी सामर्थ्य भर कार्य नहीं कर रहा है, उसका एक कारण तो शायद वित्तीय संसाधनों का अभाव है और दूसरा कारण खुले बाज़ार में उचित दामों पर कच्चा माल खरीदने में होने वाली कठिनाई है । मैसूर सरकार से मुझे सबसे हाल की सूचना यह मिली है कि हाल के कुछ महीनों में उसकी खपत लगभग पांच लाख पौंड बढ़ गई है, जबकि पहले वह केवल तीन लाख पौंड से कुछ ही अधिक थी । वे कुछ अतिरिक्त वित्तीय विनियोजन के लिये भी कुछ प्रबन्ध कर रहे थे। उस कारखाने विशेष के सम्बन्ध में तो वर्तमान स्थिति यही है ।

†**श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी** : जब कि भारत का एक मात्र वर्तमान कारखाना ही अपनी पूरी सामर्थ्य भर संतोषप्रद ढंग से कार्य हीं कर रहा है, तब फिर बंगाल और अन्य स्थानों में इतने कारखाने खोलने की क्या आवश्यकता है । क्या उपलब्ध रेशम की छीजन इन सभी कारखानों के लिये पर्याप्त होगी ?

†**श्री के० सी० रेड्डी** : भारत के भौगोलिक परिस्थिति के विचार से यह उचित ही है । ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां कती हुई रेशम मिलती है । मैसूर का कारखाना तो मद्रास और मैसूर राज्य में मिलने वाली छीजन पर ही निर्भर करता है । उसका उत्पादन लगभग पांच लाख पौंड है । और मद्रास तथा मैसूर राज्यों की छीजन उस कारखाने के लिये करीब-करीब पर्याप्त ही होगी । आसाम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में भी रेशम की छीजन मिलती है, और इसीलिये वहां भी कते हुये रेशम के कुछ कारखाने स्थापित करने का विचार किया जा रहा है ।

†**श्री मादिया गौडा** : क्या चेन्नापत्तनम् के कते हुये रेशम के कारखाने के सरकारी अधिकार में आ जाने के बाद उसके पूरी सामर्थ्य से कार्य करनी की आशा है ?

†**श्री के० सी० रेड्डी** : माननीय सदस्य बहुत अधिक कल्पना से काम ले रहे हैं । मैसूर सरकार उसे अपने अधिकार में ले रही है या नहीं, इस विषय पर भी अभी उस सरकार को विचार करना है । केन्द्रीय सरकार को इस विषय में कुछ भी नहीं कहना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खनन संस्था, कोट्टागुडम

†१६७८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद सरकार ने कोट्टागुडम में एक खनन प्रतिष्ठान की स्थापना की एक योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उस योजना को मंजूर कर लिया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) जी, हां । हैदराबाद सरकार ने दिसम्बर १९५५ में योजना आयोग के पास कोट्टागुडम (सिंगरैनी कोयला खदान) में एक खनन प्रतिष्ठान की स्थापना का एक प्रस्ताव भेजा था, जिसकी अनुमि लागत आवर्तक ६६,४२३ लाख रुपये और अनावर्तक ६·४३ लाख रुपये है ।

(ख) इस प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या इसके व्यय का भार केन्द्रीय सरकार उठायेगी, या राज्य सरकार भी उसमें अंशदान देगी ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : राज्य सरकार ने बताया था कि वह इस योजना में धन लगाने की स्थिति में नहीं होगी और इसीलिये उसका सारा व्यय केन्द्र को ही करना पड़ेगा ।

†**डा० रामा राव** : देश में खनन इंजीनियरों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुये, और इस कारण भी कि देश भर में केवल धनबाद में ही एक खनन स्कूल है,क्या सरकार इस स्थान को एक खनन स्कूल की स्थापना करने के लिये लेगी ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : प्रविधिक विशेषज्ञों, खनन इंजीनियरों आदि सभी के लिये प्रशिक्षण सुविधायें जुटाने का प्रश्न योजना आयोग के समक्ष रहा है । जून, १९५५ में उसने इसके लिये एक सम्मेलन भी बुलाया था । उसके बाद उत्पादन मंत्रालय ने भी एक सम्मेलन बुलाया था । उसने दो उपसमितियां भी नियुक्त की थीं, और उनमें से एक उपसमिति ने १४ प्रशिक्षा केन्द्र स्थापित किये जाने की सिफारिश भी की थी, जिनमें से एक केन्द्र सिंगरैनी था । इतने सब के बाद भी उसके लिये अभी और अधिक छानबीन की आवश्यकता है, जो अन्य स्तरों पर भी की जा रही है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सत्य है कि मध्य प्रदेश में जो नया इन्स्टिट्यूट (प्रतिष्ठान) कोर्बा में खुला है, उसने माइनिंग इन्स्टिट्यूट (खनन प्रतिष्ठान) बनाने के लिये दर्ख्वास्त दी है या अपने विचार प्रकट किये हैं कि वहां पर माइनिंग इस्न्टिट्यूट खोलने में फैसिलिटी (सुविधा) होगी ?

श्री एस० एन० मिश्र : मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है ?

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : यदि यह खनन प्रतिष्ठान स्थापित किया जाता है और जब भी वह स्थापित किया जाता है, तो क्या वह केन्द्रीय सरकार की लागत पर किया जायेगा, या उसके लिये कोयला उपकर निधि में से राशि ली जायेगी ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में पहले भी बता चुका हूं कि राज्य सरकार ने पहले ही बता दिया था कि उसमें केंद्रीय सरकार को ही रुपया लगाना पड़ेगा । लेकिन, उत्पादन मंत्रालय का तो यह मत है कि अन्य मामलों की भांति इसमें भी इसके वित्त का प्रबन्ध कोयला खदानों को या कोयला खदानों को मिलने वाले ऋणों में से ही किया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पी० सी० बोस** : क्या यह सच नहीं है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्य सरकारों के धन से ही संचालित कई खनन सम्बन्धी भाषण-केन्द्र हैं, और क्या हैदराबाद तथा मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही प्रबन्ध नहीं किये जा सकते ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है ।

सीमेन्ट कारखाने

†*१६७९. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १० अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं राज्य सरकारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सीमेन्ट कारखाने आरम्भ करने की अनुज्ञप्तियां दिये जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने;

(ग) उसमें कितना व्यय होगा; और

(घ) इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या आंध्र राज्य ने नागार्जुनसागर में एक सीमेंट कारखाना आरम्भ करने के हेतु लाइसैंस के लिये आवेदन पत्र दिया था, यदि हां, तो उसका क्या हुआ ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : इस समय तो किसी राज्य का इस प्रकार का कोई सुझाव हमारे सामने नहीं है ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या यह सच नहीं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आंध्र राज्य सरकार ने लाइसैंस मांगा था ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : एक समय था जब कि वह एक कारखाना स्थापित करने के बारे में विचार कर रहे थे । मुझे केवल इतनी ही जानकारी है । परन्तु बाद में कोई और बीच में पड़ गया और स्वयं कारखाना स्थापित करने की बजाय वह उसे स्वीकृति देने को तैयार है ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या किसी ग़ैरसरकारी उपक्रम को लाइसैंस देते समय आंध्र राज्य सरकार के आवेदन-पत्र पर भी विचार किया गया था, और यदि हां, तो क्या राज्य की बजाय उस ग़ैर सरकारी व्यक्ति को लाइसैंस दिया गया था ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : श्रीमान, यह ठीक नहीं है क्योंकि अनुज्ञापन समिति का यह तरीक़ा है कि जब भी कभी किसी राज्य सम्बन्धी मामले का निर्णय करना होता है तो यह कार्य सामान्यत: सभी प्रमुख राज्यों के उद्योग निदेशकों और सम्बन्धित राज्य के उद्योग निदेशकों या विकास सचिवों की उपस्थिति में दिया जाता है । अत: यदि कोई निर्णय किया गया था तो वह आंध्र राज्य सरकार के पूर्ण संज्ञाण से किया गया था ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या नई सूत्रित की जाने वाली औद्योगिक नीति में सीमेंट के उत्पादन को पूर्णतया ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के लिये ही रक्षित रखा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : नई औद्योगिक नीति के बारे में मुझे ज्ञात नहीं है । जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा उसे सूत्रित किया जा रहा है । उसका क्या परिणाम होगा, यह मैं नहीं जानता परन्तु इस समय किसी भी विशेष वर्ग के लिये कुछ भी रक्षित नहीं किया गया है ।

†**श्री सी० डी० पांडे** : श्रीमान, क्या मैं प्रश्न संख्या १६५१ पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य को उसके लिये प्राधिकार प्राप्त है ?

†**श्री सी० डी० पांडे** : नहीं, श्रीमान, परन्तु ऐसी ही प्रथा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसी कोई प्रथा नहीं है । मैं इसकी स्वीकृति नहीं दे रहा हूं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : श्रीमान, क्या नियमों के अन्तर्गत यह सम्भव नहीं कि यदि प्रश्न महत्वपूर्ण हो तो उसे कोई अन्य सदस्य पूछ सके ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि नियमों के अन्तर्गत यह सम्भव है, तो यह भी सम्भव है कि अध्यक्ष उस पर सहमत न हो, मैं इसकी स्वीकृति नहीं दे रहा हूं, जो माननीय सदस्य प्रश्न भेजते हैं वह इतना कष्ट भी नहीं करते कि किसी अन्य सदस्य को प्राधिकार दे दें । मैं इसको प्रोत्साहन क्यों दे दूं ?

†**श्री एस० एस० मोरे** : श्रीमान, इसमें जनता की ही हानि है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अन्त में उसे लूंगा ।

संश्लेषित तेल संयन्त्र

*१६६०. **डा० रामा राव** : (**श्री टी० बी० विट्ठलराव की ओर से**): क्या **उत्पादन** मंत्री २१ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ समिति ने उसके पश्चात् दो जर्मन सार्थों और अमरीकन सार्थ द्वारा प्रस्तुत किये गये संश्लेषित तेल संयन्त्र की स्थापना सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदनों का अंतिम रूप से परीक्षण कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अब विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है ।

†**डा० रामा राव** : क्या यह सच है कि इस संयन्त्र को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का निश्चय किया गया है जैसा कि हाल ही में समाचार पत्रों में कहा गया था ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : संयन्त्र की स्थापना के बारे में अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है । यदि कभी इसकी स्थापना की गई तो मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में उसके स्थापित किये जाने की संभावना नहीं है ।

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : वह किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है ।

हथकरघा उद्योग

†*१६६४. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** (**मुल्ला अब्दुल्लाभाई की ओर से**) : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २८ जुलाई, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की

---

†मूल अंग्रेजी में

कृपा करेंगे कि १९५५-५६ के लिये मध्य प्रदेश सरकार को हथकरघा उद्योग के विकास के लिये अनुदान के रूप में कितनी धन-राशि दी गई है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : ६,८१,४४३ रुपये ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या स्वीकृत की गई समस्त धन राशि व्यय की जा चुकी है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : जब तक कि माननीय सदस्य एक अलग प्रश्न नहीं पूछते मैं यह नहीं बता सकूंगा ।

†**श्री सी० डी० पांडे** : मैंने निवेदन किया था कि प्रश्न संख्या १६५१ का उत्तर देने का निदेश दिया जायें; उसका क्या हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब उसका उत्तर दे दिया जाये ।

बर्मा को भारतीय वस्त्र का निर्यात

†*१६५१. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा ने भारतीय वस्त्र खरीदने की इच्छा प्रकट की है ?

(ख) यदि हां, तो क्या कोई बातचीत की गई है; और

(ग) बर्मा द्वारा कितने मूल्य का कपड़ा खरीदने का प्रस्ताव किया गया है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान् । एक क्रय मिशन, जिसके नेता ब्रह्मा की संघ सरकार में वित्त तथा राजस्व मंत्री माननीय यू० तिन थे, हाल ही में भारतीय वस्त्र खरीदने के लिये भारत आया था ।

(ग) ब्रह्मा को निर्यात के लिये ४९ लाख रुपये के वस्त्र का संभरण किया जायगा ।

†**श्री सी० डी० पांडे** : देश में वस्त्र के उत्पादन पर लगाये गये प्रतिबन्धों को देखते हुये क्या सरकार को इस बात का सन्तोष है कि वस्त्र के निर्यात की काफी गुंजाइश है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर कि हम एक पक्षीय रूप से विचार करते हैं ; हमें विदेशी विनिमय प्राप्त करने के बारे में भी विचार करना होता है । जब भी कभी कोई ऐसा मामला होता है हमें दोनों परस्पर विरोधी बातों का समन्वय करना पड़ता है ।

†**श्री सी० डी० पांडे** : क्या वस्त्र का उत्पादन इतना बढ़ाने में कोई कठिनाई है जिससे कि उसका निर्यात किया जा सके ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : यह पृथक् विषय है; ब्रह्मा को वस्त्र के निर्यात के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या इस परिमात्रा में हथकरघे से बना वस्त्र भी सम्मिलित है; यदि हां, तो कितना ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : जहां तक मुझे जानकारी है यह सब मिल का बना पड़ा है । एकक मद तौलियों के सम्बन्ध में है । सम्भवत: तौलिये भी मिल के बने हुये ही ह ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लंका सुन्दरम्** : मंत्री महोदय ने अभी-अभी विदेशी विनिमय की रियायती दर के बारे में कहा। क्या मैं जान सकता हूं कि बर्मा के साथ किये गये इस सौदे में हमें कितना लाभ होगा ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : ४९ लाख रुपये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लाओस में भारतीय युद्ध-विराम सन्धि-आयोग

†***१६५०. श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, १९५६ के अन्तिम सप्ताह में उत्तर-पूर्वी लाओस में लाओस की शाही सेना और पाथेट लाओ सेना में मुठभेड़ हुई थी;

(ख) क्या युद्ध विराम सन्धि आयोग के एक भारतीय सदस्य को चोट आई थी; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (के) जी हां, २१ जनवरी, १९५६ को हुई थाओं में लाओस की शाही सेना और पाथेट लाओ सेना में मुठभेड़ हुई थी ।

(ख) एक भारतीय सिगनल मैन के० एस० मैनन को, जो अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के उपदल के साथ ड्यूटी पर था, बायें घुटने के नीचे गोली लगी थी ।

(ग) भारत सरकार ने आयोग से दोनों कमांडों को इस दुर्घटना की गम्भीरता को दृढ़ और स्पष्ट शब्दों में और अपराधियों को दण्ड देने की आवश्यकता दोनो हाई कमांडों को बता देने को कहा है ।

रेल पटरी का आयात

†***१६५३. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीटर लाइन और बड़ी लाइन की पटरी सम्बन्धी मांग देशीय संसाधनों से पूरी हो जाती है; और

(ख) यदि नहीं, तो १९५१ के पश्चात अब तक कितनी रेल पटरी का आयात किया गया है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) रेल पटरी का आयात इस प्रकार है :

१९५१	कुछ नहीं
१९५२	कुछ नहीं
१९५३	कुछ नहीं
१९५४	१४,९५६ टन
१९५५	४२,७३३ टन
१९५६ (जनवरी और फरवरी)	११,८२० टन

अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण

†***१६६१. श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये अणु शक्ति के विकास के अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण की स्थापना के सम्बन्ध में विश्व-सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : तिथि और स्थान के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। सितम्बर में सम्मेलन करने का सुझाव दिया गया है।

ढलाई के कारखाने

†*१६६९. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में चार ढलाई के कारखाने स्थापित करने का निश्चय किया है;

(ख) याद हा, तो उन्हें किन स्थानों पर खोला जायेगा; और

(ग) प्रत्येक ढलाई के कारखाने पर कितना व्यय होने की सम्भावना है और उसमें कितने श्रमिकों के रखे जाने की संभावना है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) से (ग). सरकार एक भट्टी घर के साथ-साथ एक ढलाई कारखाना स्थापित करने के लिये एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिये कार्यवाही कर रही है। कितने ढलाई के कारखाने स्थापित किये जायेंगे, इस बारे में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार होने के पश्चात कुल लागत का अनुमान और नियुक्त किये जाने वाल श्रमिकों की संख्या जानी जा सकेगी, स्थान के बारे में भी तभी निश्चय किया जायेगा।

कलकत्ता प्रपत्र भंडार

†*१६७१. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार का प्रपत्र भंडार कार्यालय शीघ्र ही कलकत्ता से ज़िला हावड़ा में संतरा गाद्दी स्थान पर ले जाया जाने को है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नये कार्यालय में जाने के लिये उक्त कार्यालय के कर्मचारियों को जो अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा उसके लिये उन्हें कोई विशेष सवारी भत्ता देने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार को इस विषय में कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन मिला है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के संभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) भारत सरकार प्रपत्र भंडार, कलकत्ता का कुछ भाग अस्थायी रूप से सन्तरागाद्दी में ले जाया जा रहा है।

(ख) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

(ग) हां, श्रीमान्।

सीटो शक्तियों को विरोध-पत्र

†*१६७४. **श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सीटो शक्तियों द्वारा उनके कराची में हुये पिछले कराची सम्मेलन में किये गये काश्मीर के अनावश्यक उल्लेख का जो भारत ने विरोध किया था क्या उसका उत्तर प्राप्त हो गया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : नहीं, श्रीमान्।

---

†मूल अंग्रेजी में

नंगल उर्वरक कारखाना

†*१६७६. **श्री गाडिंलिंगन गौड़** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं कि नंगल उर्वरक कारखाना भी भाखड़ा के जल विद्युत् संभरण के साथ-साथ अक्तूबर, १९५९ में पूरा हो जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या शिल्पिक कर्मचारियों की भर्ती और उनके प्रशिक्षण का कोई विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ग) क्या कुछ कर्मचारियों को विदेशों में विशेष प्रशिक्षण दिलाने का प्रबन्ध किया गया है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) विदेशों में विशेष प्रशिक्षण दिलाने का प्रबन्ध करने के प्रश्न पर परियोजना के लिये शिल्पिक परामर्शदाताओं को नियुक्त किये जाने और संयन्त्रों और प्रक्रियाओं के अन्तिम रूप से चुनाव किये जाने के पश्चात ही विचार किया जायेगा ।

ऊष्मसहों (रिफ्रेक्टरीज़) का निर्माण

†*१६७७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में ऊष्मसहों (रिफ़्रैक्टरीज) के निर्माण के सम्बन्ध में एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रियन फर्म से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दामोदर घाटी निगम

†*१६८०. **श्री जी ० पी० सिन्हा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दामोदर घाटी निगम के अधिकांश कर्मचारियों की छटनी के विरुद्ध एक सामान्य हड़ताल किये जाने की सूचना मिली है;

(ख) उन फ़ालतू कर्मचारियों की संख्या क्या है, जिन्हें अन्य विभिन्न परियोजनाओं में सेवायुक्त किये जाने की आशा है; और

(ग) दामोदर घाटी निगम मुख्यालय को कलकत्ते से रांची स्थानांतरित करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) सिंचाई और विद्युत् मंत्री शीघ्र इस स्थिति के सम्बन्ध में सदन में एक विस्तृत विवरण देंगे ।

(ग) माननीय सदस्य का ध्यान श्री एल० एन० मिश्र के प्रश्न संख्या ७५३ के उत्तर में २५ जुलाई, १९५५ को सभा पटल पर रखे गये उस विवरण की ओर दिलाया जाता है, जिसमें मख्यालय के कलकत्ते से रांची हटाये जाने के बारे में स्थिति बताई गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी इमारतों का किराया

†१३०६. **श्री हेम राज** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५५-५६ में सरकार द्वारा बनाई गई इमारतों के वार्षिक किराये की कुल राशि का अनुमान क्या है;

(ख) कुल कितना किराया वसूल किया गया है; और

(ग) १६५५-५६ का कितना किराया वसूल होना बाकी है और १६५४-५५, १६५३-५४ और १६५२-५३ का कितना किराया वसूल होना बाकी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) ७८·२५ लाख रूपये ।

(ख) ६८·४७ लाख रुपये ।

		रुपये
(ग)	१६५५-५६	६·७८ लाख*
	१६५४-५५	२·६७ ,,
	१६५३-५४	१·३६ ,,
	१६५२-५३	१·२६ ,,

*इसमें लगभग पांच लाख रुपये की कमी हो जाने की संभावना है, क्योंकि लेखा या कोष अधिकारियों या कार्यालयों के अध्यक्षों द्वारा मार्च १६५६ तक की गई वसूलियों का समयोजन १६५५-५६ के अनुपूरक लेखों में किया जायेगा, जो कि सितम्बर, १६५६ तक खुले रहते हैं ।

तेल शोधक कारखाने

†१३१०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कुल कितने भारतीय नागरिकों को विभिन्न तेल शोधक कम्पनियों द्वारा तेल शोधक कारखानेवार प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५५**]

शल्य क्रिया उपकरणों आदि के लिये तालिका

†१३११. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस तालिका ने जिसे सरकार ने भारत में शल्य-उपकरणों तथा सम्बन्धित समस्याओं के उत्पादन के विकास के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के सुझाव देने के लिये नियुक्त किया गया था, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) अभी नहीं । तालिका की उद्घाटन बैठक २८ फरवरी, १६५६ को हुई थी और उसकी रिपोर्ट उपलब्ध होने में कुछ समय लगेगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

घानी का तेल

†१३१२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक सरकार ने राज्यवार कुल कितने आदर्श घानी केन्द्र स्थापित किये हैं;

(ख) चालू वर्ष में राज्यवार ऐसे कितने केन्द्र खोले जाने हैं ; और

(ग) घानियों को अनुसहाय्य देने के लिये चालू वर्ष में कुल कितनी राशि की मंजूरी दी जायेगी ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने इस प्रयोजन के लिये ६ लाख रुपये के व्यय का—तीन लाख अनुदान के रूप में और तीन लाख ऋण के रूप में—सुझाव दिया है और यह सुझाव विचाराधीन है ।

ताड़ गुड़ उद्योग

†१३१३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताड़ गुड़ उद्योग में प्रशिक्षण देने के लिये मध्य प्रदेश, मध्य भारत, पंजाब और पैप्सू राज्यों में चार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ये किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) इन का ब्यौरा क्या है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) से (ग). संभवतः माननीय सदस्य उन २० प्रशिक्षण केंद्रों की ओर निर्देश कर रहे हैं—मध्य प्रदेश, मध्य भारत, पंजाब और पैप्सू में से प्रत्येक के लिये ५ हैं—जिन की मंजूरी १९५४-५५ में दी गई थी । यदि ऐसा है, तो स्थिति इस प्रकार है—इन केन्द्रों के लिये १९५४-५५ में इन राशियों की मंजूरी दी गई थी (इन में स्थापना व्यय और यात्रा भत्ता सम्मिलित नहीं है)

(१) प्रत्येक केन्द्र के व्यय का ब्योरा :		
(१) २० प्रशिक्षार्थियों को ३० रुपये प्रति मास की दर से ३ मास के लिये छात्रवृत्तियां		१,८००
(२) २० प्रशिक्षार्थियों को प्रति प्रशिक्षार्थी ५० रुपये का सामान		१,०००
(३) २० प्रशिक्षार्थियों को १५ रुपये प्रति प्रशिक्षार्थी के हिसाब से यात्रा व्यय		३००
(४) शेड बनाना		१,५००
(५) केन्द्र के लिये औज़ार और सामान आकस्मिकता		१,५००
	कुल	६,१००
पांच केन्द्रों का व्यय		३०,५००
(२) एक राज्य में केन्द्रीय संगठन का व्यय :		
(१) प्रचार		२,०००
(२) स्लाइडों के साथ मैजिक लैन्टर्न की लागत		१,०००
(३) एक अच्छे नीरा इवैपोरेटर की लागत		३,०००
	कुल	६,०००
प्रत्येक राज्य के लिये योग		३६,५००
चार राज्यों के लिये योग		१,४६,०००

†मूल अंग्रेजी में

(३) प्रत्येक राज्य के अधीन केन्द्रों के नाम ये हैं

राज्य के नाम	केंद्रों के नाम
१. मध्य भारत	१. गुलबाबाद
	२. कालाखेड
	३. चोभा
	४. रंगवासा
	५. धर्मपुरा
२. मध्य प्रदेश	१. केलवाद
	२. करेली
	३. कटेसेलू
	४. खेरदा
	५. रायपुर ज़िला
३. पंजाब	१. सरना
	२. राडौर
	३. मानी माजरा
	४. लोहिया खास
	५. ढलवां
४. पैप्सू	१. गाजीपुर
	२. छाट बिद
	३. सनौली
	४. नालागढ़
	५. दिवाली

एक्स-र सामान के लिए तालिका

†१३१४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस तालिका ने, जिसे सरकार ने देश में एक्स-रे सामान के उत्पादन के विकास के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का सुझाव देने के लिये नियुक्त किया था, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) अभी नहीं । तालिका की पहली बैठक २८-२-५६ को हुई थी और उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने में कुछ समय लगेगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों की सहकारी समितियां

†१३१५. **श्री बीरेन दत्त**: क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा कितनी सहकारी समितियां शुरू की गई हैं ;

(ख) उनमें से कितनी समितियों को सरकार से सहायता मिली है ; और

(ग) फरवरी १९५६ तक कितनी धन-राशि दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान में लोह प्रस्तर

†**१६१६. श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहां तक लौह प्रस्तर का सम्बन्ध है, राजस्थान एक निर्यातक राज्य है ;

(ख) यदि हां, तो १९५५-५६ में कितना लौह प्रस्तर निर्यात किया गया; और

(ग) ये किन बन्दरगाहों द्वारा निर्यात किया गया है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्तात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). समुद्रीय व्यापार लेखों में विभिन्न बन्दरगाहों द्वारा राजस्थान के लौह प्रस्तर के निर्यात के आंकड़े पृथक् रूप से नहीं रखे जाते हैं ।

भारतीय सरकार के व्यापार प्रतिनिधियों का सम्मेलन

†**१३१७. श्री बंसल** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नवम्बर-दिसम्बर १९५५ में पूर्व और पश्चिम एशिया में स्थित भारतीय सरकार के व्यापार प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था ;

(ख) इस बैठक में विदेशों की वाणिज्यिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था में किन सुधारों के किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई थी ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५६]**

ग्रामों में बिजली लगाना

†**१३१८. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी है कि दिसम्बर १९५५ तक विभिन्न राज्यों में कितने ग्रामों में बिजली की सुविधा दी गई ;

(ख) दामोदर घाटी निगम, भाखड़ा नंगल, हीराकुड आदि जैसी बड़ी नदी परियोजनाओं की बिजली से कितने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई गई है; और

(ग) क्या नागरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के मूल्यों में अन्तर है और यदि हां, तो कितना ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिसम्बर, १९५५ तक ६९४२ ग्रामों में बिजली लगाई गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जानकारी इस प्रकार है :—

(१) **दामोदर घाटी निगम :**

बिहार के पटना, गया, हज़ारीबाग, मानभूम, रांची और सिंहभूम ज़िलों को पहले ही से दामोदर घाटी निगम की बिजली मिल रही है। यह बिजली पश्चिमी बंगाल के लगभग २५०० वर्गमील के ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिल रही है।

(२) **भाखड़ा नंगल परियोजना :**

इस परियोजना से जिसे ऊहल व्यवस्था के साथ मिला दिया गया है, सारे पंजाब को लाभ पहुंचता है और दिसम्बर १९५५ तक कोई ६५० ग्रामों को बिजली मिल रही थी। पैप्सू में सारे राज्य को बिजली मिल सकेगी। अब तक यह २१ ग्रामों को दी गई है और राजस्थान के किसी गांव को अभी नहीं मिली।

(३) **हीरा कुड परियोजना :**

इस परियोजना की अभी निर्माण हो रही है और बिजली का संभरण अभी शुरू नहीं हुआ है।

(४) **मचकुण्ड परियोजना :**

वर्तमान बिजली व्यवस्थाओं से मिलाकर, इससे आंध्र राज्य के २९५ ग्रामों को बिजली मिलती है और उड़ीसा राज्य के किसी ग्राम को नहीं।

(ग) सामान्यतया संभारित किये जानेवाले समस्त क्षेत्रों में, चाहे वे ग्रामीण हों या नगरीय संभरण प्रधिकार द्वारा एक ही प्रकार की बिजली के लिये एक ही दाम लिये जाते हैं।

विदेशी राज्यों के अध्यक्षों के दोरे

†**१३१९. चौ० मुहम्मद शफी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १ सितम्बर, १९५५ से ३१ मार्च, १९५६ तक भारत आने वाले विदेशी राज्यों के अध्यक्षों के दौरों पर कुल कितना खर्च हुआ ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)** : विस्तृत जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५७]**

राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं और सामुदायिक परियोजनाओं पर नैपाली शिष्टमंडल का दौरा

१३२०. श्री विभूति मिश्र : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, १९५५ में नेपाली शिष्टमंडल ने सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार-योजनाओं को देखने तथा अध्ययन करने के लिये भोपाल का एक दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो कितने समय तक शिष्टमंडल वहां पर रहा और उन्हें अध्ययन करने के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधायें दी गईं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) दिसम्बर, १९५५ में कोई नेपाली शिष्ट-मंडल विशेषतया सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं के निरीक्षण अथवा अध्ययन के प्रयोजन से नेपाल नहीं गया। हां, दिसम्बर, १९५५ में एफ० ए० ओ० (खाद्य एवं कृषि संस्था) के तत्वाधान में एक कृषि प्रसार गोष्ठी हुई जसका परस्कर्ता भोपाल राज्य का कृषि मंत्रालय था। इस गोष्ठी में सब दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने, जिनमें भोपाल भी सम्मिलित था, भाग लिया। इन्होंने दो दिन के लिये सामुदायिक योजनाओं का क्षेत्रावलोकन किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गोष्ठी में भाग लेने वाले प्रतिनिधि ११ दिन भोपाल में ठहरे। सरकार की ओर से उन्हें सामुदायक क्षेत्रों का अध्यन करने के लिये कोई सुविधायें नहीं दी गईं सिवाये इसके कि विकास विभाग के कार्यकर्ता उन्हें साथ लेकर घुमा लाये जिसमें परिवहन व दूसरे व्यय का भार भी उन्होंने स्वयं सहन किया ।

ग्रामोफोन बनाने वाले कारखाने

†१३२१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में ग्रामोफोन बनाने वाले कारखानों को, उन से ग्रामोफोन खरीद कर या प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देकर या दोनों तरीकों से कोई प्रोत्साहन देती है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कारखानों के नाम क्या हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) सरकार द्वारा ग्रामोफोन बनाने वाले कारखानों से ग्रामोफोन खरीदे जाने के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । इन कारखानों को सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है और न ही सरकार को उन से ऐसी किसी सहायता के लिये कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बाईसिकलें

†१३२२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जुलाई, १९५५ से भारत में कितनी बाईसिकलें तैयार की गई हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५८]**

विस्थापित व्यक्तियों के लिए ग्रामीण और नगरीय गृह-निर्माण योजनाएं

†१३२३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य को विस्थापित व्यक्तियों के लिये नगरीय और ग्रामीण गृह-निर्माण योजनाओं की क्रियान्विति के लिये दिये गये ५० लाख रुपये की रशि को किस प्रकार व्यय किया जायेगा;

(ख) कलकत्ता से बहुत दूर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या कितनी है और इस प्रयोजन के लिये उसके कौन से उपनगर चुने गये हैं ;

(ग) क्या त्रिपुरा, आसाम, बिहार और उड़ीसा राज्यों को भी इस प्रयोजन के लिये ऐसी ही राशियां आवंटित की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक को कितनी राशि दी गई है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) २५ लाख रुपये नगरीय और २५ लाख रुपये ग्रामीण गृह-निर्माण योजनाओं के लिये हैं । इस राशि का कुछ भाग स्वयं सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में मकानों के निर्माण पर व्यय किया जायेगा, और शेष राशि विस्थापित व्यक्तियों को गृह-निर्माण ऋणों के रूप में दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न के भाग (क) में निर्देशित ग्रामीण गृह निर्माण योजनाओं के लिये आवंटित राशि में से पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में विस्थापित व्यक्तियों को ऋण दिये जायेंगे ।

(ग) हां ।

(घ) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५९]**

सीमा विवादों के सम्बन्ध में भारत-पाकिस्तान अधिकारी सम्मेलन

†१३२४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दिसम्बर में गितालडह में कूच-बिहार और रंगपुर के प्रश्नों के सम्बन्ध में भारत व पाकिस्तान के ज़िला अधिकारियों के कुछ सम्मेलन हुये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितनी बैठकें हुई थीं ; और

(ग) सीमा व्यापार, सीमा अपराध, विवादग्रस्त बस्तियों, तमाखू उगाने वालों के पंजीयन आदि बातों के सम्बन्ध में किन-किन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी और क्या अन्तिम निर्णय किये गये थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). विगत १० दिसम्बर, १९५५ को गितालडह में कूचबिहार (पश्चिम बंगाल) और रंगपुर (पूर्व बंगाल) के ज़िलों के कुछ अधिकारियों का केवल एक सम्मेलन हुआ था ।

(ग) सम्मेलन में कई प्रश्नों पर, जिनमें सीमा व्यापार, सीमा अपराध, समावृत्त बस्तियों में तमाखू ऊगाने वाले व्यक्तियों का पंजीयन आदि विषय सम्मिलित हैं ; चर्चा की गई थी ।

सम्मेलन में चर्चा के दौरान जिन विभिन्न मामलों के सम्बन्ध में निर्णय किया गया था उनका स्वरूप अधिकांशतः सिफारिशी है और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस समय उन की जांच की जा रही है ।

भोपाल में सीमेंट कारखाना

†१३२५. **श्री गाडिलिंगम गौड़** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल सरकार ने बूंदी और बरखेड़ा के बीच एक सीमेंट के कारखाने की स्थापना की योजना का सम्मोदन किये जाने के लिये योजना आयोग को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या उक्त स्थानों के बीच के क्षेत्र में चूने का पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** :(क) भोपाल सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी अपने प्रारूप प्रस्तावों में एक सीमेन्ट कारखाने की स्थापना की एक योजना को सम्मिलित किया है जिसके लिये एक करोड़ रुपये का संकेतिक उपबन्ध बताया गया था ।

(ख) इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) इस योजना पर योजना आयोग द्वारा विचार किया गया था और यह सोचा गया था कि चूंकि इस उद्योग के विकास में ग़ैर-सरकारी उपक्रम द्वारा काफी अभिरूचि दिखाई गई है इसलिये एक सीमेन्ट कारखाने की स्थापना में भोपाल राज्य सरकार द्वारा पूंजी लगाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी । इसके अतिरिक्त राज्य की सीमेन्ट की मांग भी इतनी अधिक नहीं थी जो सीमेंट कारखाने की स्थापना का समर्थन कर सके । यह भी स्पष्ट नहीं था कि राज्य में चूने के पत्थर और अन्य कच्चे माल

†मूल अंग्रेजी में

की उपलब्धि के सम्बन्ध में कोई आवश्यक सर्वेक्षण किया गया था या नहीं। इन सब बातों को देखते हुये, भोपाल सरकार को इस योजना को त्याग देने और यदि राज्य में कच्चे माल की उपलब्धि और मांग एक सीमेंट कारखाने की स्थापना समर्थन करती हों तो किसी ग़ैर-सरकारी दल को सीमेंट कारखाने की स्थापना के लिये प्रोत्साहित करने की मंत्रणा दी गई थी।

विस्थापित व्यक्तियों का पश्चिमी प्रदेश सम्मेलन

†१३२६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५ और १९५६ में विस्थापित व्यक्तियों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिये पश्चिमी प्रदेश की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और संसद् सदस्यों का कोई समेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस में हुई चर्चा का स्वरूप क्या था और क्या निर्णय किये गये थे; और

(ग) उक्त निर्णयों की क्रियान्विति के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) पश्चिमी प्रदेश की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन जुलाई, १९५५ में हुआ था। इसमें कुछ संसद् सदस्यों ने भी मंत्रालय के मंत्रणा बोर्ड के सदस्य होने के नाते भाग लिया था। इस वर्ष अब तक कोई सम्मेलन नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ६०**]

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

†१३२७. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों में से कुछ को बिहार के पूर्निया ज़िले में बसाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो वहां बसाये जाने वाले लोगों की संख्या क्या है ; और

(ग) जिन स्थानों में उनके बसाने की प्रस्थापना है उनके नाम क्या हैं ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) इस सम्बन्ध में बिहार सरकार से अभी तक कोई विशिष्ट प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

प्रधान मंत्री का राष्ट्रीय सहायता कोष

†१३२८. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : ३१ जनवरी, १९५६ तक प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : ३१ जनवरी, १९५५ को प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष की जो स्थिति थी वह इस प्रकार है :

नवम्बर, १९४७ में कोष के स्थापित किये जाने के बाद से

	रु० आ० पा०
३१ जनवरी, १९५६ तक की कुल प्राप्तियां	१,६२,३९,५७९–२–४
उक्त अवधि में किया गया कुल व्यय	१,३७,९५,०६९–४–४
३१ जनवरी, १९५६ को बकाया	२४,४४,५०९–१४–०

†मूल अंग्रेजी में

आकाशवाणी

†१३२९. **श्री गाडिलिंगन गौड़**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के धारवाड़ केन्द्र द्वारा १९५४-५५ और १९५५-५६ में कितने नये कलाकारों की खोज की गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : १९५४-५५ और १९५५-५६ में आकाशवाणी धारवाड़ के केन्द्र द्वारा अनुमोदित नये कलाकारों की संख्या क्रमशः ९६ और १४१ थी। इसके अतिरिक्त लोकगीत गायकों के ९ नये दल १९५४-५५ में और १६ दल १९५५-५६ में अनुमोदित किये गये थे।

पंजाब राज्य में विस्थापित व्यक्ति

†१३३०. { **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य में अब तक विस्थापित व्यक्तियों के लिये कितने निवास स्थान, मकान और दुकानें बनाई गई हैं ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** :

२६,४१४ मकान ।
१०,२२३ कुटीरें ।
६२० दुकानें ।

नगरीय निष्क्रान्त सम्पत्ति

१३३१. डा० सत्यवादी : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितनी नगरीय निष्क्रान्त-सम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन हो चुका है ;

(ख) विभिन्न राज्यों में ऐसी सम्पत्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) पुनर्मूल्यांकन से पहले उनकी कीमत क्या थी;

(घ) पुनर्मूल्यांकन के बाद उनकी क्या कीमत रखी गयी ; और

(ङ) उनमें कितनी सम्पत्तियां ऐसी हैं जिनकी कीमत पहले दस हज़ार से कम आंकी गई थी ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : माननीय सदस्य जो जानकारी चाहते हैं, वह उपलब्ध नहीं है। ऐसे आंकड़ों के एकत्रित करने में जितनी मेहनत लगेगी उसके बराबर प्राप्त होने वाला परिणाम नहीं होगा ।

विस्थापित शिक्षा संस्थायें

†१३३२. **डा० सत्यवादी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान की विस्थापित शिक्षा संस्थाओं के नाम क्या हैं और १९५४-५५ और १९५५-५६ में सरकार द्वारा पंजाब राज्य में कितने आर्थिक सहायक अनुदान दिये गये हैं ; और

(ख) ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनके बारे में राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई है और जिनका मामला अभी भी विचाराधीन है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) दो विवरण लोक-सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ६१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य सरकारों द्वारा जिन शिक्षा संस्थाओं के बारे में सिफारिश की जाती है उन सभी मामलों पर साधारणतः वित्तीय वर्ष के दौरान में निधियों के आवंटन के लिये प्रत्येक मामले के गुणों के आधार पर और समय-समय पर निर्धारित की गई सामान्य नीति के अनुसार विचार किया जाता है। अगले वित्तीय वर्ष में विचार किये जाने के लिये कोई मामले लम्बित नहीं रखे जाते हैं।

हाबरा-बैगाची शरणार्थी बस्ती

†**१३३३. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की हाबरा-बैगाची बस्ती (ग्रामीण और नगरीय) के बारे में विकास समिति द्वारा सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) हां।

(ख) विकास समिति की उपपत्तियों को देने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ६२]**

उड़ीसा में इंजीनियरिंग कालिज

†**१३३४. श्री संगण्णा** : क्या **योजना** मंत्री ३० नवम्बर, १९५५ को उड़ीसा में एक इंजीनियरिंग कालिज खोले जाने के बारे में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में क्या प्रगति की गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : इस योजना को राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

पिछड़े हुये क्षेत्रों का विकास

†**१३३५. श्री भीखा भाई** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के पास विभिन्न राज्यों के पिछड़े हुये क्षेत्रों और प्रदेशों के लिये उचित योजना बनाने और उन क्षेत्रों के विकास करने के लिये आवश्यक आंकड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों, सामुदायिक विकास खंडों अथवा सामाजिक परियोजनाओं का आवंटन उक्त आंकड़ों के आधार पर किया जाता है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) समुचित प्रकार के निर्देशकों को उद्विकसित करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में विकास स्तर सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन करने में योजना आयोग व्यस्त है।

(ख) राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक परियोजना खंडों के लिये क्षेत्रों का चुनाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जो अधिक पिछड़े हुये प्रदेशों की आवश्यकताओं पर यथोचित विचार करती है।

त्रिपुरा में आदिम जातीय शरणार्थी

†**१३३६. श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के आदिम जातीय शरणार्थियों को अब तक दिये गये अथवा मंजूर किय गये न्यूनतम और अधिकतम ऋण की राशि कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि आदिम जाति के किन्हीं भी शरणार्थियों को प्रति परिवार ५५० रुपये से अधिक ऋण नहीं दिया गया है ; और

(ग) त्रिपुरा के आदिम जातीय शरणार्थियों के प्रति सरकार की निश्चित नीति क्या है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को अनुज्ञय पुनर्वास ऋण के विभिन्न मापमानों को बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ६३]** आदिम जाति के और गैर-आदिम जाति के विस्थापित व्यक्तियों के लिये मापमान एक समान ही है।

(ख) नहीं ।

(ग) विस्थापितों के पुनर्वास के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति आदिम जातियों के विस्थापित व्यक्तियों और अन्य विस्थापितों के लिये एक ही है।

कलकत्ता में निवास स्थान

†१३३७. **श्री रामा नन्द दास** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के २५० रुपये तक वेतन पाने वाले उन कर्मचारियों के लिये, जो कलकत्ता में और उपनगरीय क्षेत्रों में स्थित हैं, निवास स्थानों का उपबन्ध करने के लिये अब तक सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का स्वरूप क्या है;

(ख) कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के इन विशिष्ट विभागों (डाक व तार विभाग ; आयकर, रेलवे आदि) के कर्मचारियों की प्रतिशतता कलकत्ता के उन कर्मचारियों की कुल संख्या की तुलना में कितनी है जिन्हें कि सरकारी निवास स्थान प्राप्त है ;

(ग) कलकत्ता स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों के ऐसे कर्मचारियों की प्रतिशतता जिन्हें कि सरकारी निवास स्थान प्राप्त है, कलकत्ता में नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या की तुलना में कितनी है ; और

(घ) इस बात को देखते हुये कि कलकत्ता में निवास स्थान का प्रश्न विकट है, कलकत्ता स्थित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को निवास स्थान देने का उपबन्ध करने के लिये जैसा कि दिल्ली में किया गया है, क्या अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) श्रेणियां 'जी' और 'एच' के ६०० नये क्वार्टरों के निर्माण की मंजूरी दी गई है जिनमें दो सौ रुपये या इससे अधिक किन्तु तीन सौ पचास रुपये से कम और दो सौ रुपये से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों के सभी वर्ग सम्मिलित होंगे। इनमें से २६१ क्वार्टरों के अगले दो महीनों में तैयार हो जाने की आशा है।

(ख) और (ग). क्योंकि केवल ऐसे व्यक्तियों से ही आवेदन-पत्र लिये जाते हैं जो कोई निजी निवास स्थान प्राप्त नहीं कर सके हैं इसलिये इस सम्बन्ध में पूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) ६०० रुपये और इससे अधिक वेतन पाने वाले अफसरों के लिये और ६०० रुपये से कम वेतन पाने वाले अफसरों के लिये क्रमश: १०० और ६५० क्वार्टरों के निर्माण की सरकार ने मंजूरी दी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन) अधिनियम, १९५१

†१३३८. **श्री वल्लाथरास** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८, उपधारा (२) के अंतर्गत कोई बोर्ड या प्राधिकार नामांकित किया गया है और कार्य कर रहा है ;

(ख) १९५१ से १९५६ में अब तक बोर्ड या नामांकित प्राधिकार को न्यायाधिकरणों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों की संख्या और न्यायाधिकरणों द्वारा दी गई डिग्रियों की संख्या कितनी है ;

(ग) डिग्रियों और निष्पादन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में आदेशों और अन्तिम आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में दायर की गई अपीलों की संख्या क्या है ; और

(घ) न्यायाधिकरण, न्यायालयों, अपीलों और निष्पादन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में दावेदारों द्वारा दावों की वसूली में होने वाले विलम्ब को अनुमति देने अथवा कम करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने की प्रस्थापना है ?

†**उत्पादन-उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) हां। किन्तु उसने अभी कार्य प्रारम्भ नहीं किया है।

(ख) ८; न्यायाधिकरण द्वारा अभी कोई डिग्री नहीं दी गई है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) बीमा दावा बोर्ड नियमों के नियम ४ (२) के उपबन्धों के अनुसार, जिस दावे की डिग्री की जानी चाहिय उसकी राशि निश्चित करने में, बोर्ड को इसके साथ ही अधिकरण द्वारा निश्चित की गई बीमा कम्पनी के विरुद्ध हुई क्षति की कुल राशियों का ध्यान भी रखना पड़ता है। इसलिये, बोर्ड तब तक अपने कार्य को आरम्भ नहीं कर सकता है जब तक कि किसी बीमा कम्पनी के विरुद्ध दिये गये सभी आवेदन पत्र विभिन्न अधिकरणों के द्वारा निबटा नहीं दिये जाते हैं। इसलिये, उच्च न्यायालयों के ज़रिये से अधिकरणों से अपनी विचाराधीन अर्ज़ियों का शीघ्र निबटारा करदेने का अनुरोध किया गया है।

निष्क्रांत सम्पत्ति

†१३३९. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, १९५६ के अन्त तक राज्य वार कितनी निष्क्रांत सम्पत्तियों का नीलाम किया गया है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मांगी गयी सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ६४]**

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती

†१३४०. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक आदिम परिवार स्थायी रूप से नलकांटा और चैलन्टा में निवास कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को त्रिपुरा के आदिम-निवासियों से दो स्थानों में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों के स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में कोई विरोध-पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इन आदिम निवासियों को, जो वहां पहले से ही रह रहे हैं, वहां बसाने के मामले में प्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) इस समय कुछ आदिम परिवार छैलेंग्टा और नलकांटा में रह रहे हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इन दोनों स्थानों में, विस्थापित व्यक्तियों के लिये भूमि का चुनाव आदिम निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही किया गया है ।

पश्चिमी घाट की नदियों का पानी

†**१३४१. श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार राज्य के कोयम्बटूर, रामनाथपुरम् और तिरुचिरपल्ली ज़िलों की भूमि की सिंचाई करने के लिये पश्चिमी घाट की नदियों के पानी का उपयोग करने का विचार कर रही है ;

(ख) इसके लिये कितनी केन्द्रीय सहायता के लिये प्रार्थना की गई है और क्या नक्शे पूरे कर लिये गये हैं; और

(ग) कुल कितने क्षेत्र की सिंचाई की जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रारूप द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार, मद्रास सरकार ने ६·८१ करोड़ रुपयों की सहायता के लिये अनुरोध किया था । पश्चिमी घाट की नदियों के पानी का उपयोग करने की प्रस्थापित योजनाओं के सम्बन्ध में नक्शों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है;

(ग) ७,६२,७१४ एकड़ ।

राजस्थान में विस्थापित व्यक्ति

१३४२. श्री पी० एल० बारूपाल : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के अलवर और भरतपुर ज़िलों में कुछ शरणार्थियों को ऋण दिये गये थे और उसके बाद से वे लापता हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों पर सरकार का कितना धन शेष है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

चाय बोर्ड

†**१३४३. मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड द्वारा चाय-बागान श्रमिकों के कल्याण के लिये १९५३-५४ और १९५४-५५ में राज्यवार कुल कितनी राशि आवंटित की गई थी; और

(ख) चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिये उपरोक्त आवंटनों में से उपरोक्त अवधि में जो कल्याण कार्य आरम्भ किये गये थे उन में कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) पिछले केन्द्रीय चाय बोर्ड द्वारा १९५३-५४ में किसी भी राज्य को कोई भी राशि नहीं दी गयी थी । १९५४-५५ में यह आवंटन किये गये थे :

	रुपये
आसाम सरकार	३५,२५०
ईसाई अस्पताल, जोरहाट आसाम	५०,०००
देशबन्धु स्मारक समिति, दार्जिलिंग	५७,५००
बिहार सरकार	१२,४३७
उत्तर प्रदेश सरकार	२४,०००
त्रिपुरा सरकार	१७,०००
पंजाब सरकार	५,०००
कुर्ग सरकार	५००
कुल :	२,०१,६८७

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

†**१३४४. श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में असैनिक निर्माण-कार्यों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा फरवरी और मार्च १९५६ में, अलग-अलग, कुल कितना व्यय किया गया है ; और

(ख) वर्ष १९५५-५६ के अन्य महीनों में इन निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय की तुलना में इनका अनुपात कितना है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क)

फरवरी	**मार्च**
रुपये	रुपये
८९,०७,४००	१,३९,३४,१०२

(ख) फरवरी और मार्च, १९५६ में किये गये व्यय का अनुपात वर्ष १९५५-५६ के अन्य दस महीनों में किये गये व्यय का लगभग ३१ प्रतिशत है ।

चावल की हाथ से कुटाई

†**१३४५. श्री देवगम** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल की हाथ से कुटाई के लिये सुधारे हुये उपकरणों जैसे चक्कियों, ढेकियों आदि के संभरण के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) क्या इनको निर्माण के स्थान से मंगाने के लिये रेलवे-भाड़े में कोई रियायत की गयी है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) सुधरे हुये उकपरणों, अर्थात् पत्थर की चक्कियों, ढेंकियों और भूसा अलग करने वाले पंखों का निर्माण मान्यता प्राप्त केन्द्रों में किया जाता है और अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ५० प्रतिशत लागत मूल्य पर सहकारी समितियों, पंजीबद्ध संस्थाओं और संविहित राज्य बोर्डों को उनका संभरण किया जाता है, शेष ५० प्रतिशत मूल्य सरकार द्वारा मंजूर की गयी आर्थिक सहायता में से पूरा किया जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ठेके

†१३४६. **श्री केशव आय्यंगर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५४ से लेकर ३१ दिसम्बर, १९५४ तक दिये गये ठेकों में प्रत्येक छमाही में कितने ठेके मंजूर किये गये ;

(ख) इन ठेकों में से कितनों में ठेकेदारों द्वारा माल के प्रदाय के समय आदि में संशोधन के लिये आवेदन किये गये थे ?

(ग) क्या सरकार को स्वीकृत किये गये ठेकों की मौजूदा व्यवस्था और उनकी कार्यान्विति प्रक्रिया में परिवर्तन, सुधार अथवा पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या हुआ ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय ने १–१–५४ से ३०–६–५४ तक माल की खरीद के लिये ८,२१७ और १–७–५४ से '३१–१२–५४ तक ९,९६८ ठेके दिये थे ।

(ख) इस प्रकार के आवेदनों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) सामग्री क्रय समिति ने इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं । इनमें से अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों का सम्बन्ध अपेक्षित वस्तु के वास्तव में प्रदान किये जाने के अवधि निर्धारित करने, ठेकों के विरुद्ध संभरण में तीव्रता लाने के लिये प्रगति पक्ष की स्थापना, जिससे कि प्रदाय की निश्चित अवधि के भीतर संभरण का सुनिश्चय किया जा सके, २१ दिन की अनुग्रह-अवधि को लागू करने और प्रदाये-अवधि के बढ़ाये जाने के लिये ठेकेदारों के अनुरोधों का निबटारा करने के लिये अधिक सहज प्रक्रिया से है ।

(घ) सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उपयुक्त आदेश जारी कर दिये हैं । अभी परिणामों की अपेक्षा करने का समय तो नहीं आया है, परन्तु इन आदेशों के कार्यान्वित किये जाने से समाहार की कठिनाइयां काफी हद तक दूर हो जानी चाहियें ।

आकाशवाणी

†१३४७. **श्री सिद्धनंजप्पा** : (क) क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आकाशवाणी के बंगलौर केन्द्र में नाटकों के एक प्रस्तुतकर्ता और एक सहायक प्रस्तुतकर्ता की नियुक्ति की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इनका चुनाव किस प्रकार किया गया था ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी नहीं, अभी नहीं ।

(ख) जब भी आवश्यक होगा चुनाव विभागीय चुनाव समिति द्वारा, जिसमें आकाशवाणी के महानिदेशक तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के अतिरिक्त कन्नड़ दो ख्यातनामा साहित्यकारों को भी शामिल किया गया है, किये जायेंगे ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान

†१३४८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये मकानों की कमी को दूर करने क लिये सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ; और

(ख) १९५६-५७ में इस योजना पर कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (डा० पी० एस० नास्कर)**: (क) दिल्ली में निर्माण कार्यक्रम आरम्भ करके ।

(ख) लगभग पांच करोड़ रुपये ।

अनाधिकार कब्जा करने वालों की बेदखली

†**१३४९. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९५५ में सरकारी निवास स्थानों पर अनाधिकार कब्जा करने वालों को बेदखल किया था; और

(ख) यदि हां, तो बेदखल किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या क्या थी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (डा० पी० एस० नास्कर)** : (क) जी, हां ।

(ख) १३७ मकानों पर अनधिकार कब्जा करने वाले व्यक्तियों को बेदखल किया गया था ।

प्रलेखीय चलचित्र

१३५०. श्री भक्त दशन : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** निम्न आशय का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) १९५५–५६ के वित्तीय वर्ष में कितने प्रलेखीय चलचित्र तैयार किये गये ;

(ख) वे किन-किन विषयों पर थे ; और

(ग) वे किन-किन भाषाओं में तैयार किये गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : एक वक्तव्य सभा की मेज पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ६५]**

इंजीनियरिंग सम्बन्धी कर्मचारियों की समिति

१३५१. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **योजना** मंत्री २९ फरवरी, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग सम्बन्धी कर्मचारियों की समिति द्वारा की गई अन्तरिम सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या संगत निर्णयों की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जायेगी ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) और (ख). इंजीनियरिंग सम्बन्धी कर्मचारियों की समिति की अन्तरिम सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं हुआ है । आशा की जाती है कि यह समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही पेश करेगी । समिति की रिपोर्ट और उस पर सरकार का निर्णय दोनों सदन के सामने रखे जायेंगे ।

रद्दी रुई से बने कम्बल

†**१३५२. श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रद्दी रूई से कम्बल बनाने के उद्योग को सरकार से कोई सहायता मिलती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस सहायता का स्वरूप क्या है; और

(ग) वर्ष में ऐसे कुल कितने कमबलों का उत्पादन होता है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) और (ख): रद्दी रूई से कम्बल बनाने वाले निर्माताओं को कोई विशेष सहायता नहीं दी जाती है।

(ग) निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है। यह समझा जाता है कि १९५५ में संगठित सूती मिलों द्वारा किया गया कुल उत्पादन लगभग १६० लाख गज़ था।

विदेशी पत्र प्रतिनिधि

†१३५४. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपूरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में नई दिल्ली में विदेशी पत्रों के प्रत्येक देश के कुल कितने मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि थे; और

(ख) इसी अवधि में विदेशी पत्रों के प्रतिनिधियों अथवा सम्वाददाताओं के रूप में कार्य कर रहे भारतीयों की कुल संख्या कितनी थी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) ३१ मार्च, १९५६ को, विदेशी पत्रों के ६३ प्रतिनिधियों को भारत सरकार के केन्द्र-स्थान (हैडक्वार्टर) में संवाददाताओं के रूप में मान्यता प्राप्त थी, जिनका विवरण इस प्रकार है :

उस देश का नाम जिसका वह विदेशी-पत्र है	मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की संख्या
आस्ट्रेलिया	१
श्रीलंका	१
चीन	१
पूर्वी अफ्रीका	१
फ्रांस	३
फिनलैण्ड	१
जर्मनी	४
इज़राईल	१
जापान	७
पाकिस्तान	३
स्विट्ज़रलैण्ड	१
दक्षिण अफ्रीका	१
स्विट्ज़रलैण्ड और नार्वे	१
स्विट्ज़रलैण्ड और कनाडा	१
ब्रिटेन	१४
ब्रिटेन और अमरीका	१
अमरीका	१५
सोवियत समाजवादी संघराज्य	५
यूगोस्लाविया	१
जोड़ :	६३

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त में से २४ भारतीय थे जो १३ समाचार पत्रों और समाचार अभिकरणों का प्रतिनिधित्व करते थे ।

टिप्पणी : विदेशी पत्रों में विदेशी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अतिरिक्त विदेश समाचार अभिकरण, प्रसारण और टेलीविज़न संगठन भी शामिल है ।

सरकारी विज्ञापन

†१३५५. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने विदेशी समाचार पत्रों को १९५५-५६ में सरकारी विज्ञापन दिये गये थे; और

(ख) उनको कितनी राशि अदा की गयी थी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिये ६८ विदेशी समाचार पत्रों को, जिनमें पत्रिकायें, यात्रा और व्यापारिक प्रकाशन भी शामिल हैं, और हथकरघे के सामान की बिक्री बढ़ाने के लिये ७ समाचार पत्रों को विज्ञापन दिये गये थे। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर से भी दो अन्य पत्रों को विज्ञापन दिये गये थे ।

(ख) १,७९,४७८–१३–० ।

औद्योगिक सम्पत्तियां

†१३५६. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार १९५६-५७ में पटना और दरभंगा में दो औद्योगिक सम्पत्तियों की स्थापना करने की प्रस्थापना करती है ;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों सम्पत्तियों की कुल प्राक्कलित लागत कितनी है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन सम्पत्तियों के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग): इन दोनों योजनाओं के ब्यौरेवार प्राक्कलनों की अभी बिहार सरकार के पास से प्रतीक्षा की जा रही है। फिर भी, भारत सरकार इन सम्पत्तियों को कुल मूल्य दीर्घ कालीन ऋण के रूप में राज्य सरकार को देगी।

बर्मा में भारतवासी

१३५७. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा में भारतीयों की संख्या क्या है ; और

(ख) उनमें से अब तक कितने भारतीय बर्मा के नागरिक बन चुके हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) बर्मा में भारतीयों की ठीक संख्या का पता नहीं है। बर्मा सरकार ने भी ऐसे आंकड़े प्रकाशित नहीं किये हैं। लेकिन अनुमान है कि बर्मा में करीब छः सात लाख मूल भारतीय हैं ।

(ख) कुछ महीने हुये, बर्मा सरकार ने हमारे राजदूतावास को इत्तला दी थी कि बर्मा में उन भारतीयों की संख्या, जिन्हें बर्मा की नागरिकता और देशीयकरण अधिकार दे दिये गये हैं, क्रमशः ३,७३१ और ३१ हैं। बर्मा सरकार से अब तक के आंकड़े देने के लिये प्रार्थना की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक विस्तार सेवा केन्द्र

†१३५८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे उद्योगों की क्षेत्रीय सेवा संस्थाओं द्वारा किन्हीं औद्योगिक विस्तार सेवा केन्द्रों की स्थापना करने की प्रस्थापना की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वह किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह मामला अभी विचाराधीन है ।

छोटे पैमाने के उद्योग

†१३५९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास आयुक्त के कार्यालय के जांच दल ने छोटे पैमाने के उद्योगों पर प्रतिवेदन तैयार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन छोटे उद्योगों के नाम क्या हैं जिनका दल ने अध्ययन किया है ; और

(ग) दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां ।

(ख) खेल के सामान, सीने की मशीनें और उनके हिस्से, और चमड़े के जूते ।

(ग) मुख्य सिफारिशों का सम्बन्ध (१) औद्योगिक विस्तार केन्द्रों के खोले जाने; (२) व्यवसाय संगठनों और सहकारी समितियों की स्थापना किये जाने; और (३) फैक्टरी के स्थान और कच्चे माल के संभरण का उपबन्ध करने से है ।

प्रेस सूचना विभाग (प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो)

†१३६०. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सारे राज्यों में प्रेस सूचना विभाग की स्थापना की गई है ; और

(ख) राज्य पुनर्गठन आयोग के ध्यान में रखकर वहां के कर्मचारियों और व्यय में कितनी कमी होगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). प्रेस सूचना विभाग के प्रादेशिक केन्द्र राज्य-वार स्थापित नहीं किये जाते हैं बल्कि वे समाचारपत्रों विशेषतः भारतीय भाषा के समाचारपत्रों की आवश्यकतानुसार स्थापित किये जाते हैं । इसलिये कम करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । वस्तुतः भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों और पत्रिकाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये इसका विस्तार करने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस समय प्रादेशिक केन्द्र निम्नलिखित हैं :

बम्बई—मराठी और गुजराती
कलकत्ता—बंगाली, आसामी और उड़िया
मद्रास—तमिल और तेलुगू
एरणाकुलम—मलयालम
बंगलौर—कन्नड़
लखनऊ (वितरण केन्द्र)—हिन्दी
जालंधर—पंजाबी

हिन्दी और उर्दू सूचनायें दिल्ली से जारी की जाती हैं। आसामी और उड़ीया की सूचना में शीघ्रता लाने के लिये इन भाषाओं के विभागों को क्रमशः गौहाटी व कटक में स्थापित करने का निश्चय किया गया है।

एलुमिनियम के कारखाने

†१३६१. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने एलुमिनियम के कारखाने स्थापित किये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो वे कारखाने कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

एलुमिनियम उद्योग

†१३६२. **श्री बी० एस मूर्ति** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में, आंध्र में, एलुमिनियम के उद्योग के विकास की कोई योजनायें प्रस्तुत की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या निश्चय किया और उन पर अनुमानित व्यय कितना होगा ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) भारत सरकार को किसी ऐसी योजना का पता नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मैसूर की द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†१३६३. **श्री मादिया गोडा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में मैसूर में किन-किन उद्योगों का विकास किया जायेगा;

(ख) क्या कच्चा फिल्म उद्योग भी उनमें से एक है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) और (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६६]**

(ख) जी, नहीं ।

ग्राम तथा कुटीर उद्योग

†**१३६४. श्री बूवराघस्वामी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने किन-किन ग्राम तथा कुटीर उद्योगों को वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता देने के लिये सरकार से सिफारिश की है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** :

१. खादी
२. हाथ से तैयार किया हुआ कागज़
३. ताड़ गुड़
४. ग्राम तेल-उद्योग
५. धान को हाथ से कूटना
६. कुटीर दियासलाई उद्योग
७. अखाद्य तेलों से साबुन तैयार करना
८. रेशे
९. आटे की चक्कियां
१०. शहद की मक्खियां पालना
११. मिट्टी के बर्तन
१२. ग्राम चमड़ा उद्योग
१३. गुड़ तथा खांडसारी ।

रेशम उद्योग

†**१३६५. श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र राज्य में रेशम उद्योग को उन्नत करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि आवंटित की गयी है ;

(ख) उसके लिये क्या क्या योजनायें बनायी गयी हैं ; और

(ग) उसमें कितने लोगों को काम दिलाया जा सकेगा ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा आंध्र राज्य में रेशम उद्योग को उन्नत करने के लिये अस्थायी रूप से १०·५ लाख रुपया आवंटित किया गया था ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें बताया गया है कि आंध्र सरकार द्वारा तैयार की गयी कौन-कौन सी योजना पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सम्मिलित की गयी है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६७]**

(ग) लगभग १६,८०० लोग ।

प्याज़ तथा मिर्चों का निर्यात

†**१३६६. श्री बूवराघस्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने प्याज़ तथा मिर्चों की वर्तमान निर्यात अनुज्ञाओं के मान्य रहने की अवधि को बढ़ाने का निर्णय किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह अवधि कितनी बढ़ाई गई है ;

(ग) इस अवधि के लिये कितने लाइसैंस जारी किये गये हैं ; और

(घ) किन-किन राज्यों से और कितनी-कितनी मात्रा में प्याज़ तथा मिर्चें निर्यात की जायेंगी ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) जी, हां ।

(ख) जुलाई—दिसम्बर १९५५ के लिये प्याज़ तथा मिर्चों के कोटे के मान्य रहने की अवधि अप्रैल १९५६ के अन्त तक बढ़ा दी गयी है ।

(ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और शीघ्रातिशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) विभिन्न राज्यों से निर्यात के लिये मुक्त की जाने वाली मिर्चों और प्याज़ की मात्रा निम्नलिखित है :—

[आँकड़े टनों में]

राज्य	प्याज़	मिर्चें
	जितनी मात्रा मुक्त की गई	जितनी मात्रा मुक्त की गई
मद्रास	५,०००	१,५००
आंध्र	३,७५०	१,८७५
बम्बई	२,०००	२००
हैदराबाद	७५०	९००
मैसूर	५००	२२५
सौराष्ट्र	१७,७५०	५००
बिहार	१,०००	३,२००
पांडिचेरी तथा कारीकल	३५०	—
पंजाब	—	२५०
	योग : ३१,१००	८,६५०

नगरीय निष्क्रान्त सम्पत्तियाँ

†१३६७. **डा० सत्यवादी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब तथा पेप्सू के प्रत्येक ज़िले में १०,००० रुपये से कम प्राक्कलित कीमत वाली कितनी नगरीय निष्क्राम्य सम्पत्तियां हैं ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** पंजाब तथा पेप्सू में अभी तक सभी शहरी निष्क्राम्य सम्पत्तियों का मूल्यांकन पूर्ण नहीं हुआ है । जिनका मूल्यांकन हो चुका है उनके सम्बन्ध में भी अपेक्षित जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है । जानकारी प्राप्त करने में इतना समय तथा परिश्रम लगेगा कि वह प्राप्त किये जाने वाले परिणाम के अनुरूप न होगा ।

†मूल अंग्रेजी में

मैसर्स फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, त्रावणकोर, अलवाय

†१३६८. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १० अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स फ़र्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स लि०, त्रावनकोर, अलवाय का विस्तार करने के लिये कितनी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है;

(ख) कारखाने के स्वावलम्बी बनने में कितना समय लगेगा; और

(ग) क्या उर्वरकों की वर्तमान 'पूल' प्रणाली कारखाने के घाटे पर न चलने के बाद भी जारी रखी जायेगी ।

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) २ करोड़ ५६ लाख रुपये ।

(ख) उत्पादन के आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होने में तीन वर्ष लगेंगे ।

(ग) केन्द्रीय उर्वरक 'पूल' का उद्देश्य यह है कि अमोनियम सल्फेट किसानों को उचित मूल्य पर दिया जा सके। इस 'पूल' का जारी रखना इस अमुक फर्म के कार्यकरण पर निर्भर नहीं है ।

उच्चतम न्यायालय

†१३६९. **श्री कामत :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय जिन कमरों में है वे शीतोष्ण नियन्त्रित (एयर कंडीशन्ड) नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री क सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर) :** (क) और (ख) अस्थायी रूप से उच्चतम-न्यायालय संसद् भवन के तीन कमरों में हैं । एक कमरे में शीतोष्ण नियन्त्रण की व्यवस्था है और दूसरे में 'डैज़र्ट कूलर' लगा हुआ है ।

उच्चतम न्यायालय के लिये एक अलग इमारत हार्डिंग एवेन्यू पर बन रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१७०४–२६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१६४६	साबुन उद्योग	१७०४–०५
१६४७	भारतीय वाद्यों का निर्माण	१७०५
१६४८	तुंगभद्रा बोर्ड	१७०६
१६४९	अपहृत महिलाओं की प्राप्ति के बारे में तथ्य निर्धारण आयोग का प्रतिवेदन	१७०६–०७
१६५२	कपास का मूल्य	१७०७–०८
१६५४	तिलैया जलाशय	१७०८–०९
१६५५	सड़क यातायात निगम	१७०९–१०
१६५६	सामाजिक आर्थिक समस्या सम्बन्धी गवेषणा	१७१०–११
१६५७	भारतीय उद्योग मेला	१७११
१६५८	राज सहायता प्राप्त गृह निर्माण योजना, पैप्सू ...	१७११–१२
१६५९	गोआनी शरणार्थी	१७१२–१३
१६६२	भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा	१७१३–१४
१६६३	सीमावर्ती अपराधों के बारे में भारत और पाकिस्तान के पुलिस अफसरों की बैठक	१७१४
१६७२	भारत-पाकिस्तान सीमा-कर्मचारियों का सम्मेलन	१७१४–१५
१६६५	एल्यूमिनियम सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति	१७१५–१६
१६६६	सरकारी सम्पत्ति पर अनाधिकृत कब्जा...	१७१७
१६६७	भारत-चीन समझौता	१७१७–१८
१६६८	मद्य-निषेध सम्बन्धी वृत्तांत चलचित्र	१७१८–१९
१६७०	युद्ध-क्षतिपूर्ति में मिलने वाले जर्मन औज़ार	१७१९–२०
१६७३	ग्राम विद्युतीकरण	१७२०
१६७५	रेशम की छीजन	१७२०–२१
१६७८	खनन संस्था कोट्टागुडम	१७२२–२३
१६७९	सीमेन्ट कारखाने	१७२३–२४
१६६०	संश्लेषित तेल संयन्त्र	१७२४
१६६४	हथकरघा उद्योग	१७२४-२५
१६५१	बर्मा को भारतीय वस्त्र का निर्यात	१७२५–२६
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१७२६–५१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१६५०	लाओस में भारतीय युद्ध-विराम सन्धि-आयोग	१७२६

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
तारांकित प्रश्न संख्या		
१६५३	रेल पटरी का आयात	१७२६
१६६१	अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण	१७२६-२७
१६६६	ढलाई के कारखाने	१७२७
१६७१	कलकत्ता प्रपत्र भंडार	१७२७
१६७४	सीटो शक्तियों को विरोध-पत्र ...	१७२७
१६७६	नंगल उर्वरक कारखाना	१७२८
१६७७	ऊष्मसदों (रिफ़ैक्टरीज़) का निर्माण ...	१७२८
१६८०	दामोदर घाटी निगम	१७२८
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३०६	सरकारी इमारतों का किराया	१७२६
१३१०	तेल शोधक कारखाने	१७२६
१३११	शल्य क्रिया उपकरणों आदि के लिये तालिका	१७२६
१३१२	घानी का तेल	१७३०
१३१३	ताड़ गुड़ उद्योग	१७३०-३१
१३१४	एक्स-रे सामान के लिये तालिका	१७३१
१३१५	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों की सहकारी समितियां ...	१७३१-३२
१३१६	राजस्थान में लौह प्रस्तर	१७३२
१३१७	भारतीय सरकार के व्यापार प्रतिनिधियों का सम्मेलन ...	१७३२
१३१८	ग्रामों में बिजली लगाना	१७३२-३३
१३१६	विदेशी राज्यों के अध्यक्षों के दौरे	१७३३
१३२०	राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं और सामुदायिक परियोजनाओं पर नेपाली शिष्टमंडल का दौरा	१७३३-३४
१३२१	ग्रामोफोन बनाने वाले कारखाने	१७३४
१३२२	बाईसिकलें	१७३४
१३२३	विस्थापित व्यक्तियों के लिये ग्रामीण और नगरीय गृह-निर्माण योजनायें	१७३४-३५
१३२४	सीमा विवादों के सम्बन्ध में भारत-पाकिस्तान अधिकारी सम्मेलन ...	१७३५
१३२५	भोपाल में सीमेन्ट कारखाना	१७३५-३६
१३२६	विस्थापित व्यक्तियों का पश्चिमी प्रदेश सम्मेलन ...	१७३६
१३२७	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति	१७३६
१३२८	प्रधान मंत्री का राष्ट्रीय सहायता कोष	१७३६
१३२६	आकाशवाणी	१७३७
१३३०	पंजाब राज्य में विस्थापित व्यक्ति	१७३७
१३३१	नगरीय निष्क्रांत सम्पत्ति	१७३७
१३३२	विस्थापित शिक्षा संस्थायें	१७३७-३८
१३३३	हाबरा-बगाची शरणार्थी बस्ती	१७३८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३३४	उड़ीसा में इंजीनियरिंग कालिज ...	१७३८
१३३५	पिछड़े हुये क्षेत्रों का विकास ...	१७३८
१३३६	त्रिपुरा में आदिम जातीय शरणार्थी	१७३८–३९
१३३७	कलकत्ता में निवास स्थान	१७३९
१३३८	विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन) अधिनियम, १९५१ ...	१७४०
१३३९	निष्क्रांत सम्पत्ति	१७४०
१३४०	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती ...	१७४०–४१
१३४१	पश्चिमी घाट की नदियों का पानी	१७४१
१३४२	राजस्थान में विस्थापित व्यक्ति	१७४१
१३४३	चाय बोर्ड	१७४१–४२
१३४४	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	१७४२
१३४५	चावल की हाथ से कुटाई	१७४२
१३४६	ठेके	१७४३
१३४७	आकाशवाणी	१७४३
१३४८	सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान	१७४३–४४
१३४९	अनाधिकार कब्जा करने वालों की बेदखली	१७४४
१३५०	प्रलेखीय चलचित्र	१७४४
१३५१	इंजीनियरिंग सम्बन्धी कर्मचारियों की समिति	१७४४
१३५२	रद्दी रूई से बने कम्बल ...	१७४४–४५
१३५४	विदेशी पत्र-प्रतिनिधि	१७४५–४६
१३५५	सरकारी विज्ञापन	१७४६
१३५६	औद्योगिक सम्पत्तियां	१७४६
१३५७	बर्मा में भारतवासी	१७४६
१३५८	औद्योगिक विस्तार सेवा केन्द्र	१७४७
१३५९	छोटे पैमाने के उद्योग	१७४७
१३६०	प्रेस सूचना विभाग (प्रेस इन्फोरमेशन ब्यूरो) ...	१७४७–४८
१३६१	एल्यूमिनियम के कारखाने	१७४८
१३६२	एल्यूमिनियम उद्योग	१७४८
१३६३	मैसूर की द्वितीय पंचवर्षीय योजना	१७४८–४९
१३६४	ग्राम तथा कुटीर उद्योग	१७४९
१३६५	रेशम उद्योग	१७४९
१३६६	प्याज़ तथा मिर्चों का निर्यात	१७४९–५०
१३६७	नगरीय निष्क्रांत सम्पत्तियां	१७५०
१३६८	मैसर्स फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स लि०, त्रावनकोर, अलवाय ...	१७५१
१३६९	उच्चतम न्यायालय	१७५१

M 45 LSD—190—22-7-57—GIPF

खण्ड ४ — अंक ४६
२३ अप्रैल, १९५६ (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ४ में अंक ४६ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

~~चार आने या २५ नये पैसे~~ (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[खण्ड ४—१८ अप्रैल से ८ मई, १९५६]

अंक ४६—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४३३–३४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२४३४–३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन ...	२४३५
कार्य मंत्रणा समिति—	
बत्तीसवां प्रतिवेदन	२४३५–३७
जम्मू तथा कश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक	२४३७
राज्य पुनर्गठन आयोग ...	२४३७–३८
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ...	२४४३
विनियोग (संख्या २) विधेयक ...	२४४३
संविधान (छठा संशोधन) विधेयक	२४३९–४३
नियम समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन ...	२४८५
वित्त विधेयक	२४४४–८५
विचार करने का प्रस्ताव ...	२४४४
दैनिक संक्षपिका	२४८६

अंक ४७—शुक्रवार, २० अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४८७–८९
विनियोग (संख्या २) विधेयक	२४८९–९०
वित्त विधेयक ...	... २४९०–२५११
विचार करने का प्रस्ताव	२४९०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन	२५११
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४२९ का संशोधन)	२५१२–२३
विचार करने का प्रस्ताव	२५१२
विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन)	२५२४–३०
विचार करने का प्रस्ताव ...	२५२४
दैनिक संक्षेपिका	२५३१

अंक ४८—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

राज्य पुनर्गठन विधेयक के बारे में याचिकायें	२५३३

वित्त विधेयक २५३३–२६०२
विचार करने का प्रस्ताव २५३३
खण्ड २ से ३७ तक, अनुसूचियां १ से ४ और खण्ड १ ... २५५३–२६००
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... २६००
कार्य मंत्रणा समिति—
तैतीसवां प्रतिवेदन ... २६०२
विनियोग (संख्या २) विधेयक २६०२–०५
विचार करने का प्रस्ताव २६०२
खण्ड १ से ३ और अनुसूची ... २६०५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २६०५
दैनिक संक्षेपिका २६०६

अंक ४९—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

कार्य-मंत्रणा समिति—
तैतीसवां प्रतिवेदन २६०७–०८
नियम ९२ के प्रथम परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव ... २६०८–१७
राज्य पुनर्गठन विधेयक २६१७–५९
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २६१७
दैनिक संक्षेपिका २६६०

अंक ५०—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य का बंदीकरण २६६१
सभा-पटल पर रखा गया पत्र २६६२
राज्य पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २६६२–९६
दैनिक संक्षेपिका २६९७

अंक ५१—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
कुछ प्रदर्शन-कर्त्ताओं का बंदीकरण ... २६९९–२७००
सभा का कार्य २७००–०१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन २७०१
नियम समिति—
तीसरा प्रतिवेदन २७०८
राज्य-पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७०१–०७, २७०८–४७
दैनिक संक्षेपिका २७४८

अंक ५२—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्राक्कलन समिति—
पच्चीसवां प्रतिवेदन २७४९

नियम समिति—
तीसरा प्रतिवेदन २७४९–५९
राज्य पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २७५९–६९
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७६९–९४
राज्य सभा से सन्देश २७९४
दैनिक संक्षेपिका २७९५

अंक ५३—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २७९७
सदस्य की नजरबन्दी २७९७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के बारे में याचिका २७९७
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७९८–२८२१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ... २८२१–३०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन २८३१
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ... २८३१
व्यक्ति की आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प ... २८४७
राज्य-सभा से सन्देश २८४७
श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में आधे घण्टे की चर्चा २८४७–५२
दैनिक संक्षेपिका ... २७५३–५४

अंक ५४—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... २८५५
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २८५५
राज्य-सभा से सन्देश २८५६
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक २८५६
प्राक्कलन समिति—
छब्बीसवां प्रतिवेदन २८५६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
युद्ध सामग्री कारखानों में छटनी ... २८५६–५८
सरकार की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य २८५८–६५
सभा का कार्य २८६५–६६
मनीपुर राज्य पहाड़ी-लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन)
विधेयक २८६६–७०
मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों के ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक २८७०

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २८७०–२९१६
जीवन बीमा निगम विधेयक २९१६
सीमेण्ट के बारे में आधे खण्टे की चर्चा २९१८–२४
दैनिक संक्षेपिका २९२५–२६

अंक ५५—मंगलवार, १ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २९२७
विधान-मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक ... २९२७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २९२८–७७
दैनिक संक्षेपिका २९७८

अंक ५६—बुधवार, २ मई, १९५६

समिति के लिये निर्वाचन—
राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संघ सम्पर्क समिति २९७९–८०
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक २९८०
राज्य-सभा से संदेश ३०१९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव २९८०–३०१८, ३०१९–२७
खण्ड २ से ५ तक ... २९८९–३०२७
दैनिक संक्षेपिका ... ३०२८

अंक ५७—गुरुवार, ३ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०२९
राज्य-सभा से सन्देश ३०२९–३०
सभा का कार्य ... ३०३०–३१
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३०३१–३२
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—
संशोधन जिसकी राज्य-सभा द्वारा सिफारिश की गयी ... ३०३३–३६
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
खण्ड ५, ६ और ४ ... ३०३६–८७
दैनिक संक्षेपिका ३०८८

अंक ५८—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

सभा का कार्य ३०८९–९०, ३१३६–३७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—
खण्ड ७ से १० तक ३०९०–३१२९
कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा) ५१, ५४ और ५९ का संशोधन) ३१२९
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन) ३१२९–३३

विधान मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३१३३–३६, ३१३७–४६
खण्ड २ से ४ तक और खण्ड १ ... ... ३१३५–३६, ३१३७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३१४६
खान (संशोधन) विधेयक (धारा ३३ और ५१ का संशोधन)—
विचार करने का प्रस्ताव ३१४६–४८
दैनिक संक्षेपिका ३१४९

अंक ५९—सोमवार, ७ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३१४९–५०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३१५०
राज्य-सभा से सन्देश ३१५०
भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन)विधेयक ३१५०
कार्य मंत्रणा समिति—
चौंतीसवां प्रतिवेदन ३१५१
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
चौदहवां प्रतिवेदन ३१५१
प्राक्कलन समिति की कार्यवाही का विवरण ... ३१५१
खण्ड ४, अंक २ ... ... ३१५१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ३१५१–३२०४
खण्ड १० से २५ तक और अनुसूची ३१५१–३२०४
दैनिक संक्षेपिका ३२०५–०६

अंक ६०—मंगलवार, ८ मई, १९५६

सदस्य की रिहाई ... ३२०७
सदस्यों का बन्दीकरण ३२०७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ... ३२०७–७७
खण्ड २५ से ३३ तक और १ ... ... ३२०७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३२७७
दैनिक संक्षेपिका ३२७८

M132LSD—190—24-3-58—GIPF.

विषय-सूची

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति—

तैंतीसवाँ प्रतिवेदन ... २६०७–०८

नियम ९२ के पहले परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव २६०८–१७

पंडित जी० बी० पन्त ... २६०९, २६१४–१६

श्री एच० एन० मुकर्जी २६०९, २६१०

डा० कृष्णस्वामी २६१०

श्री एस० एस० मोरे २६१०–११

श्री राघवाचारी ... २६११

पंडित ठाकुर दास भार्गव २६११–१२

श्री पाटस्कर ... २६१२–१४

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ... २६१४

राज्य पुनर्गठन विधेयक ... २६१७–५९

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २६१७

पंडित जी० बी० पन्त २६१७–२२, २६२३–२४

श्री एस० एस० मोरे २६२२–२३

श्री एच० एन० मुकर्जी २६२५–२९

श्री वी० जी० देशपांडे २६२९–३४

स्वामी रामानन्द तीर्थ २६३४–३६

श्री शिवमूर्ति स्वामी २६३६–३९

श्री अच्युतन २६३९–४२

श्री वल्लाथरास ... २६४२–४५

श्री मुहीउद्दीन २६४५–४७

श्रीमती सुभद्रा जोशी २६४७–५१

श्री नन्दलाल शर्मा २६५१–५४

श्री ए० के० दत्त २६५४

श्री पोकर साहेब २६५४–५५

श्री हेमराज २६५५–५८

श्री मैथ्यू ... २६५९

श्री रामचन्द्र रेड्डी २६५९

दैनिक संक्षेपिका २६६०

लोक-सभा

सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-३२ म० पू०

कार्य मंत्रणा समिति

तैंतीसवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तैंतीसवें प्रतिवेदन से, जो २१ अप्रैल, १९५६ को सभा के समक्ष उपस्थापित किया गया, सहमत है ।"

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मैं इस पर एक संशोधन प्रस्तुत करता हूं क्योंकि यह प्रस्ताव मुझे आज प्रातःकाल मिला इसलिये मैं इससे पूर्व संशोधन प्रस्तुत न कर सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि बीच में कोई इतवार आ जाये तो मैं इस प्रकार की व्यवस्था करूंगा कि प्रस्ताव इतवार के प्रातः को प्राप्त हो सके ।

†**श्री कामत** : ठीक है । यह बहुत अच्छा होगा । ऐसी व्यवस्था हम दोनों के लिये ही अच्छी होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को संसद् तथा प्रशासनिक सेवा का इतना अधिक अनुभव होते हुए भी वह सोच समझ कर नहीं बोलते । उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिये ।

†**श्री कामत** : 'यह हम दोनों के लिये अच्छी होगी' कहने से मेरा तात्पर्य यह था कि यह मेरे तथा आपके सचिवालय दोनों के लिये अच्छी होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं, आपका तात्पर्य था कि मैं भी इस प्रस्ताव के दूसरे पहलुओं को देख सकूंगा जैसे मुझे भी यह सब कुछ देखना चाहिये । इस प्रकार की बात कहना बिल्कुल अनुचित

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

है । सदस्य को या तो अपने शब्द वापिस लेने चाहियें, अथवा आज के लिये सभा के बाहर चले जाना चाहिये ।

†**श्री कामत :** मैं सभा से जा रहा हूं ईश्वर आपको सन्मति दे ।

इसके पश्चात् श्री कामत सभा से उठकर चले गये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तैंतीसवें प्रतिवेदन से, जो २१ अप्रैल, १९५६ को सभा के समक्ष उपस्थापित किया गया, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नियम ९२ के पहले परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं गृह-कार्य मंत्री से प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहूँगा ।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : गृह-कार्य मंत्री के भाषण देने के पूर्व मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** औचित्य प्रश्न गृह-कार्य मंत्री के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उठाया जा सकता है, क्योंकि इसमें तब तक औचित्य प्रश्न नहीं उत्पन्न हो सकता है जब तक इस प्रस्ताव को कोई ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत न करे जो सभा का सदस्य न हो ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण–पूर्व) : गृह-कार्य मंत्री इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये किस प्रकार सक्षम हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : मैं एक बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि क्या आपने इस प्रस्ताव पर अपनी अनुमति दे दी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने अपनी सम्मति दे दी है ।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) :** मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि राज्य पुनर्गठन विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा जाय और इसके साथ ही मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं :

"कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ९२ के पहले परन्तुक का राज्य पुनर्गठन विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित किया जाय ।"

†**श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन** (डिंडीगल) : संयुक्त समिति में कोई भी महिला सदस्या नहीं ली गई है; इसका क्या कारण है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्या को अभी यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिये । मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि भविष्य में जब किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने के लिये अध्यक्ष की सम्मति की आवश्यकता होगी तो मैं कार्य-सूची में ही यह लिखे जाने की व्यवस्था कर दूंगा कि इस सम्बन्ध में अध्यक्ष

---

†मूल अंग्रेजी में

की सम्मति प्राप्त कर ली गई है। माननीय गृह-कार्य मंत्री ने १७ अप्रैल, को इस प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में मेरी सम्मति मांगी थी और मैंने उसी दिन सम्मति दे दी थी। औचित्य प्रश्न तभी उठाया जायेगा जब कि सभा के समक्ष कोई प्रस्ताव होगा, औचित्य प्रश्न सुनने के पश्चात् ही मैं प्रस्ताव को सभा के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, यदि मैं औचित्य प्रश्न से सहमत हूंगा तो मैं उसे सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं करूंगा। इसलिये सदस्यों को प्रतीक्षा करनी चाहिये। माननीय मंत्री के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात् मैं उनके औचित्य प्रश्न सुनूंगा।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : नियम ९२ (३) के परन्तुक के अन्तर्गत, यदि किसी विधेयक में ऐसे मामले हों जो कि संविधान के वित्तीय मामलों से सम्बन्धित उपबन्धों के अधीन आते हैं, तो उन्हें संयुक्त समिति को नहीं सोंपा जा सकता है। मेरे विचार से इस विधेयक में वस्तुतः कोई ऐसे मामले नहीं ह जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण हों, किन्तु धारा २०, ७८, और ८८ वित्तीय परिधि की सीमा को स्पर्श करते हैं। ऐसी स्थितियों में मेरे विचार से इस परन्तुक का निलम्बन वांछनीय होगा।

इस विधेयक में एक असाधारण महत्व की बांत का जिक्र है। इसके साथ संविधान (संशोधन) विधेयक का भी सम्बन्ध है जो कि मैंने १८ तारीख को लगभग इसी प्रस्ताव के साथ सभा में प्रस्तुत किया था। सभा की यह प्रथा रही है कि वह संविधान में संशोधन करने वाले विधेयकों को संयुक्त समिति को सौंपती है। साथ ही केवल इन दोनों विधेयकों के विषय ही एक से नहीं हैं अपितु दोनों लगभग अभिन्न हैं। ऐसी स्थिति में जब वे एक दूसरे से पृथक न हो सकें तो यह वांछनीय है कि दोनों विधेयकों को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये। हम चाहते हैं—तथा सभा की भी यह इच्छा है—कि इन मामलों का अन्तिम रूप से निपटारा किया जाय और यह विधेयक यथोचित विधि से शीघ्रातिशीघ्र अन्तिम स्थिति में पहुंच जाय। वस्तुतः इसी प्रक्रिया में शीघ्रता करने के लिये सभा ने कुछ दिन पूर्व संविधान के अनुच्छेद ३ का संशोधन किया था। मेरे विचार से कार्य मंत्रणा समिति ने भी इस पर विचार किया और उन्होंने सर्व सम्मति से यह निर्णय किया कि उक्त नियम का निलम्बन कर दिया जाय। इसलिये यह विधेयक दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जा सकता है। इसलिये मैं यह विनम्र आग्रह करूंगा कि इस नियम का निलम्बन कर दिया जाय और वह विधेयक संयुक्त समिति को सौंप दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब माननीय सदस्य यदि कोई औचित्य प्रश्न उठाना चाहें तो उठा सकते हैं।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : मेरा औचित्य प्रश्न दो बातों के ऊपर आधारित है। पहिला प्रश्न यह है कि नियम ४०२ के अनुसार केवल इस सभा का कोई सदस्य ही, इस प्रकार का प्रस्ताव रख सकता है, किन्तु गृह-कार्य मंत्री इस सभा के सदस्य नहीं हैं। संविधान की धारा ८८ के अधीन भी मंत्री केवल जानकारी दे सकता है अथवा भाषण दे सकता है, किन्तु प्रस्ताव प्रस्तुन नहीं कर सकता है। सभा के किसी नियम का निलम्बन करने का प्रस्ताव एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है जो वस्तुतः सभा का सदस्य न हो। यदि कोई अन्य व्यक्ति सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करेगा तो मेरा विचार है सभा इसे स्वीकार कर लेगी। किन्तु यह प्रथा लोकतंत्रात्मक सरकार के लिये बहुत बुरी है। यदि सरकार बार-बार इस प्रकार की वैध सहायता की अपेक्षा करती है तो इसका दायित्व सभा पर ही है कि उसने नियमों में ऐसी गम्भीर त्रुटि रखी। मेरी आपत्ति 'टेकनीकल' प्रकार की है, जिस पर मैं चाहता हूं कि आप अपना निर्णय दें।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय सभा के समक्ष राज्य पुनर्गठन विधेयक के संयुक्त समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव के अतिरिक्त, नियम ९२ के पहले परन्तुक के निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

नियम को इसलिये निलम्बित किया जाना है क्योंकि उसके अनुसार किसी वित्तीय विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि इस विधेयक में कुछ खंड ऐसे हैं जिनका वित्तीय प्रभाव हो सकता है। इसलिये सावधानी के तौर पर उन्होंने इस नियम के निलम्बन का प्रस्ताव किया है। अब माननीय सदस्य अपना विचार प्रकट कर सकते हैं और इस पर आपत्ति कर सकते हैं कि यह प्रस्ताव अग्राह्य है——चाहे इस आधार पर कि माननीय गृह-कार्य मंत्री इस सभा के सदस्य नहीं हैं या किसी अन्य आधार पर। जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, उन्हें दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : संविधान में यह उपबन्ध है कि धन विधेयक राज्य परिषद् में पुरः स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद ११० में दी गई है, फिर अनुच्छेद ११७ में यह कहा गया है कि अनुच्छेद ११० के खंड (१) के (क) से (च) तक के उपखंडों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित न किया जायेगा तथा ऐसे उपबन्ध करने वाला विधेयक राज्य परिषद् में पुरःस्थापित न किया जायेगा। नियम ९२ में यह कहा गया है कि विधेयक जब पुरःस्थापित किया जाये तब या उसके बाद किसी अवसर पर, भारसाधक सदस्य अपने विधेयक के बारे में निम्न प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव कर सकेगा, अर्थात् :

"(३) कि उसे, परिषद् की सहमति से, दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाय;"

और पहिले परन्तुक में कहा गया है :

"परन्तु खंड (३) में निर्दिष्ट कोई ऐसा प्रस्ताव किसी ऐसे विधेयक के सम्बन्ध में नहीं किया जायेगा जिसमें संविधान के अनुच्छेद ११० के खंड (१) क उपखंड (क) से (च) में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध हो।"

यह विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिस पर संविधान के उपबन्धों के अनुसार और सभा के नियमों के अनुसार, पहले इस सभा में चर्चा होनी चाहिये।

†**डा० कृष्णस्वामी** (कांचीपुरम्) : मैं जो औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं वह यह है : क्या इस मामले में नियम निलम्बित किया जाना चाहिये और क्या अध्यक्ष महोदय को निलम्बन के प्रस्ताव पर सम्मति देनी चाहिये। निलम्बन तो केवल तभी किया जाना चाहिये जब कोई और चारा ही न हो। यह नियम सभा की नियम समिति को सौंपा जाना चाहिये। नियम समिति के निर्णय के बाद हम यह फैसला कर सकते हैं कि इस मामले में क्या कार्यवाही की जानी चाहिये। यदि इसी प्रकार बार-बार नियम निलम्बित होता रहा तो बरे उदाहरण कायम हो जायेंगे।

†**श्री एस० एस० मोरे** : मेरा कहना यह है कि यह प्रस्ताव दो कारणों से नियम विरुद्ध है। नियम ४०२ में यह कहा गया है कि 'कोई सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से, प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाये .....'। 'किसी नियम' का लागू होना निलम्बित किया जा सकता है। परन्तु इस प्रस्ताव में तो यह कहा गया है कि नियम ९२ का पहला परन्तुक निलम्बित कर दिया जाये। मेरे कहने का अभिप्राय: यह है कि किसी नियम के किसी भाग विशेष के निलम्बन का प्रस्ताव कैसे किया जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि यह प्रस्ताव संविधान की भावना के प्रतिकूल है। यदि आप दूसरे सदन को भी इन मामलों में समान दर्जा देना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि संविधान

†मूल अंग्रेजी में

का संशोधन कर दिया जाये। परन्तु जब तक संविधान वर्तमान रूप में है उसकी भावना के प्रतिकूल कार्य नहीं किया जाना चाहिये।

जहां तक श्री मुकर्जी द्वारा उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं उसका समर्थन करता हूं। नियम २ में 'सदस्य' शब्द की परिभाषा दी गई है। "सदस्य" का तात्पर्य लोक-सभा के सदस्य से है। इन अर्थों में गृह-कार्य मंत्री लोक-सभा के सदस्य नहीं हैं। जब वह लोक-सभा के सदस्य ही नहीं हैं तो नियम ४०२ के अन्तर्गत किसी नियम के निलम्बन का प्रस्ताव कैसे कर सकते हैं।

मुझे ये तीन प्रश्न उठाने हैं। मुझे आशा है कि आप इस बात पर विचार करेंगे कि हमारे ये प्रश्न उचित हैं या नहीं।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : सभा को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि नियम ९२ क पहले परन्तुक को निलम्बित करके आप स्वयं संविधान के अनुच्छेदों को ही निलम्बित कर रहे हैं। संविधान में दोनों सदनों और उनके विशेषाधिकारों में फर्क रखा गया है। हमारे ऊपर कुछ संवैधानिक दायित्व हैं। यदि हम उन दायित्वों को किसी और को सौंप देंगे तो यह एक अनियमित बात होगी।

कुछ लोग यह कह सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद ११७ आदि में तो केवल यह कहा गया है कि ऐसा विधेयक दूसरे सदन में पुरःस्थापित नहीं किया जायेगा; प्रतिबन्ध केवल पुरःस्थापना पर है अन्य प्रक्रमों पर नहीं। परन्तु मेरा कहना यह है कि सरकार संविधान की भावना का सम्मान क्यों नहीं करती ? पहिले यह विधेयक इस सभा की प्रवर समिति को क्यों नहीं सौंपा जा रहा है ? प्रवर समिति द्वारा विचार किये जाने के बाद दूसरे सदन को भी विचार करने का मौका मिलेगा।

नियम ९२ का परन्तुक संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए ही सम्मिलित किया गया था। इसलिये सभा को इसके निलम्बन पर राजी नहीं होना चाहिये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव): मेरे विचार से विवादास्पद प्रश्न बड़ा सरल है। जहां तक मैं समझता हूं इस सभा अथवा अन्य सभा के प्रक्रिया नियमों का केवल एक ही प्रयोजन है और वह यह कि सरकार का कार्य अथवा देश का कार्य भली भांति चलते रहना चाहिये।

प्रश्न यह उठाया गया है कि नियम ४०२ के अधीन 'सदस्य' शब्द है जबकि माननीय गृह-कार्य मंत्री इस सभा के सदस्य नहीं हैं। पहली आपत्ति तो यह है और दूसरी यह है कि इस नियम को इसकी अच्छाइयों के कारण निलम्बित नहीं करना चाहिये।

प्रथम प्रश्न के बारे में मैं सभा का ध्यान संविधान के अनुच्छेद ८८ की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। प्रश्न यह है कि क्या मंत्री की हैसियत से उन्हें इस सभा का सदस्य भी होना चाहिये और तभी वह कुछ चीजें अथवा अन्यथा भी कर सकते हैं ? मेरे विचार से संविधान के अनुच्छेद ८८ का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक माननीय मंत्री, भले ही वह इस सभा का सदस्य हो अथवा नहीं, इस सभा में उपस्थित रह सकता है, और मत देने के अतिरिक्त कार्यवाही में भाग ले सकता है।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** (गुना) : यह तो महान्यायवादी तक कर सकता है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : प्रश्न तो यह है कि वह कार्यवाही में भाग ले सकता है अथवा नहीं। उक्त अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के द्वारा मत देने का अधिकार नहीं होता। अतः मेरे विचार से तो इस सबका तात्पर्य यही है कि उसे कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। एक और नियम है जिसमें विधेयक के प्रभारी सदस्य की परिभाषा दी हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एस० एस० मोरे** : किन्तु नियम ४०२ में "विधेयक के प्रभारी सदस्य" का उल्लेख न होकर "किसी सदस्य" की बात कही गई है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : तो फिर एक नया प्रश्न यह उत्पन्न होगा कि विधेयक का प्रभारी सदस्य सभा का सदस्य है अथवा नहीं। प्रक्रिया नियमों से हम संविधान के इस अनुच्छेद की अवहेलना नहीं कर सकते। कोई भी माननीय मंत्री संविधान के अनुसार अपने अधिकार बता कर कह सकता है कि वह इन नियमों से बाध्य नहीं है।

अतः मेरा निवेदन यह है कि यदि संविधान के अनुच्छेद ८८ को इस दृष्टि से देखा जाये तो प्रत्येक मंत्री को भले ही वह इस सभा का सदस्य हो अथवा नहीं कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है।

अब मैं संकल्प की अच्छाइयों को लेता हूं। जहां तक राज्य पुनर्गठन विधेयक का सम्बन्ध है, धन विधेयक अथवा वित्तीय उपबन्धों का प्रश्न केवल कभी-कभी ही उठता है।

मैं अन्य सदस्यों की भांति ही धन विधेयकों के बारे में इस सभा के अधिकारों को बनाये रखने के पक्ष में हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ माननीय सदस्य वकील हैं। उन्हें यहां इस प्रकार अन्तर्बाधा उपस्थित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जो लोग कुछ कहना चाहते हैं वे लिख कर बाद में दे सकते हैं किन्तु यदि कोई माननीय सदस्य बोलना ही चाहता हो तो पहले मेरा ध्यान आकर्षित करे और अनुमति मिल जाने पर ही बोले। मैं इच्छुक सदस्यों को आवश्यकता समझने पर बोलने का अवसर दूंगा किन्तु वे किसी सदस्य के बोलने के साथ-साथ टीका-टिप्पणी न करें।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : विधेयक की अच्छाइयों के बारे में मुझे यह कहना है कि मैं इस आपत्ति से प्रभावित नहीं हुआ हूं कि इस सभा के अधिकार छीने जा रहे हैं। हम तो इस बात के इच्छुक हैं कि राज्य पुनर्गठन का प्रश्न ठीक प्रकार से और यथाशीघ्र तय किया जाये। क्या इसका निबटारा संयुक्त समिति द्वारा नहीं किया जा सकता ? नियम ४०२ ऐसे अवसरों के लिये ही बना है कि देश के हित की रक्षा की जा सके। निलम्बन का सहारा कभी-कभी और आवश्यकता पड़ने पर ही लिया जाता है। नियम बनाने वालों ने इस चीज को केवल अपवादस्वरूप मामलों के लिये ही रखा है। अब यदि ऐसी नौबत आ जाती है और इस नियम का निलम्बन नहीं किया जाता तो फिर लाभ ही क्या होगा ? अतः मेरा निवेदन यह है कि समय और परिस्थिति को देखते हुए इस नियम का निलम्बन करना अनिवार्य है। अतः मेरे मित्र की दोनों आपत्तियों को समाप्त किया जाना चाहिये।

†**विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : दो बातें कही गई हैं। पहली, नियम ४०२ के सम्बन्ध में है जिसमें कहा गया है कि अध्यक्ष की अनुमति से कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि किसी भी नियम को निलम्बित कर दिया जाय। दूसरी, विधि-जन्य आपत्ति यह की गई है कि सम्भवतः गृह-कार्य मंत्री इस सभा के सदस्य नहीं हैं, अतः वह कोई संकल्प प्रस्तुत नहीं कर सकते।

†**श्री के० के० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : सम्भवतः क्यों ? यह सच है।

†**श्री पाटस्कर** : पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इस बात का पहले ही काफी उत्तर दे दिया है। किन्तु आगे की कठिनाई को बचाने के लिये इस सभा के सदस्य के रूप में, यदि आवश्यकता हुई तो निवेदन करूंगा कि यदि केवल यही आपत्ति है तो इस नियम को निलम्बित किया जा सकता है। यहां बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो इस सभा के सदस्य हैं। इस विधि-जन्य आपत्ति पर हमें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं दूसरी बात को लेता हूं जो वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग यह भूल जाते हैं कि वित्तीय विधेयक और धन विधेयक में कुछ अन्तर है और जहां तक राज्य-सभा का सम्बन्ध है, वित्तीय विधेयक के बारे में उसकी शक्तियां धन विधेयक से भिन्न हैं। संविधान के अनुच्छेद ११० (१) में धन-विधेयक की परिभाषा इस प्रकार है :

"इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक धन विधेयक समझा जायेगा यदि उसमें निम्न-लिखित विषयों में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध अन्तर्विष्ट हों।"

इन विषयों का उल्लेख (क) से (च) तक किया गया है। किन्तु यदि कोई ऐसा विधेयक हो जो केवल इन मामलों का उल्लेख न कर अन्य मामलों का भी उल्लेख करता हो तो वह धन विधेयक न रह कर वित्तीय विधेयक हो जाता है, जिसकी परिभाषा अनुच्छेद ११७ में दी गई है। अनुच्छेद ११० (१) के अर्थ में यह धन-विधेयक नहीं है क्योंकि इसमें केवल उन्हीं मामलों का नहीं अपितु अन्य मामलों का भी उल्लेख किया गया है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि ऐसा नियम नहीं है। किन्तु तथ्य को इतना अधिक महत्व दिया जा रहा है कि हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि वित्तीय विधेयकों और धन-विधेयकों के सम्बन्ध में राज्य-सभा को कौन-कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं।

वित्तीय-विधेयक, धन-विधेयक से भिन्न, एक ऐसा विधेयक है, जिसमें न केवल करारोपण आदि के बारे में ही अपितु अन्य मामलों का भी उपबन्ध होता है और राज्य-सभा में केवल धन-विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। धन-विधेयकों के पारित करने के बारे में संविधान के अनुच्छेद १०९ में एक विशेष प्रक्रिया का उपबन्ध किया गया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानते होंगे। किन्तु जहां तक वित्तीय-विधेयक का सम्बन्ध है, केवल इस बात को छोड़ कर कि राष्ट्रपति की सहमति बिना ऐसे विधेयक राज्य-सभा में पुरःस्थापित नहीं किये जा सकते, इसके अतिरिक्त राज्य-सभा की शक्तियों की कोई परिसीमा नहीं है।

मैं इस सभा से निवेदन करना चाहूंगा कि वस्तुतः वर्तमान नियम ९२ हमारे अधिकारों के लिये एक उपरोध है। जैसा यह नियम इस समय है उससे हमें वित्तीय विधेयक का संयुक्त समिति को सौंपने का अधिकार नहीं है जबकि दूसरी सभा को भी यह अधिकार है। वित्तीय विधेयक को प्रवर समिति को सौंपना आवश्यक नहीं है। इस सभा को यह अधिकार है कि वह चाहे तो वित्तीय विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे और न चाहे तो नहीं। यह नियम उदाहरण के लिये इस मामले में उस शक्ति पर उपरोध है। हम समझते हैं कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने से किसी लाभदायक प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी क्योंकि यहां से पारित हो जाने के पश्चात् वह राज्य-सभा में जाता है, जो दूसरी प्रवर समिति को नियुक्ति करता है क्योंकि उसे भी जिस प्रकार वह चाहे किसी विधेयक को निबटाने का अधिकार प्राप्त है। मैं माननीय सदस्यों से इस बात में सहमत हूं कि हमें अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करना चाहिये। मैं नहीं जानता कि नियम बनाने वालों के ध्यान में यह महत्वपूर्ण चीज क्यों नहीं आई? यह नियन्त्रण केवल धन-विधेयकों और वित्तीय विधेयकों में ही लागू किया जाना चाहिये था। उपबन्ध यह होना चाहिये था कि हम प्रवर समिति को इसे सौंपे या न सौंपें। केवल धन-विधेयक को हम संयुक्त समिति को नहीं सौंप सकते। किसी ने भी यह सुझाव नहीं दिया कि कोई अधिक समय देना चाहता है। (अन्तर्बाधा) अतः इस प्रकार के मामले में नियमों में संशोधन करने का एकमात्र वैकल्पिक उपाय यह है कि उस नियम को निलम्बित कर दिया जाये।

†**आचार्य कृपालानी** : क्या आप नियम के कुछ भाग को निलम्बित कर सकते हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाटस्कर :** उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है और वह ज्यों का त्यों है क्योंकि भूत-काल में कोई कठिनाई नहीं हुई थी। अतएव मैं सुझाव देता हूं कि यह ऐसा उचित मामला है जिसमें दोनों सभाओं के उचित रूप से कार्य करने की दृष्टि से, यदि कोई विधि-जन्य कठिनाई हो तो नियम को निलम्बित कर दिया जाये। हम नहीं जानते कि अध्यक्षपीठ का विनिर्णय क्या होगा किन्तु .....

†**आचार्य कृपालानी :** आप नियम में संशोधन क्यों नहीं कर देते ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** इस बात का उत्तर मेरे सहयोगी ने दे दिया है। सभा को इस प्रश्न पर विचार करना है कि क्या कोई सदस्य किसी नियम के निलम्बन के लिये प्रस्ताव कर सकता है और यदि कोई सदस्य जो विधेयक का प्रभारी सदस्य हो, क्या नियम ९२ के निलम्बन के लिये प्रस्ताव कर सकता है ? यह आधारभूत बात है कि यदि माननीय सदस्य और यह सभा किसी भी कारण से यह समझे कि नियम ९२ सम्बन्धी किसी विषय के बारे में हमें नियम ४०२ के अधीन काम नहीं करना चाहिये तो विपक्षी सदस्यों ने जो आपत्ति उठाई है, वह मानी जायेगी। जहां तक धन-विधेयक और वित्तीय विधेयक में भेद के प्रश्न का सम्बन्ध है, वह मुख्यतः संविधान के अनुच्छेद ११० और ११७ के कारण ही है। इन अनुच्छेदों के प्रयोजन आरम्भ में समान जान पड़ते हैं परन्तु संविधान के निर्माताओं ने उनमें कुछ भेद किया है। यदि सदस्य अनुच्छेद ११७ का खण्ड ३ पढ़ें तो भेद स्पष्ट हो जायेगा। इसमें विशेष रूप से कहा गया है कि इस प्रकार का विधेयक किसी भी सभा में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि संविधान के निर्माताओं ने यह चाहा हो। वित्तीय विधेयक किसी भी सभा में पुरःस्थापित किया जा सकता है, अन्यथा वे "केवल" शब्द का प्रयोग क्यों करते ? परन्तु सभा को यह निश्चय करना है कि क्या इस प्रकार के मामले पर नियम ४०२ लागू हो सकता है अथवा नहीं क्योंकि नियम ४०२ में यह नहीं कहा गया कि नियम ९२ निलम्बित न किया जाये। मैं सोचता हूं कि यह कहना उचित है कि नियम ४०२ विस्तृत है और प्रभारी सदस्य प्रस्ताव कर सकते हैं कि कोई भी नियम निलम्बित किया जाये।

दूसरे प्रश्न के बारे में, जैसा कि मेरे सहयोगी विधि-कार्य मंत्री ने बताया है, कोई भी सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है कि नियम निलम्बित किया जाये, यदि सदस्य औपचारिकता चाहते हैं तो ऐसा किया जा सकता है। यह विषय अध्यक्षपीठ के स्वविवेक पर निर्भर है। विरोधी पक्ष के सदस्यों के अनुसार जो बात स्पष्ट रूप से गलत है उसे ठीक करने के लिये ही यदि ऐसा किया जा रहा है तो हम वैसा करने के लिये तैयार हैं। परन्तु इससे कोई सम्बन्ध नहीं कि अनुच्छेद ११० में 'केवल' शब्द पर जोर दिया गया है अथवा नहीं, धन-विधेयक और वित्त-विधेयक में कोई भेद है अथवा नहीं और अनुच्छेद ११७ (३) में स्पष्टरूप से यह दर्शाया गया है अथवा नहीं कि वित्तीय विधेयक किसी भी सभा में पुरःस्थापित किया जा सकता है यदि राष्ट्रपति उसे पुरःस्थापित करने की अनुमति दे दें। ये ऐसी बातें हैं जिन पर तर्क किया जा सकता है। हमारे सम्मुख प्रश्न यह है कि क्या हम नियम ९२ को निलम्बित कर सकते हैं ? यदि नियम ४०२ विस्तृत है तो हम नियम ९२ निलम्बित कर सकते हैं और अन्य तर्क व्यर्थ हो जायेंगे।

†**पंडित जी० बी० पन्त :** मुझे अधिक नहीं कहना है। मैं मानता हूं कि इस सभा के अन्य माननीय सदस्यों की भांति मैं समान अधिकार रखने वाला सदस्य नहीं हूं। मैं उनके अनुग्रह से यहां पर हूं। उनकी कृपा के लिये बड़ा आभारी हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** आप अपने अधिकार से यहां पर है ।

†**पंडित जी० बी० पन्त :** मैं नहीं समझता कि नियम ४०२ में 'सदस्य' शब्द का प्रयोग सूक्ष्म अर्थ में किया गया है । यदि आप इन नियमों के अन्य उपबन्धों को अर्थात् उदाहरणार्थ, नियम १८६ को देखें जिसमें कहा गया है कि संकल्प के प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् कोई सदस्य संकल्प सम्बन्धी नियमों के अधीन संकल्प का संशोधन प्रस्तुत कर सकेगा, तो इसका ठीक-ठीक पता लग जायेगा । मैं नहीं समझता कि अभी तक किसी ने संकल्प में किसी ऐसे मंत्री द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये जाने का विरोध किया हो जो दूसरी सभा का सदस्य हो । हम ऐसा करते आ रहे हैं और हमें ऐसा करने दिया गया है । यदि सदस्य का निर्वचन सूक्ष्म रीति से किया जाये तो जो व्यक्ति दूसरी सभा के सदस्य हैं उन्हें किसी संकल्प में संशोधन प्रस्तुत नहीं करने दिया जायेगा । इसी प्रकार अन्य नियमों में 'सदस्य' शब्द का प्रयोग किया गया है । उसका सदैव यह निर्वचन किया गया है कि इन विशेष नियमों में उल्लिखित प्रयोजनों के लिये उसमें ऐसा मंत्री भी सम्मिलित है, जो इस सभा का सदस्य न हो । अतः मेरा निवेदन है कि मंत्री निलम्बन प्रस्ताव नहीं कर सकता और उसकी ओर से ऐसा प्रस्ताव करने के लिये दूसरे व्यक्ति से कहना पड़ता है । यदि अर्थ यह हो तो मेरे दो मित्र ऐसा करने के लिये तैयार हो गये हैं । इस मामले में मैं कह दूं कि कार्य मंत्रणा समिति पहले ही सहमत हो गई है और ऐसी बातों पर जिनको कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों ने एकमत से स्वीकार किया है, बड़े वाद-विवाद करना ठीक नहीं । और जब वे इस विषय में सहमत हो गये हैं तो उन दलों के अन्य सदस्य, जिनके प्रतिनिधि कार्य मंत्रणा समिति में थे, इसमें अधिक उदार हो सकते हैं । मैंने यह प्रस्ताव इसलिये किया है कि मैं अत्यन्त सावधानी से काम करना चाहता था । यदि आप अनुच्छेद ११० को देखें तो धन विधेयक या वित्तीय विधेयक को एक ऐसा विधेयक कहा जा सकता है जिसमें निम्नलिखित विषयों में से किसी अथवा सब से सम्बन्धित उपबन्ध हों । वस्तुतः विधेयक में अन्य विषयों से सम्बन्धित कतिपय उपबन्ध हैं, परन्तु मैंने विचार किया कि इसमें क्षेत्रीय परिषदों पर और कतिपय राज्यों के ऋणों से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के दायित्वों पर कुछ व्यय का उपबन्ध किया गया है अतः सदस्यों को इस विषय पर अधिकार देना अच्छा रहेगा । विधि अधीन उन द्वारा अधिकृत प्रतीत होने वाली शक्तियों को मैं अधिक विस्तार देने का प्रयत्न कर रहा था । यदि वे यह नहीं चाहते तो मैं दूसरे सदन का सदस्य होने के नाते उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे अधिक उदार दृष्टिकोण रखें । परन्तु पूरी प्रस्थापना क्या है ? केवल यह है कि इस सभा का यह आदेश है कि यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा जाय । यदि दूसरी सभा ऐसे अधिकार का प्रयोग करे तो यह कहा जायेगा कि यह इस सभा के अधिकार में हस्तक्षेप है । परन्तु जब इस सभा से प्रार्थना की जा रही है कि दूसरी सभा के सदस्यों को संयुक्त समिति में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाये तो यह इस सभा द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग ही है और इस में इसका लाभ ही है कि इसे विकल्प प्राप्त हो कि चाहे यह एक विषय अपने सदस्यों की एक प्रवर समिति को सौंपे या इस सभा और उस सभा के सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपे । यह अपने अधिकार को क्यों सीमित करें ? यह ऐसा क्यों कहें कि इसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है ?

†**पंडित एम० एस० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : यह शक्ति का त्याग है न कि उसका सीमित करना ।

†**श्री जी० बी० पन्त :** यदि यह आपकी अपनी शक्ति का स्वेच्छापूर्ण परित्याग है तो मुझे ऐसा परित्याग इस सभा के लिये लाभदायक या हितकारी प्रतीत होता है । अतः मेरा निवेदन है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित जी० बी० पन्त]

मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और श्री पाटस्कर और श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने जिसे दोहराया था वह पूर्णतः नियमानुसार है और वह प्रस्तुत किया जा सकता है।

†**श्री अशोक मेहता** (भंडारा) : परन्तु श्री एस० एस० मोरे ने क्या बात उठाई थी ? क्या आप किसी नियम के एक अंग को निलम्बित कर सकते हैं ?

†**पंडित जी० बी० पन्त** : यदि आपको नियम का एक अंग निलम्बित करने की अनुज्ञा हो तो आप सारे नियम का निलम्बन नहीं कर सकते। मैं इस तर्क की प्रशंसा कर सकता था। परन्तु यह कहना कि एक विशेष द्वार से हाथी तो गुजर सकता है परन्तु एक खरगोश नहीं गुजर सकता, असाधारण सा प्रतीत होता है। यदि आप सारे नियम का निलम्बन कर सकते हैं तो निश्चय ही उसके एक अंग का भी निलम्बन कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है। औचित्य प्रश्न यह उठाया गया कि यह नियमानुसार नहीं है दूसरे यह कि इस नियम को निलम्बित करना ठीक नहीं है। पहली आपत्ति में यह कहा गया है कि नियम के निलम्बन की प्रार्थना माननीय गृह-मंत्री ने की है जो कि इस सभा के नियमित सदस्य नहीं हैं। इस सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने अनुच्छेद ८८ की ओर निर्देश किया है परन्तु उनका दृष्टिकोण तंग है। संविधान के अनुच्छेद ८८ में इस विषय में कहा गया है :

> "भारत के प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में सदनों की किसी संयुक्त बैठक में तथा संसद् की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले तथा दूसरे प्रकार से कार्यवाहियों में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उसको मत देने का हक न होगा।"

इस सभा के सदस्य मंत्री भी तो प्रायः दूसरी सभा में जाते हैं। अतः जहां तक मंत्री का सम्बन्ध है, वह संयुक्त समिति को कोई विषय निर्दिष्ट करने के हेतु एक सदस्य की ही तरह प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। परिभाषा के नियम के अन्तर्गत एक विधेयक का प्रभारी सदस्य मंत्री भी हो सकता है। माननीय गृह-मंत्री इस विधेयक के प्रभारी सदस्य हैं अतः वे नियम ४०२ के अधीन, एक नियम के निलम्बन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के भी अधिकारी हैं। इसलिये मैंने सहमति दे दी थी।

डा० कृष्णस्वामी ने सहमति देने के सम्बन्ध में अध्यक्ष के स्वविवेक पर आपत्ति की है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में नियम समिति की सहमति लेनी चाहिये न कि अध्यक्ष की, और क्योंकि नियम का निलम्बन परिस्थितियों के अनुसार अस्थायी रूप से होता है अतः अध्यक्ष महोदय को अधिकार देना पड़ता है कि वह प्रस्ताव की स्वीकृति देने के पश्चात उस पर सभा की अनुमति ले। मुझे स्वविवेक का अधिकार प्राप्त है और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। यह कोई युक्ति नहीं है कि मैं इस सम्बन्ध में नियम समिति की अनुमति प्राप्त करूं जबकि उस के द्वारा बनाये गये नियमों में मुझे यह अधिकार दिया गया है।

नियम ९२ के अधीन एक विधेयक का प्रभारी सदस्य, जो कि मंत्री भी हो सकता है, समिति को सौंपने और परिचालन आदि के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। परन्तु 'परन्तुक में कहा गया है कि अनुच्छेद ११० और वित्तीय विधेयकों सम्बन्धी अनुच्छेद ११७ उपखण्ड (१) की मदों के विधेयकों का निर्देशन संयुक्त समिति को नहीं किया जा सकता। श्री मोरे कहते हैं कि सारे नियम को निलम्बित कर दीजिये। यदि ऐसा किया जाये तो किसी भी समिति को निर्देशन नहीं किया जा सकता। पूरे नियम के निलम्बन में उसके अंग का निलम्बन भी तो आ जाता है। अतः जहां तक इस विषय का

---

†मूल अंग्रेजी में

सम्बन्ध है औचित्य प्रश्न असंगत है। इस सम्बन्ध में श्री पाटस्कर द्वारा नया प्रस्ताव प्रस्तुत होने की भी आवश्यकता नहीं रही।

जहां तक दूसरी आपत्ति का सम्बन्ध है मैं इसे सभा के निर्णय पर छोड़ता हूं। धन विधेयक और वित्तीय विधेयक दोनों ही दूसरी सभा में पुरःस्थापित नहीं किये जा सकते। उनमें अन्तर यह है कि धन विधेयक को दूसरी सभा संशोधित नहीं कर सकती। यदि वह सभा पंद्रह दिन के अन्दर भी सिफारिश न करे तो उस सिफारिश की अवहेलना की जा सकती है। वित्तीय विधेयक में संचित निधि में से व्यय का और अन्य बातों का उपबन्ध होता है। मैं इस विधेयक को वित्तीय विधेयक समझता हूं क्योंकि इसमें अनुच्छेद ११७ का उपखण्ड (१) और अनुच्छेद के उपखण्ड (क) से (च) शब्दशः लिये गये हैं।

यह विधेयक दूसरी सभा में पुरःस्थापित तो नहीं हो सकता परन्तु अन्य प्रक्रमों में वह इस सभा के समान ही सक्षम है। संयुक्त समिति को निर्देश के सम्बन्ध में भी वह सभा इसका भली प्रकार अध्ययन संशोधन, परिवर्तन आदि कर सकती है। माननीय सदस्यों की यह धारणा है कि यह धन विधेयक है। इस सभा के हितों की रक्षा में मैं सदस्यों के साथ हूं। परन्तु इस विधेयक को मैं वित्तीय विधेयक समझता हूं।

†**श्री एस० एस० मोरे** : परन्तु मैं आपका ध्यान इस विशेष परन्तुक की ओर दिलाता हूं जो अनुच्छेद ११० के अधीन धन-विधेयक की ओर निर्देश करता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अनुच्छेद ११७ को भूल रहे हैं। अनुच्छेद ११७ (१) का निर्देश इस उपबन्ध की ओर है अर्थात् अनुच्छेद ११० के उपखण्ड (१) में (क) से (च) निर्दिष्ट हैं। ये वित्तीय-विधेयक और धन-विधेयक दोनों के लिये हैं। अतः मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है :

> "कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ९२ के पहले परन्तुक का राज्य पुनर्गठन विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राज्य पुनर्गठन विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त)** : मैं प्रस्ताव* करता हूं :

> "कि भारत के राज्यों के पुनर्गठन और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं के ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाय जिसमें इस सभा के ३० सदस्य अर्थात् श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या, श्री एच० वी० पाटस्कर, श्री ए० एम० थामस, श्री आर० वैंकटरामन, श्री एस० आर० राने, श्री बी० जी० महता, श्री बसंत कुमार दास, डा० राम सुभग सिंह, श्री वी० एन० तिवारी, श्री देव कांत बरूआ, श्री एस० निजलिंगप्पा, श्री एस० के० पाटिल, श्री श्रीमन्नारायण, श्री जी० एस० आल्तेकर, श्री जी० बी० खेडकर, श्री राधा चरण शर्मा, श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर, श्री राम प्रताप गर्ग, श्री भवन जी ए० खीमजी, श्री पी० रामस्वामी, श्री बी० एन० दातार, श्री आनन्द चन्द, श्री फ्रैंक एन्थनी, श्री पी० टी० पुन्नूस, श्री के० के० वसु, श्री जे० बी० कृपालानी, श्री अशोक मेहता, श्री सारंगधर दास, श्री एन० सी० चटर्जी और श्री जयपाल सिंह।

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[पंडित जी० बी० पन्त]

और राज्य-सभा के १५ सदस्य हों ।

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या की एक तिहाई होगी;

कि समिति १४ मई, १९५६ तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

मुझे खतरा था कि यह प्रस्ताव आरम्भ में ही समाप्त कर दिया जायेगा । आप के विनिर्णय से मुझे अब उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ कहने का अवसर मिल गया है, जो मैंने आरम्भ में रखा था ।

मैं कोई बड़ा भाषण नहीं देना चाहता । यदि आवश्यकता हुई तो संभवत: विवाद की समाप्ति पर मैं अधिक विस्तार से कहूंगा । इस विधेयक का विषय छः मास से अधिक समय से देश के समक्ष है । राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन गत १० अक्तूबर को प्रकाशित हुआ था और उस तिथि से इस पर न केवल सभी विधान मंडलों में और संसद में चर्चा हुई वरन् बाहर भी चर्चा होती रही । समाचारपत्रों ने राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों पर विस्तारपूर्वक और सूक्ष्मता से विचार किया है, सिफारिशों की भी जांच की गई थी और बहुत सी बैठकों में उनका समर्थन या विरोध हुआ था । वस्तुत: इस विषय पर इतना कहा जा चुका है कि कभी तो ऐसा अनुभव होता है कि जैसे यह विषय पुराना हो गया हो । परन्तु अब भी इस में ऐसे प्रश्न हैं जिनका महत्व साधारण नहीं है और यह आवश्यक है कि इन प्रस्थापनाओं के पक्ष या विपक्ष में जो तर्क पहले दिये गये हैं या विधेयक के वर्तमान रूप में जो दृष्टिगोचर होते हैं उनको नये सिरे से आंका जाये ।

हमें इस सभा में एक बड़ा वाद-विवाद करने का अवसर मिला था जो कि आज से चार ही मास पूर्व गत २३ दिसम्बर को समाप्त हुआ था । गत तीन सप्ताह में विभिन्न राज्य विधान मंडलों में जो कार्यवाहियां हुई हैं उनके प्रतिवेदन पढ़ने से भी हमें लाभ हुआ है । संसद का वाद-विवाद अपूर्व था पहले कभी भी एक प्रतिवेदन की चर्चा के लिये इतना समय नहीं दिया गया और न ही ऐसी चर्चा में इतनी अधिक संख्या में सदस्यों ने भाग लिया है । जब संसद् में और बाहर इस विषय की भली प्रकार जांच कर ली गई तो उसके पश्चात केन्द्रीय सरकार ने गत १६ जनवरी को विवादास्पद और विचाराधीन बातों पर अपने विचार व्यक्त किये ।

उस घोषणा में इस विधेयक की सभी प्रस्थापनाओं को ले लिया गया था । केवल दो या तीन विषय रह गये थे जिनका सम्बन्ध पंजाब राज्य, बलेरी ताल्लुक या वर्तमान जिला करनाटक और तेलंगाना का आंध्र से संयोजन अथवा विलग करने से था । उस समय ये तीन प्रश्न रह गये थे ।

मुझे सभा को यह बताते हुए हर्ष होता है कि जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, सभी सम्बन्धित दलों की सामान्य सहमति से इन महत्वपूर्ण विषयों का निबटारा हो चुका है । तेलगांना और आंध्र के लोगों के प्रतिनिधियों ने एकीय अथवा एकीकृत राज्य के लिये सहमति दे दी है । और दूसरा प्रश्न पंजाब के सम्बन्ध में जो कि एक कष्टप्रद और प्राय: बहुत समय से दुष्कर प्रश्न रहा है, बहुत से पंजाब निवासियों के लिये संतोषजनक रूप में निबटाया जा चुका है ।

†**एक माननीय सदस्य** : नहीं ।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : एक बार बर्नार्डशाह अपने नाटकों का अभिनय देख रहे थे । बाहर सभी लोगों ने प्रशंसा प्रकट की और दर्शकों ने सराहना की । उनमें से एक ने कहा कि मैं सहमत नहीं हूं । श्री बर्नार्डशाह ने जो उस समय वहां थे कहा--"मैं और आप ही दो व्यक्ति हैं जो एक दूसरे से सहमत हैं परन्तु अन्य सब असहमत हैं ।" यहां भी ऐसी ही बात है ।

अत: पंजाब से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समस्यायें हल हो गई हैं। तेलंगाना और बलेरी के एकीकरण पर बलेरी की समस्या तदनुसार साधारण बन गई और एक सामान्य प्रकार का करार हो गया । आयोग ने सुझाव दिया था कि तुंगभद्रा परियोजना की रक्षा के लिये बलेरी या इसके ताल्लुकों को आंध्र में मिला दिया जाय । केन्द्रीय सरकार को मैसूर सरकार की ओर से आश्वासन मिला है कि वह यह ध्यान रखने का उत्तरदायित्व लेती है कि तुंगभद्रा परियोजना का कार्य शीघ्र हो, इसका संधारण भली प्रकार हो और इससे जो लाभ हो वह आंध्र राज्य के लोगों को मिले और इसमें कोई बाधा न डाले । इस प्रकार इन समस्याओं का निबटारा हो गया है ।

†**डा० लंका सुन्दरम्** (विशाखपटनम्) : क्या आंध्र सरकार ने इस प्रस्ताव के लिये सहमति प्रकट की है ?

†**पंडित जी० बी० पन्त** : वे यह तो नहीं कहेंगे कि वे सहमत हैं परन्तु मुझे उनके समर्थन पर विश्वास है ।

१६ जनवरी को की गई घोषणा के अनुसार पंजाब की केवल एक छोटी तहसील लोहारू को राजस्थान को हस्तान्तरित किया गया था परन्तु लोहारू के लोग पंजाब में ही रहना चाहते हैं । अत: फिर सब सम्बन्धित दलों की सहमति से तहसील लोहारू को पंजाब में ही रहने दिया है और यह राजस्थान को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी ।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : क्या ये सब प्रलेख जिनसे सभी सम्बन्धित दलों की सहमति है, संसद् के सदस्यों अथवा कम से कम प्रवर समिति के सदस्यों में परिचालित किये जायेंगे ?

†**पंडित जी० बी० पन्त** : जहां किसी वक्तव्य पर आपत्ति की जायेगी तो जो लोग आपत्ति करेंगे उनके संदेह को दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : मैं कह रहा था कि सारी सुसंगत जानकारी सभा को दी जाये ।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : मैं मानता हूं कि प्रत्येक सदस्य का अधिकार है कि वह किसी भी विषय पर जानकारी मांगे । मैं उसे देने का प्रयत्न करूंगा । १६ जनवरी को घोषणा किये जाने के बाद इस मामले की और जांच की गई और बाकी मामले सन्तोषजनक रूप से सुलझा दिये गये । १६ मार्च को वह विधेयक लोक-सभा पटल पर रख दिया गया जो कि सरकार द्वारा पहले किये गये निष्कर्षों के आधार पर बनाया गया था । और संविधान के अनुच्छेद ३ के अधीन यह सभी राज्य विधान मंडलों को भेज दिया गया । हालांकि विधि के अनुसार, 'क' और 'ख' राज्यों में से केवल १२ राज्यों पर इसका प्रभाव पड़ा था और अनुच्छेद ३ के अनुसार केवल उन्हीं राज्यों को यह विधेयक भेजना था, किन्तु हमने यह विधेयक न केवल उन्हीं १२ राज्यों को भेजा है अपितु अन्य ५ दूसरे 'क' तथा 'ख' राज्यों को, सभी भाग 'ग' राज्यों को और यहां तक त्रिपुरा, मनीपुर और कच्छ को भी भेजा है जहां कि केवल निर्वाचक-गण है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित जी० बी० पन्त]

राज्यों के पुनर्गठन तथा राज्य क्षेत्रों के समायोजन के बारे में विधेयक के उपबन्धों का प्रभाव केवल १२ राज्यों पर पड़ता है। आसाम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार राज्यों पर सीमा के पुनर्समायोजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है बंगाल और बिहार सम्बन्धी मामला विचाराधीन है और जब दोनों राज्य स्वेच्छा से किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं तो उन राज्यों के बारे में एक विधेयक प्रस्तुत करना होगा। इसलिये हमें १२ राज्यों के बारे में ही विचार करना है।

उन १२ राज्यों में से जिन पर इस विधेयक का प्रभाव पड़ा है, ११ राज्यों ने अपनी राय भेज दी है। इन ११ राज्यों में से प्रत्येक राज्य ने इस विधेयक पर विचार किया था और एक विशेष मामले में एक विशेष मद को छोड़ कर सब ने सामान्य स्वीकृति दी है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि विधेयक की प्रत्येक मद को हर एक आदमी ने अंधाधुंध स्वीकार कर लिया है। उन्होंने विधेयक के उपबन्धों की व्याख्या की और उनकी जांच की। बहुत से संशोधन प्रस्तुत किये गये और उनमें ९७ संशोधन स्वीकार किये गये। इन ९७ संशोधनों में से बहुत कम संशोधन ऐसे हैं जो अधिक महत्व के हैं। अधिक महत्वपूर्ण संशोधन तीन कहे जा सकते हैं।

हैदराबाद राज्य ने बहुत थोड़े से बहुमत से यह सुझाव दिया है कि बम्बई और महाराष्ट्र को मिलाकर एक राज्य बनाना चाहिये।

†**श्री गाडगील** (पूना मध्य) : कांग्रेस सदस्यों ने मतदान नहीं किया अन्यथा भारी बहुमत हो जाता।

†**पंडित जी० बी० पन्त**: शायद ऐसा हो। और यदि उन्होंने विरुद्ध में मत दिया होता तो यह हार हो गई होती।

बम्बई विधान मंडल ने एक और दूसरे प्रस्ताव के बारे में सुझाव दिया था कि गुजरात, महाराष्ट्र और बम्बई राज्यों का एक उच्च न्यायालय नहीं होना चाहिये बल्कि प्रत्येक एकक का अपना-अपना उच्च न्यायालय होना चाहिये। मैं समझता हूं कि बम्बई स्थित उच्च न्यायालय का अपना ही अलग मत है। चाहे कुछ भी हो, एक ऐसे संशोधन के बारे में सुझाव दिया गया था। एक दूसरे संशोधनों में यह प्रस्ताव किया गया था कि इन विधान मंडलों में से कुछ विधान मंडलों के सदस्यों की संख्या बढ़ा देनी चाहिये। सदस्य जितने ज्यादा होंगे उतना ही अच्छा होगा। इसलिये यदि अधिक आवश्यक समझे जायेंगे तो हमें अधिक उम्मीदवार खड़े करने का अवसर मिलेगा और इससे अच्छे कार्यों के लिये अच्छे व्यक्ति चुनने का अवसर मिलेगा। परन्तु इसकी जांच करनी पड़ेगी और तब निर्णय किया जायगा।

आंध्र और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में द्वितीय सदन स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन सब प्रस्तावों पर संयुक्त समिति विचार करेगी। विधेयक में सीमा के समायोजन का ही नहीं अपितु अन्य विषयों का भी उपबन्ध है।

कुछ नये राज्य बनाये जा रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य जिसका क्षेत्र शायद सबसे अधिक होगा इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार बनाया जा रहा है। तेलंगाना और आंध्र भी मिलकर एक बड़ा राज्य बन जायेगा। तेलंगाना और आंध्र के विधान मंडलों ने सुझाव दिया है कि नये राज्य का नाम आंध्र-तेलंगाना न होकर आंध्र देश हो।

विधेयक में अन्य आवश्यक प्रस्ताव भी हैं। वर्तमान विधान मंडलों के सदस्य जो अन्य राज्यों में मिला दिये गये हैं, अपनी सदस्यता उन राज्यों में बनाये रख सकेंगे जहां उनके निर्वाचित

---

†मूल अंग्रेजी में

क्षेत्र मिला दिये गये हैं, उनकी सदस्यता छटेगी नहीं । इससे उनके सदस्यों को आराम मिलेगा जो अन्यथा विधान मंडलों में अपना स्थान खो देते । कुर्ग जैसे कुछ राज्यों में जिनकी आबादी केवल २ लाख है, विधान मंडल के सदस्य जन संख्या की तुलना में अत्यधिक हैं । शायद १ हजार के लिये एक सदस्य है । परन्तु हम इस समय उस संख्या में कमी करने का सुझाव नहीं दे रहे । हमने एक रूप नियम अपनाया है कि वर्तमान सदस्य अगले आम चुनावों तक नये राज्यों के सदस्य रहेंगे ।

महाराष्ट्र का नया राज्य विदर्भ, मराठवाड़ा और बम्बई राज्य के मराठी भाषी लोगों से मिलाकर बनाया जायगा । भारत के राज्यों में वह शायद दूसरा अथवा तीसरा बड़ा राज्य होगा । गुजरात भी एक नया राज्य होगा जिसमें सौराष्ट्र और बम्बई राज्य के अन्य जिले होंगे, मैसूर भी एक बड़ा राज्य बन जायगा जिसका क्षेत्र और जनसंख्या पहले से लगभग दुगुनी होगी उसमें मैसूर और हैदराबाद तथा बम्बई राज्य के कन्नड़ भाषी जिले होंगे । वह भी एक बड़ा राज्य होगा ।

त्रावणकोर-कोचीन का नाम अब केरल होगा । और दक्षिण के कुछ ताल्लुके जिनके बारे में बहुत समय से विवाद चल रहा था अब तामिलनाड को दिये जायेंगे और मलाबार मद्रास से निकालकर केरल में मिला दिया जायगा । मुझे खेद है कि केरल में आज कोई विधान मंडल नहीं है । जिन परिस्थितियों में विधान मंडल के स्थान पर राष्ट्रपति का शासन स्थापित करने की कार्यवाही करनी पड़ी उसके बारे में माननीय सदस्यों को जानकारी है । परन्तु फिर भी हमें त्रावणकोर-कोचीन विधान मंडल के मत की पूरी जानकारी है । त्रावणकोर-कोचीन विधान मंडल में इस विषय पर चार दिन अर्थात् २१ से २४ नवम्बर १९५५ तक चर्चा हुई थी और उस राज्य सम्बन्धी सभी विषयों पर पूरी चर्चा हुई थी अतः इस विधेयक का जिन बारह राज्यों पर प्रभाव पड़ता है उनका मत, रायें और सुझाव हमारे पास हैं ।

कार्य संचालन के लिये भी उपबन्ध हैं । हम आशा करते हैं कि नये राज्य पहली अक्तूबर तक बन जायेंगे । परन्तु इस इच्छा की पूर्ति इस सभा के माननीय सदस्यों के सहयोग पर निर्भर है । उन्होंने उस विवादास्पद विषय पर जिस ढंग से व्यवहार किया है उसके लिये मैं बहुत ही अनुग्रहीत हूं । बड़े खेद की बात है कि आरम्भ में कुछ दुखद घटनायें हुईं परन्तु अब वह बात बीत चुकी है । मैं जानता हूं कि कुछ लोग अभी भी दुखी हैं । हम चाहते हैं कि हम उसका निवारण कर सकते और ऐसी भावना को दूर कर सकते । हम सदैव ऐसा करने को उत्सुक रहे हैं और समय-समय पर अपने निर्णयों में भी हम ने परिवर्तन किया है परन्तु अभाग्यवश हमें सफलता नहीं मिली है ।

कार्य संचालन के लिये यह आवश्यक है कि जब ये राज्य बन जायें तो इनके पास वित्त हो । अतः वर्तमान राज्यपाल और राज्य प्रमुख इन राज्यों के बन जाने के पश्चात प्रथम तीन मास तक इनके द्वारा किये गये व्यय को प्रमाणित करेंगे । संयुक्त समिति विचार करेगी कि यह तीन मास की अवधि पर्याप्त है अथवा यह ६ महीने तक बढ़ाई जा सकती है जिससे कि यह सारा वित्तीय वर्ष उसके अन्तर्गत आ जाये । संयुक्त समिति अन्य बातों पर भी विचार करेगी ।

विधेयक में आस्तियां और उत्तरदायित्वों के विभाजन के लिये निधियां आवंटित करने का भी उपबन्ध है । निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत का पालन किया गया है ——जहां तक भूमि और भूमि के लिये देय राशि जैसी वस्तुओं का सम्बन्ध है उनका लाभ बिना किसी को कोई प्रतिकर दिये उस राज्य को होगा जिसको क्षेत्र हस्तान्तरित किया जायेगा । जहां तक रोकड़ और अन्य आस्तियां, ऋण और अग्रिम धन आदि का सम्बन्ध है इनका लेखा किया जायगा । विधेयक में यह भी उपबन्ध है कि बम्बई तथा हैदराबाद राज्य को जो ऋण देने हैं उनका दायित्व केन्द्र ले लेगी जिससे कि नये राज्यों पर आरम्भ में गहन उत्तरदायित्व न पड़े । नये राज्यों को निश्चित सामान्य सिद्धांत के अनसार इन ऋणों के लिये उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा ।

[पंडित जी० बी० पन्त]

सिंचाई और विद्युत् जैसे निर्माण कार्यों के संरक्षण का भी उपबन्ध किया गया है । इन क्षेत्रों के विकास के लिये जो राशि निश्चित की गई है उसके विनियोजन और प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिये भी कुछ परित्राण रखे गये हैं । अन्य ऐसे उपबन्ध भी किये गये हैं जिससे कि हस्तांतरित किये गये क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को चिकित्सा, कृषि और पशु चिकित्सा कालेजों जैसी संस्थाओं का लाभ मिलता रहे । कुछ क्षेत्रों के अन्य राज्यों में चले जाने के तुरंत पश्चात उन्हें कठिनाई नहीं पड़नी चाहिये । इस बात के लिये नये राज्य को आरम्भ में कुछ बाधा न हो विधेयक में पर्याप्त उचित परिमाणों का उपबन्ध किया गया है । उत्पादन शुल्क की समस्त राशि में से और आयकर की समस्त राशि में से नये राज्यों को बांटी जाने वाली राशि पर भी विचार किया गया है और अनुसूची में दिया गया है कि नये राज्यों को कितना अंश मिलेगा । सारांश में विधेयक में ये ही बातें दी गई हैं ।

मैं नहीं सोचता कि विधेयक के उपबन्धों के बारे में और विस्तृत बातें कहनी चाहियें । समस्त विषय पर संयुक्त समिति विचार करेगी और समस्त सुझावों पर समिति और सरकार द्वारा पूर्ण विचार किया जायगा । विधेयक में दी गई प्रस्थापनाओं के लिये एक शक्तिशाली और प्रतिनिधि समिति बनाने का प्रयत्न किया गया है । मुझे मालूम नहीं कि जब हम अपने-अपने राज्यों सम्बन्धी विषयों पर चर्चा करेंगे तब माननीय सदस्यों का देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिये । यह बताना आवश्यक है अथवा नहीं । जिन प्रश्नों पर संयुक्त समिति में चर्चा होगी और यह सभा विचार करेगी उनके कारण पहले काफी झगड़ा कुछ स्थानों पर हुआ है और दुखद घटनायें भी हुई हैं । परन्तु हमने एक सबक सीखा है । सत्याग्रह के नाम पर कुछ स्थानों में अभी भी प्रदर्शन किये जाते हैं । इनको सुनकर मुझे आश्चर्य होता है । हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है । हमने इन विषयों पर सब जगह चर्चा की है । मत व्यक्त करने के लिये पर्याप्त अवसर दिया गया है । जिन व्यक्तियों को इन विषयों के बारे में स्थिति का अध्ययन कर अन्तिम निश्चय करना पड़ेगा उनकी सहायता करने के लिये विभिन्न प्रकार की राय रखने वालों को पूर्ण अवसर दिया गया है । हमें इसी रीति का पालन करते रहना चाहिये । इस समय आवश्यक है कि हम सद्भवना फैलायें और शांति स्थापित करें तथा एक दूसरे में विश्वास की भावना उत्पन्न करें । यह आवश्यक है कि हममें वह भावना हो जो दो पड़ोसियों में होती है और हम एक दूसरे पर विश्वास कर सकें जिससे कि जो भी सुधार किये जायें वे विचारपूर्वक किये जायें । हमें विश्वास और आशा के साथ आगे बढ़ना चाहिये ।

शीघ्र ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना आरम्भ की जायेगी । कुछ स्थानों में जो हम से अधिक दूर नहीं हैं असंतोष की भावना प्रकट की जा रही है । कुछ समाचारपत्रों में कुछ घोषणायें प्रकाशित की गई हैं जिनमें जहाद शब्द का प्रयोग किया गया है । संसार में हमारे लिये कुछ मान है अत: हमें अच्छे ढंग से इन समस्याओं को सुलझाना चाहिये जिससे कि हम अपनी शक्तियां रचनात्मक कार्यों में लगा सकें । इस महान भूमि का आदर बढ़ायें और इसे वह स्थान दें जो राष्ट्रों में इसका होना चाहिये । हमें ऐसा वातावरण और ऐसी भावनायें उत्पन्न करनी चाहियें जिससे कि प्रत्येक नागरिक को अपना पूर्ण विकास करने का अवसर मिले और प्रत्येक को गर्व हो कि वह भारत जैसे महान देश का नागरिक है ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं । संविधान के अनुच्छेद ३ के अनुसार संसद् राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है तथा नये राज्य बना सकती है । केवल अंदमान और निकोबार द्वीप संविधान में ऐसे क्षेत्र माने गये हैं जो राज्य नहीं हैं । अब बम्बई जैसे कुछ क्षेत्रों को इस विधेयक में राज्य क्षेत्र बनाया जा रहा है । एसा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि एक संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं किया जाता जो अनुसूची में परिवर्तन कर विभिन्न

†मूल अंग्रेजी में

प्रकार के राज्य क्षेत्र बनाये और जिसमें संघ राज्य क्षेत्र को भी मान्यता दी जाये। आपने इसी प्रकार के विनिर्णय पहले भी दिये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** किस वर्ष ?

†**श्री एस० एस० मोरे :** ३ अगस्त और १८ सितम्बर १९५३ को अपराधिक विधि संशोधन विधेयक और सम्पदा शुल्क विधेयक के बारे में दिये हैं। आपने कहा था कि जब दो विधेयक साथ-साथ पुरःस्थापित किये जायें और उनमें से एक संविधान संशोधन विधेयक हो जिस पर दूसरा विधेयक आधारित हो तो संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के पहले दूसरे संशोधन विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता। अतः जब तक संघ राज्य क्षेत्र को मान्य वर्गीकरण नहीं समझा जाता तब तक केवल उसकी प्रत्याशा कर ऐसे विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता। हमें संवैधानिक उपबन्धों और परिसीमाओं का ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिये, शीघ्रता करने से कोई लाभ नहीं। संवैधानिक कठिनाई को दूर करने के लिये हमें संविधान विधेयक में संशोधन करने वाले विधेयक को प्राथमिकता देनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री।

†**पंडित जी० बी० पन्त :** श्री मोरे द्वारा उठाई गई आपत्ति का अर्थ मैं नहीं समझता हूं।

†**श्री एस० एस० मोरे :** मझे मालूम है कि यह मेरा अपराध है।

†**पंडित जी० बी० पन्त :** मैं उनका अर्थ नहीं समझ सका। यह मेरा अपराध हो सकता है। परन्तु तथ्य यह है कि हम एक दूसरे को नहीं समझ सके।

†**श्री एस० एस० मोरे :** इसलिये हम विरोध पक्ष में बैठे हैं।

†**पंडित जी० बी० पन्त :** केवल यह बात नहीं है। आपका हृदय इस ओर हो सकता है।

मैंने एक विधेयक पुरःस्थापित किया है जो अभी लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है और जिसके बारे में संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यदि उसक किसी उपबन्ध को सभा स्वीकार न करें तो उसे सभा समाप्त कर सकती है। यदि संयुक्त समिति समझती है कि कुछ खण्ड स्वीकृत न किये जायें तो वह ऐसा निर्णय करेगी। परन्तु श्री एस० एस० मोरे मानते हैं कि संविधान विधेयक में कुछ उपबन्ध किये गये हैं वे इस विधेयक में नहीं किये जा सकते थे। हमने इस विधेयक में ऐसे उपबन्ध रखे हैं जो यहां रखे जा सकते थे। दूसरे विधेयक में हमने ऐसे उपबन्ध रखे हैं जो इनके लगभग दूसरे भाग हैं। हमने उन दोनों को एक ही तारीख को पटल पर रखा है। संयुक्त समिति को यह विधेयक सौंपने के बाद मैं उस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव करने वाला हूं। मुझे मालूम नहीं कि और कौन सा तरीका हो सकता था। न मालूम इस विषय में मुझ से क्या आशा की जाती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस विषय पर विचार करूंगा।

†**श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन** (डिंडीगल) **:** मेरे संशोधन का क्या हुआ ?

†**पंडित जी० बी० पन्त :** मैं शीघ्र ही आपके संशोधन को अपना संशोधन समझ प्रस्तुत करूंगा।

†**श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन :** मैंने नामों में परिवर्तन किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित जी० बी० पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

प्रस्ताव में :—

(१) *For* "consisting of 45 members, 30 from this House and 15 members from Rajya Sabha"

["४५ सदस्यों की, जिसमें इस सभा के ३० सदस्य और राज्य-सभा के १५ सदस्य हों"]

के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :

"Consisting of 51 members, 34 from this House and 17 members from Rajya Sabha"

["५१ सदस्यों की, जिस में इस सभा के ३४ सदस्य और राज्य सभा के १७ सदस्य हों"]

(२) क्रम संख्या ३० के पश्चात् निम्नलिखित नाम जोड़ दिये जायें :

"31. Dr. Lanka Sundaram
32. Shri Tek Chand
33. Dr. N. M. Jaisoorya
34. Shrimati Ammu Swaminathan."

"३१ डा० लंकासुन्दरम्

३२ श्री टेकचन्द

३३ डा० एन० एम० जयसूर्य

३४ श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन।"

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव को संशोधित रूप में लोक-सभा के समक्ष रखता हूं :

"कि भारत के राज्यों के पुनर्गठन और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को सभाओं के ५१ सदस्यों की एक संयुक्त-समिति को सौंपा जाय जिसमें इस सभा के ३४ सदस्य अर्थात श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या, श्री एच० वी० पाटस्कर, श्री ए० एम० थामस, श्री आर० वेंकटरामन्, श्री एस० आर० राने, श्री बी० जी० महता, श्री बसन्त कुमार दास, डा० राम सुभग सिंह, श्री वी० एन० तिवारी, श्री देवकान्त बरूआ, श्री एस० निजलिंगप्पा, श्री एस० के० पाटिल, श्री श्रीमन्नारायण, श्री जी० एस० आल्तेकर, श्री जी० बी० खेडकर, श्री राधाचरण शर्मा, श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर, श्री रामप्रताप गर्ग, श्री भवन जी ए० खीमजी, श्री पी० रामस्वामी, श्री बी० एन० दातार, श्री आनन्द चंद, श्री फ्रैंक एन्थनी, श्री पी० टी० पुन्नूस, श्री के० के० बसु, श्री जे० बी० कृपालानी, श्री अशोक मेहता, श्री सारंगधर दास, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री जयपाल सिंह, डा० लंका सुन्दरम्, श्री टेकचन्द, डा० एन० एम० जयसूर्य और श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन

और राज्य-सभा के १७ सदस्य हों,

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या की एक तिहाई होगी;

कि समिति १४ मई, १९५६ तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन देगी;

---

†मूल अंग्रेजी में

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम, ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करे; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता—उत्तरपूर्व) : इस सभा में ऐसे अवसर कम ही आये हैं जब हम लोगों से इतने महत्वपूर्ण विधान पर विचार करने के लिये कहा गया हो। यह एक ऐसा विधान है जिसके लिये हमारी जनता व्याकुल थी। परन्तु यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने अपने जन-विरोधी, अशोभनीय कार्यों द्वारा इस विधान की, जिसका स्वागत करने के लिये सभी लोग तैयार और उत्सुक थे, छीछालेदर कर दी है। यदि सरकार चाहे, तो उस संयुक्त समिति द्वारा जिसे यह विधेयक सुपुर्द किया गया है, अब भी काफी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। परन्तु आज की जैसी स्थिति है, उसके देखते हुये मुझ को भय है कि इस विधान के सिलसिले में सरकार द्वारा जनता के प्रति जो अन्याय किये गये हैं, उनको दूर नहीं किया जा सकेगा।

मैंने गृह-कार्य मंत्री को यह कहते हुए सुना है कि कुछ मामलों के सम्बन्ध में वह जनता की इच्छाओं के अनुसार ही निर्णय करेंगे। मैं उनकी इस बात को स्वीकार किये लेता हूं परन्तु मैं गृह-मंत्री से एक बात को स्पष्ट कराना चाहता हूं। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि जनता का तात्पर्य किसी राजनीतिक दल विशेष के, चाहे वह कांग्रेस हो या और कोई राजनीतिक दल हो, सदस्यों से नहीं होता है। यदि बिहार और बंगाल के विलयन के सम्बन्ध में जनता की राय ली जाती है, तो इस सुझाव को बिना किसी आडम्बर के रद्द किया जाना चाहिये और गृह-मंत्री द्वारा तत्काल इस आशय की घोषणा की जानी चाहिये।

मैं यह बात मानने के लिये तैयार हूं कि हमारे प्रधान मंत्री के ही समान हमारे गृह-कार्य मंत्री भी सत्य और अहिंसा के हामी हैं। परन्तु जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, उन्होंने एक भी ऐसी बात नहीं कही है जिसका सत्य से, अथवा उन सिद्धांतों से, जिनकी अक्सर दुहाई दी जाती है, कोई सम्बन्ध हो। एक समय भाषावार पुनर्गठन के जिन सिद्धांतों की बड़े उत्साह से दलीलें दी जाती थीं, उनको उचित आधार पर पुनर्गठन करने के नाम पर तिलांजलि दे दी गयी है और इस औचित्यपूर्ण नाम के कारण उन्होंने इस विधेयक के सम्बन्ध में अनेकों त्रुटियां की हैं। १९४७ में सत्ता ग्रहण करने से पूर्व, यहां तक कि पिछले साधारण निर्वाचनों से पहले भी, कांग्रेस ने इस बात को कभी गुप्त रखने का प्रयास नहीं किया कि वह भाषा के सिद्धांत का समर्थन करती है।

सन् १९२८ के नेहरू-प्रतिवेदन में कहा गया था कि प्रांतों के पुनर्वितरण में मुख्यरूप से जनता की इच्छाओं और सम्बन्धित क्षेत्रों की भाषावार एकता का ही ध्यान रखा जाना चाहिये। इस प्रतिवेदन को आज तीन दशक बीत चुके हैं, परन्तु उसमें कही गयी बात आज भी उतनी ही सत्य है। आज जो अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझ कर इधर-उधर पैंतरेबाजी करते घूमते हैं और भाषावाद को बुराइयों के राग अलापते हैं, वह वास्तव में जनता पर झूठा लांछन लगाने वाले हैं।

जैसा कि हमारे संविधान में कहा गया है, भारत अनेक राज्यों का एक संघ है, यह राज्य आपस में लड़ने-झगड़ने वाले नहीं हैं जिन्होंने कुछ मामलों में समझौता कर लिया हो, वरन् ऐसे राज्य हैं जो विभिन्नताओं के होते हुए भी एक सूत्र में बंधे हुए हैं, जिनकी संस्कृति बहुरंगी है और यदि आप उसके किसी भाग को उससे अलग कर दें तो उसको भीषण क्षति पहुंच सकती है। हमारी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

दशभक्ति का पहला उत्तरदायित्व यही है कि भारत की एकता और जनता की दृढ़ता को बनाये रखें। परन्तु इस एकता और दृढ़ता की रक्षा अपनी आंखों की पुतली के समान उसी समय की जा सकेगी जब कि जनता को इस बात का विश्वास दिला दिया जाये कि यदि अपार कठिनाइयों द्वारा बाधा न डाली गयी, तो यथासमय भाषावार राज्यों की स्थापना कर दी जायेगी। इसलिये, जहां तक यह विधेयक इस प्रक्रिया की सहायता करता है वहां तक इसका स्वागत है, परन्तु जहां तक यह इसमें बाधक बनता है उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिये और मुझे आशा है कि संयुक्त समिति में कुछ बड़े परिवर्तन कर दिये जायेंगे ।

राज प्रमुखों के पद के उत्सादन किये जाने का अथवा 'क', 'ख' और 'ग' श्रेणी के राज्यों के विभेद के समाप्त किये जाने का स्वागत करने में मुझ को कोई हिचक नहीं है। हम मैसूर, केरल और नये बनाये जाने वाले अन्य भाषावार राज्यों का भी निश्चय ही स्वागत करते हैं। परन्तु आप इसको कर्नाटक न कहकर मैसूर क्यों कहते हैं ? आंध्र को आंध्र और मद्रास को तामिलनाड क्यों नहीं कहते हैं ? इसमें लज्जा केवल उसी समय हो सकती है जब हम यह मान लें कि भाषा का सिद्धांत हमको पसन्द नहीं है। हम चाहते हैं, हमारी जनता चाहती है, परन्तु हमारा प्रशासन कहता है कि भाषा के सिद्धांत के सम्बन्ध में हम मौन ही बने रहें।

जिन क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाने वाली है, उनके सम्बन्ध में संयुक्त समिति द्वारा काफी आलोचनात्मक दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये, क्योंकि इनकी स्थापना किये जाने मात्र से ही पारस्परिक समस्याओं अथवा विवादों के शीघ्रतापूर्वक हल किये जाने की आशा नहीं की जा सकती है।

इस समस्या का हल भारत के आर्थिक विकास के प्रश्न पर एकीकृत दृष्टिकोण के अपनाये जाने में निहित है। इसीलिये मेरी यह धारणा है कि इन क्षेत्रीय परिषदों को लोकतंत्रात्मक स्वरूप प्रदान करने के बाद ही इनको स्थापना की अनुमति दी जा सकती है और साथ ही इन क्षेत्रीय परिषदों का कार्य केवल सामाजिक नियोजन और आर्थिक नियोजन पर विचार करने तक ही सीमित होना चाहिये। हो सकता है कि इन क्षेत्रीय परिषदों के रूप में सरकार किन्हीं प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना करना चाहती है और शायद इसीलिये वह भाषा के सिद्धांत का इतनी तीव्रता के साथ विरोध कर रही है। इसीलिये संयुक्त समिति को इस बात पर बहुत अधिक ध्यान देना होगा कि कहीं इन क्षेत्रीय परिषदों के बहाने गुप्त रीति से विलयन का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। मुझे आशा है कि यदि इस दृष्टि से विचार किया गया तो इन क्षेत्रीय परिषदों के स्वरूप को ही सही दिशा में मोड़ा जा सकेगा।

मेरे पास सरकार की अनेक त्रुटियां की ओर ध्यान आकृष्ट करने का समय है और बम्बई का प्रश्न भी उन्हीं लोगों के लिये छोड़ कर, जो इस सम्बन्ध में मुझ से अधिक जानकारी रखते हैं, मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि बम्बई को महाराष्ट्र में शामिल करने की मांग निस्सन्देह एक सच्ची, लोकप्रिय, और लोकतंत्रात्मक मांग हैं और इस विधेयक में इसके सम्बन्ध में जो उपबन्ध रखा गया है उसका उद्देश्य केवल यही हो सकता है कि साधारण निर्वाचनों के तुरंत पूर्व देश की इस व्यावसायिक राजधानी को अपने ही हाथ में रखा जाये। यहां के मुख्य मंत्री कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी हैं, और आने वाले साधारण निर्वाचनों की दृष्टि से उनके उत्तरदायित्व बहुत हीं अधिक हैं।

बम्बई को महाराष्ट्र में शामिल किये जाने की जनता की इस मांग का सरकार द्वारा अत्यन्त अविचारपूर्ण ढंग से विरोध किया गया है और बम्बई इस समय भी मौन यंत्रणा सहन कर रहा है। बम्बई के सम्बन्ध में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि वहां बिल्कुल भी न्याय नहीं किया गया है। वरन् बम्बई के सम्बन्ध में जो भी सुझाव दिया जाता है उसमें कोई न कोई चाल अवश्य छिपी रहती है।

अब मैं एक और अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख करूंगा। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि आप जो भी कार्य करने जाते हैं उसमें उड़ीसा को क्यों पूरी तरह से भुला देते हैं। क्या इस-लिये कि उड़ीसा की जनता गरीब है? परन्तु साथ-साथ उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दे दिया है कि कांग्रेस दल की शक्ति और तड़क-भड़क के बावजूद वहां पर एक आन्दोलन बल पकड़ रहा है। परन्तु सरायकेला और खरसवान के सम्बन्ध में उड़ीसा के दावों की पूरी तरह से अवहेलना कर दी गयी है।

पश्चिम बंगाल और बिहार के विचाराधीन प्रश्नों का तो पूरा इतिहास ही इतना कलुषित है कि सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण किया ही जाना चाहिये। बिहार और बंगाल के बीच कुछ विवाद थे, जहां तक राज्य पुनर्गठन आयोग का सम्बन्ध है, उसने कुछ निर्णय किये थे उनके सम्बन्ध में हममें से कुछ की राय थी कि वह गलत थे क्योंकि पश्चिम बंगाल की कुछ सही मांगों पर विचार नहीं किया गया था। उसके बाद उन पर सरकार द्वारा किया गया निर्णय हमारे सामने आया और वह और भी खराब था क्योंकि उसने आयोग के पंचाट को व्यर्थ कर दिया था। और फिर अचानक दोनों राज्यों के विलय का सुझाव आ गया।

विधेयक सम्बन्धी जिन प्रारूप प्रस्थापनाओं को एक माह पूर्व सरकार द्वारा परिचालित किया गया था, उनमें विधेयक की एक प्रस्तावना भी थी जिसमें कहा गया था कि दोनों राज्यों के विलय की प्रस्थापना के कारण उनके सम्बन्ध में किसी उपबन्ध को विधेयक में शामिल नहीं किया गया था। इन राज्यों के सम्बन्ध में जो निर्णय किये जायेंगे उनको कार्यान्वित करने के लिये एक अलग विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा।

गृह-कार्य मंत्री ने इसी बात को फिर से दोहराया है। परन्तु हमारी धारणा यह है कि देश के क्रीत-दास पत्रों द्वारा यह प्रचार किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता का एक बहुत बड़ा भाग विलयन के पक्ष में है। यह बात बिल्कुल झूठ है। मैं गृह-कार्य मंत्री को चुनौती देता हूं कि वह कलकत्ते में स्वर्गीय श्री मेघनाद साहा के स्थान के लिये होने वाले निर्वाचन के परिणामों की प्रतीक्षा करें तो उनको पता लग जायेगा कि वहां के मतदाता, जिनमें ४० प्रतिशत गैर-बंगाली हैं, किस ओर मत देते हैं।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : मैं तो बिना चुनौती के प्रतीक्षा करने के लिये तैयार हूं।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : कलकत्ते के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के अन्य भागों में भी आन्दोलन चल रहा है। हफ्तों से सत्याग्रह चल रहा है और बंगाल-बिहार विलयन विरोध आन्दोलन के सिलसिले में, १२ अप्रैल, १९५६ तक ७५४८ प्रदर्शनकर्त्ता गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यह सत्याग्रह भी अत्यन्त आदर्श रूप में चलाया जा रहा है। परन्तु फिर भी हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि प्रशासन पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है। जो बात एक के लिये ठीक है, वह दूसरे के लिये ठीक नहीं होती है। जनता की समस्याओं के प्रति इस प्रकार का भेदभावपूर्ण रुख एक ऐसे प्रशासन का परिचायक है जो अच्छे कार्य करते हुए भी—जिनका हर कोई समर्थन करने के लिये तैयार है—जनता से अलग बना रहता है। इसीलिये जब जनता द्वारा अत्यन्त ही शान्तिपूर्ण रीति से सत्याग्रह किया जाता है, उस समय अखिल भारतीय समाचारपत्रों में उनकी खबर भी न देकर हमसे कहा जाता है कि "आप हमारे ऊपर अनुचित दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं।" आखिर हमसे क्या करने की अपेक्षा की जाती है?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

पश्चिम बंगाल में कम से कम दस नगरपालिका-निर्वाचन हो चुके हैं और कांग्रेस इन सब में पराजित हुई है; कुछ में तो कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने की भी हिम्मत नहीं हुई। कलकत्ता निगम के—यद्यपि उसकी निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त अलोकतंत्रात्मक है—निर्वाचन का आश्वासन दिये जाने के बावजूद स्थगित कर दिये गये हैं अन्यथा वहां भी परीक्षा हो जाती।

आज बिहार में, लोक सेवक संघ के ७९ वर्षीय नेता श्री अतुल चन्द्र घोष सत्याग्रह करने के लिये मानभूम से कलकत्ते की पैदल यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। वह सब लोगों को यह बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार यह विलय प्रस्ताव सबको क्षति पहुंचायेगा और किस प्रकार उन क्षेत्रों को, जो भाषा के विचार से असंदिग्ध रूप से पश्चिम बंगाल के भाग हैं, उसमें मिला कर ही समस्या को वास्तविक ढंग से हल किया जा सकता है। यह सब हो रहा है और यहां हम को शान्ति और अहिंसा के पाठ पढ़ाये जा रहे हैं। कलकत्ते में जाकर देखिये कि वह आन्दोलन किस ढंग से चलाया जा रहा है। ऐसे में जनता की इच्छाओं की बात करना और फिर बंगाल-बिहार के विलय को उनके ऊपर लादना——मैं इसको राजनीतिक बेईमानी कहूंगा।

यहां मेरे पास '**अमृत बाजार पत्रिका**' की एक प्रति मौजूद है जो शुद्ध कांग्रेसी पत्र है। इसके १९ अप्रैल के कलकत्ता संस्करण में छपा है कि मौलाना आजाद कहते हैं कि जिन क्षेत्रों को बंगाल को हस्तांतरित किये जाने की सिफारिश की गयी है, उनको बंगाल और बिहार संघ के पश्चिम बंगाल क्षेत्र के अधीन लाया जाना चाहिये। इससे पूर्व एक पत्रकार सम्मेलन में मौलाना ने कहा था कि विलय का प्रस्ताव सीमा प्रस्ताव का स्थान नहीं ले सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि विलय संभव नहीं हुआ तो जिन क्षत्रों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गयी है उनको हस्तांतरित करने का सरकारी निर्णय लागू किया जायेगा।

यह सब क्या है—दिल्ली का लड्डू? "दिल्ली का लड्डू जो खाया वह पछताया, जो नहीं खाया वह भी पछताया।" इसका क्या अर्थ है? जनता को गुमराह क्यों किया जाता है? आगे आकर यह क्यों नहीं कहा जाता कि सत्रावसान के पहले ही विधेयक में शामिल किये जाने के लिये हमारे पास दो प्रस्थापनायें तैयार हैं।

मैं गृह-कार्य मंत्री से इसी समय कोई उत्तर पाना नहीं चाहता हूं। परन्तु उनको मामले पर विचार करना चाहिये कि देश के उस भाग की जनता क साथ इस प्रकार का भद्दा व्यवहार करने का क्या कारण है? हो सकता है कि आप समझते हों कि डा० बी० सी० राय सारी दुनिया से ऊपर हैं। पश्चिम बंगाल में उनकी कल्पित स्थिति के आधार पर ही आप वहां की जनता के साथ आंखमिचौनी खेल रहे हैं।

मुझ खेद है कि अपनी बात बंगाल पर ही केन्द्रित करनी पड़ती है, मुझे पंजाब, बम्बई, उड़ीसा, और हैदराबाद के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहना है। मैं उग्र बंगाली राष्ट्रवादी की ढंग से बात नहीं करना चाहता हूं परन्तु केवल यही बताना चाहता हूं कि यह सरकार के जनविरोधी रुख का एक अच्छा उदाहरण है और यह इस बात को प्रगट करता है कि सरकार को पश्चिम बंगाल को पश्चिम बगाल बने रहने देन में डर लगता है। समाजवादी प्रकार के समाज की दुहाई देते रहने पर भी कांग्रस यह नहीं चाहती है कि पश्चिम बंगाल समाजवादी प्रकार के आधार पर हमारे देश का पुर्ननिर्माण करन वाले वीरों का एक गढ़ बना रहे। यह केवल पश्चिम बंगाल के जन आन्दोलनों का भय ही है जो आप इस प्रकार की कार्यवाहियों की बात कर रहे हैं। मैं इस बात को जोर देकर दोहराता हूं कि वृहत्तर कलकत्ते म —जहां हिन्दी भाषी जनता का देश भर के किसी भी स्थान की अपेक्षा विशाल जमघट है—दो बार हड़तालें हो चुकी हैं। क्या यह इसलिये हुईं कि बिहारियों ने बंगालियों के दबाव के सामन घुटने टेक दिये थे? यदि बिहारियों की इच्छा होती तो वह उसका विरोध कर सकते थे; परन्तु

उन्होंने एक साथ मिलकर "**बंगाली-बिहारी भाई-भाई**" के नारे लगाये थे। हम बिहार और बंगाल दोनों की जनता की प्रगति चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि संयुक्त किये गये बंगाल-बिहार ताकत के भूखे राजनीतिज्ञों का अखाड़ा बन जायें। इसीलिये मैंने कहा कि इस विधेयक से इस खतरे की बू आती है। जनता पर इतना अविश्वास क्यों? हम सभी भारतीय हैं, हमें इसके सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं है। जब हमारे प्रधान मंत्री हमारे देश की महानता की चर्चा करते हैं तब हम उनके साथ सहमत हैं। परन्तु हम चाहते हैं कि हमारे देश के विभिन्न भागों में रहने वाली जनता, जो भिन्न-भिन्न भाषायें बोलती है, परन्तु साथ ही भारत की सम्पूर्ण संस्कृति का एक अविच्छिन्न अंग है, मैत्री और सहयोग के आधार पर आनन्द और समानतापूर्वक रह सके। और इसीलिये केन्द्रीय सरकार को नियोजन करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है।

यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि यदि बंगाल और बिहार का विलयन कर दिया जाये तो शरणार्थियों की समस्या को हल किया जा सकता है, यह बिल्कुल ही व्यर्थ की बात है। बिहार के पास बिल्कुल भी फालतू भूमि नहीं है। केवल आदिवासी क्षेत्रों में, जहां अन्य लोग नहीं जा सकते हैं, थोड़ी-सी भूमि है।

मेरे पास कुछ कागजात थे जो मैंने श्री अजितप्रसाद जैन को, जब वह पुनर्वास मंत्री थे, दिये थे और अब मैं समझता हूं कि मैं इनको यह दिखाने के लिये श्री मेहर चन्द खन्ना को दे दूं कि बिहार के वर्त्तमान शासकों की, विशेष रूप से श्री कृष्ण वल्लभ सहाय नाम के मंत्री की, क्या धारणा है? उस पत्र का, जो उन्होंने कालोनाइजेशन सोसाइटी आफ इंडिया को, जिसने आठ सौ बंगाली परिवारों को बिहार में बसने के लिये भूमि देने का प्रस्ताव किया था, भेजा था—एक फोटो-चित्र है। बिहार क मंत्री ने इसीलिये उसका विरोध किया था कि वे बिहार के शासक गुट के एक सदस्य हैं और वे नहीं चाहते थे कि बंगाली लोग वहां जाकर बसें। बिहार में १२,००० एकड़ भूमि कृष्यकरण के लिये पड़ी हुई है। इसके लिये हम बिहार को दोषी नहीं ठहरा सकते।

†**श्री एम० पी० मिश्र** (मुंगेर—उत्तर-पश्चिम) : मंत्री का वह पत्र लोक-सभा पटल पर रखा जाना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप उस पत्र को लोक-सभा पटल पर रख दीजिये।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : मैं कोलोनाइजेशन सोसाइटी आफ इंडिया के मंत्री के नाम बिहार के मत्री श्री कृष्ण वल्लभ सहाय द्वारा १९५३ में लिए गये पत्र की एक फोटो-प्रतिलिपि लोक-सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि बिहार और बंगाल के संविलयन द्वारा शरणार्थियों की समस्या सुलझाने के तर्क दोनों राज्यों की जनता को गुमराह करने के लिये ी दिये जाते हैं। मैं बिहार की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि आप यह समझ लें कि भाषावार राज्यों का निर्माण बहुत आवश्यक है। इसीलिये, मेरे विचार से, इस विधेयक में कुछ कमियां और त्रुटियां हैं। संयुक्त प्रवर समिति उन सबको दूर नहीं कर सकेगी, पर वह उनमें से अधिक से अधिक को दूर करने का प्रयास करेगी, ऐसी मेरी आशा है।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो सदन के सम्मुख आया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं किसी दल विशेष के या राजनैतिक विरोधी होने के कारण ऐसा नहीं कर रहा हूं। यह मान्य करना होगा कि जब से राज्य पुनर्गठन आयोग का इतिवृत्त प्रकाशित हुआ है, उसके पश्चात् जिस प्रकार की कलह कल्पना हुई है, जिस प्रकार का वातावरण निर्मित हुआ है, जिस का उल्लेख हमारे गृह-मंत्री ने इस एक वाक्य में किया है कि कुछ के हृदयों में दुःख है उसके सम्बन्ध में मैं आप से कहना चाहता हूं कि यह दुःख केवल कुछ हृदयों में ही नहीं है, देश भर में एक

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वी० जी० देशपांडे]

ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ है जिसको देख कर परसों हमारे प्रधान मंत्री बड़े दुखित हुए थे। परन्तु उनके दुःख के साथ सहानुभूति रखते हुए, भारत के प्रधान मंत्री और गृह-मंत्री दोनों के साथ सहानुभूति रखते हुये मैं बतलाना चाहता हूं कि वे जिस प्रकार का विधेयक यहां पर ले आये हैं, और जिस प्रकार की सूचनायें उन्होंने यहां जनता के सम्मुख रखी हैं, और जो परिणाम आज मैं देश में देख रहा हूं, उसके कारण आप के साथ ही साथ हम को भी दुःख हुआ है। परन्तु मैं आज यह कहना चाहता हूं कि जो यह दुखदायक परिस्थिति देश में निर्मित हुई है, भाषावाद और प्रान्तीयतावाद, कलह और संशय का जो वायुमंडल देश में उत्पन्न हुआ है, वह भी उस समय जब कि पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्ष होने के कारण भारत में एकता की आवश्यकता है, उसके लिये आज हमारे नेतागण की मनोवृत्ति और विचारधारा तथा जो यह विधेयक वे ले कर आये हैं, वह जिम्मेदार है और उसी के कारण आज इस प्रकार के झगड़े चल रहे हैं।

हुबली के अन्दर हमारे प्रधान मंत्री जी ने बतलाया कि आज देश के अन्दर जो झगड़े पैदा हो रहे हैं उसका कारण हमारा हिन्दू राष्ट्रवाद है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि हुबली के अन्दर हमारे प्रधान मंत्री शीशे में अपनी राष्ट्रीयता का रूप देख रहे थे। मुझे याद है मैंने पंद्रह साल पहले एक सिनेमा देखा था जिसका नाम था "दुनियां न माने"। शान्ता आप्टे और दाते उसमें काम करते थे।

एक माननीय सदस्य : दातार तो नहीं ?

श्री वी० जी० देशपांडे : दातार नहीं, दाते। उस में एक बुड्ढा वकील एक जवान लड़की के साथ शादी करता है। वह बुड्ढा जब शीशे में अपने सफेद बाल देखता है तो पागल हो जाता है, और कहता है कि कौन कहता है कि मैं बुढ्ढा हूं। मैं जवान हूं और यह कहते-कहते वह पागल हो जाता है। वैसे ही हमारे प्रधान मंत्री को भी अपनी राष्ट्रीयता शीशे में दिखाई पड़ती है। आज उन्होंने देखा कि बम्बई में दंगे हो रहे हैं, उड़ीसा में दंगे हो रहे हैं, जगह-जगह वही बातें चल रही हैं, पंजाबी और पंजाबी में कलह हो रही है, तो वह सोचने लगे कि मैं तो एक नई राष्ट्रीयता लाया हूं, कौन कहता है कि मैंने यह झगड़े पैदा किये हैं ? और सब को गाली देने लगे। मैं बतलाना चाहता हूं कि आप प्रादेशिकता और प्रादेशिक राष्ट्रवाद के विपरीत जो अपनी सेकुलर (धर्मनिरपेक्ष) मनोवृत्ति ला रहे हैं, जो कि हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, जो एक विकृत अन्तर्राष्ट्रीयता है, उसका ही यह परिणाम है कि देश में यह झगड़े पैदा हो रहे हैं। हमारे देश को मूलतः प्राकृतिक दृष्टि से एक करने वाले हिन्दू राष्ट्रवाद को स्वीकार न करने के कारण आज यह झगड़े पैदा हो रहे हैं। एक बात तो यह है।

दूसरी बात यह है कि उनमें लोक राज्यात्मक प्रवृत्ति का अभाव है। जिस समय यह प्रश्न सबके सामने आया, उस समय जगह-जगह संघर्ष छिड़े, लेकिन हमने देखा कि उस समय हमारे प्रधान मंत्री ने और दूसरे नेताओं ने लोकतंत्रात्मक तरीके से लोगों से उसके विषय में नहीं पूछा। स्वयं ही अपनी चीज़ को यहां ले आये। मुझे पूरा स्मरण है कि पिछली मर्तबा जब यहां पर वाद-विवाद हो रहा था तब हमारे प्रधान मंत्री ने खड़े हो कर कहा था कि हमने सारे झगड़े बहुत समाधानकारण रूप से तय किये हैं। मने पूछा कि कौन से झगड़े, तो उन्होंने बताया कि जैसे मध्य प्रदेश का सवाल है। मैंने उनको बतलाया कि मध्य भारत के लोग मध्य प्रदेश में जाने के लिये तैयार नहीं हैं, वहां की ऐसेम्बली (विधान सभा) ने स्पष्ट शब्दों में बड़े प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में मिलने का विरोध किया है, तो पंडित जी ने कहा कि ऐसेम्बली के अन्दर तो उन्होंने बड़े जोर का विरोध किया है, लेकिन लोगों ने रास्तों पर झगड़ा नहीं किया; इसलिये वह इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि मध्य भारत में मध्य प्रदेश में मिलने के विरुद्ध मत है। जो झगड़ करते ह, जो तनाव पैदा करते हैं, खून की नदियां बहाते हैं, उनकी बातों का ज्यादा यक़ीन किया जाता है, उनकी बात ज्यादा सोची जाती है। उनके बारे में हमारे प्रधान

मंत्री वेलिएंट, ग्रेट (वीर, महान्) आदि विशेषण इस्तेमाल करते हैं, प्रेम गाथाओं में बिलवेड (प्रेमिका) शब्द आता है, उनको बिलवेड का नाम दिया जाता है। लेकिन जो लोग वैधानिक मार्ग से उनके पास अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, उनकी कोई बात सुनने के लिये वे तैयार नहीं हैं। इसका परिणाम आज हम इस बिल की प्रगति के रूप में देख रहे हैं। इस बिल के विषय में एक-एक प्रश्न पर मैं अपना विरोध प्रकट करना चाहता हूं। जिस प्रकार से मध्य भारत और मध्य प्रदेश को आपने एक किया है, उसको करते समय आपने सीमाओं का विचार नहीं किया। ग्वालियर पूरा नष्ट हो गया है। १ अक्तूबर के बाद ग्वालियर के अन्दर रहने वाली जनता की आमदनी कम होने वाली है, जिस को एक रुपया मिलता है, उसको १ अक्तूबर के बाद ८ आ० और ६ आ० मिलने की आशा भी नहीं है। लेकिन जो उनका शिष्ट-मंडल यहां आकर अपनी बात आपके सम्मुख रखना चाहता है, उसकी बात सोची तक नहीं जाती, उनका कोई सवाल ही यहां नहीं माना जाता है। इस प्रकार से वहां का प्रान्त आप ने बनवा दिया। बंगाल और बिहार को एक करने के मामले में मेरे मित्र श्री हीरेन मुकर्जी ने आपको बता दिया है कि वहां पर किस प्रकार का संघर्ष चल रहा है। सब जगह एक ही भावना है। जैसा आपने कहा कि मैं कम्यूनिस्ट नहीं हूं, लेकिन शायद कम्यूनिस्ट पार्टी का राज्य हो जाने के डर से ही उन्होंने बंगाल और बिहार को एक कर देना उचित समझा। वह जानते हैं कि अगर बंगाल और बिहार को एक कर दिया गया तो कांग्रेस राज्य अबाधगति से चलता रहेगा। इसी एक भावना से बंगाल और बिहार को एक करने की योजना वहां चल रही है।

पंजाब के विषय में यह बताया गया कि वहां पर सब लोगों ने पंजाब की योजना को मान लिया है, लेकिन यह सब लोग हैं कौन ? वहां पर आप ने अपनी पार्टी अर्थात् कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में कर लिया, वहां पर जब इसको पेश किया गया तब सब जानते हैं, वहां पर इस का कितना बड़ा विरोध हुआ। मैं यह नहीं कहता कि झगड़ा मिटना नहीं चाहिये, झगड़ा मिटाया जा सकता है, लेकिन आप का झगड़े के समाधान का जो तरीक़ा है, आपकी बात करने और काम करने का जो तरीक़ा है वह ठीक नहीं है। विरोधियों की बात को वहां सुना नहीं गया। महापंजाब समिति ने बार-बार कहा कि हमको बताइये तो सही कि क्या समझौता हो रहा है ? लेकिन जब तक उसके लिये अनशन नहीं हुआ तब तक आपने कुछ नहीं बताया। और आज भी जब विरोध हो रहा है तो आप कहते हैं कि कोई भी विरोध नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बतलाइये क्या पूरी तरह से सन्तोषजनक रूप में हमें काम नहीं करना चाहिये ? आज बहुत सी बातें अच्छी हैं, बहुत सी ख़राब भी हैं। मैं समझता हूं कि आप का एक ही निर्णय बता देता है कि आप की राष्ट्रीयता की मनोवृत्ति कैसी है और आप क्या करना चाहते हैं। वह निर्णय है बम्बई के सम्बन्ध में। बम्बई के विषय में जो निर्णय आपने किया है, और जान बूझ कर जो आज आप करने जा रहे हैं, उसके ही कारण अगर आप पूरा विधेयक फैंक देना चाहें तो कोई बुरी बात नहीं होगी, ऐसा आप कर सकत हैं। बम्बई के विषय में जो हम पूछते हैं तो बहुत से दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं कि, छोड़ो भी, लिंग्विज्म (भाषावाद) से, भाषावार प्रान्त से देश बहुत बड़ी चीज़ है। मैं पूछना चाहता हूं कि लिंग्विज्म किस प्रकार से आया है, भाषावार झगड़े कौन करते हैं ? आपका यह दावा है कि महाराष्ट्र प्रदेश आपने बना दिया है। हमारे प्रधान मंत्री नेहरू जी ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से बम्बई महाराष्ट्र प्रदेश में आता है। लेकिन महाराष्ट्र प्रदेश बनाते समय आपने बम्बई को उससे निकाल दिया। आखिर आपने यह क्यों किया, ऐसी कौन सी बात है, जिसके कारण आपको यह करना पड़ा ? आप कहते हैं कि कलकत्ते में ७० फ़ीसदी लोग बंगाली बोलते हैं, जब कि बम्बई में मराठी बोलने वाले इतने अधिक नहीं हैं, वहां गुजराती बोलने वाले भी रहते हैं, हिन्दी बोलने वाले भी रहते ह, कन्नड़ वाले भी रहते है और इस कारण से जो भाषावार प्रान्त आप ने बनाये हैं उनमें से बम्बई शहर को निकाल दिया है। आप कहते हैं कि हम लिंग्विज्म की बात को ले कर आत हैं, लेकिन लिंग्विज्म की बात असल में आप

[श्री वी० जी० देशपांडे]

लेकर आये है । आप जान बूझ कर इस को समझना नहीं चाहते हैं । आज आप बम्बई शहर को निकाल रहे हैं भाषा के आधार पर । लेकिन आज लिंग्विज्म के आधार पर बम्बई किस तरफ़ जाता है जिसको आप निकालना चाहते हैं । फिर आगे बढ़ कर आप कहते हैं कि आप लोकराज्य के रास्ते से सारे काम करते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि आप बम्बई को किस तरह के लोकराज्य के अनुसार महाराष्ट्र से निकाल रहे हैं । बम्बई शहर जो है वह महाराष्ट्र का है । इसी सवाल पर महाराष्ट्र के ३२ मेम्बरों ने वहां की विधान-सभा से त्याग-पत्र दे दिया । वहां के पुनर्निर्वाचन में कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई कि किसी शख्स को उनके ख़िलाफ़ खड़ा करे । उसके पश्चात आपने बम्बई की असैम्बली में देखा कि जितने मराठी बोलने वाले सदस्य थे उनमें से २७ ने आपकी तरफ़ से आदेश जाने के बावजूद, आपकी तरफ़ से व्हिप (सचेतक) जाने के बावजूद, इसके ख़िलाफ़ वोट दिया । आपने यह भी देखा होगा कि म्यूनिसिपैलीटीज़ (नगरपालिकाओं) और कारपोरेशंस (निगमों) के सैंकड़ों मेम्बरों ने त्यागपत्र दे दिये । आपने लोकराज्य को अलग रख कर उनकी जगहों के लिये उप-निर्वाचन कराये नहीं । आपको यह भी मालूम ही है कि बम्बई की कारपोरेशन ने जिनमें कि लोगों के चुने हुये प्रतिनिधि हैं, जनतंत्रात्मक पद्धति से एक प्रस्ताव पास करके यह मांग की कि हम महाराष्ट्र के साथ मिलना चाहते हैं । महाराष्ट्र के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनमें से एक ने भी आपके बिल के पक्ष में वोट नहीं दिया । बहुत से लोग अनुशासन भंग न करने के कारण तटस्थ रहे । बम्बई के लोग और महाराष्ट्र के लोग जनतंत्रात्मक पद्धति से यह मांग करते हैं कि हमें महाराष्ट्र में मिला दिया जाये लेकिन खेद का विषय है कि आप उनके ऊपर अपना निर्णय ठौसना चाहते हैं । यह कहां का लोकराज्य है इस बात का मुझे पता नहीं है ।

एक बात यह भी कही जाती है कि बम्बई में बड़े दंगे हुए जिनके कारण आपको बहुत दुःख हुआ । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मैं पहले तो यह कहता था कि शायद यह गवर्नमेंट की कमज़ोरी है । लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि यह दंगे करने वाले कौन थे ? मैं वहां पर स्वयं गया हूं और मैं यह बात खुल्मखुल्ला चुनौती के साथ कह सकता हूं कि यह हम लोग नहीं थे जिन्होंने दंगे कराये हैं, यह मोरारजी देसाई ने लोगों पर गोली चलवा कर अत्याचार किये हैं । अगर आप यह कहते हैं कि हम लोगों ने दंगे करवाये हैं तो इसका जवाब मैं यही दे सकता हूं कि आप एक जांच कमीशन नियुक्त कर दीजिये जो इस सारे मामले की जांच करे और जो दोषी हो उसको सज़ा देने के लिये सिफ़ारिशें करे । इसके जवाब में आप एक बड़ा प्रशस्त युक्तिवाद ले आते हैं और कहते हैं कि जख्म जो हैं उनको पहले ठीक करना चाहिये । आप हकीम और डाक्टर हो गये जो जख्मों को ठीक करने लग गये । मोरार जी देसाई के दो बयान मैंने पढ़े हैं और उन्होंने बार-बार पहले बयान में तो यह आरोप लगाये हैं कि वहां के लोगों ने यह-यह अत्याचार किये हैं पूरी समाज के ख़िलाफ़ । फिर बाद में वह कहते हैं कि यह जो अत्याचार हुए हैं ये गुण्डों का काम है । मैं आपसे कहता हूं कि जब आरोप लगाते हैं कि वहां पर किसी ने अत्याचार किये हैं तो जब आपसे एक इन्क्वायरी कमीशन (जांच आयोग) बैठाने के लिय कहा जाता है और आपको आरोपों को सिद्ध करने के लिये कहा जाता है तो आप इस मांग को क्यों नहीं मानते हैं ? अगर हम दोषी हैं, मैं फिर कहता हूं, तो हमें आप सज़ा दें, इसके लिये हम तैयार हैं ? आप संदिग्ध शब्दों में यह कहते हैं कि पहले सद्भावना पैदा करना जरूरी है और उसके बाद ही कुछ किया जा सकता है और यह भी आप कहते हैं कि कोई सरकार का फ़ैसला आखिरी नहीं होता है और उसको बदला जा सकता है और उसके बारे में जांच की जा सकती है । आप स्पष्ट शब्दों में यह क्यों नहीं कहते हैं कि सब बातें बन्द होनी चाहियें और हम इस मामले पर चर्चा करने को तैयार हैं । आपने जो निर्णय किया है, उसका परिणाम क्या हुआ है ? मैं अभी बम्बई घूम कर आया हूं और अपने अनुभव से आपको बतलाना चाहता हूं कि वहां पर जो असन्तोष फैला हुआ है उसे देख कर मेरा हृदय कांपा है । मेरी समझ में नहीं आता कि अगर बम्बई अलग रहता है तो क्या होने वाला है और अगर मिला दिया

जाता है तो क्या होने वाला है। ग्वालियार की भी बात मैंने कही थी कि अगर वहां से राजधानी हटा ली गई तो लोग भूखों मर जायेंगे। बम्बई में आज कारखाने चल रहे हैं, पोर्ट-चल रही है और मैं समझता हूं कि अगर इसको महाराष्ट्र में मिला दिया गया तो इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वहां पर जाने के पश्चात और जनता की भावना की तीव्रता को देखने के पश्चात मैं यह कह सकता हूं कि यह जो भावनायें लोगों के दिलों में हैं कि बम्बई अवश्य ही महाराष्ट्र में मिलनी चाहिये, यह भावनायें केवल नेताओं की पैदा की हुई नहीं हैं, ये नेताओं की भड़काई हुई नहीं हैं, ये ऐतिहासिक भावनायें हैं और इनको दबाया नहीं जा सकता। मध्य भारत के बारे में तो आपने तख्तमल जैन को, गंगुवाल को तथा औरों को बुला लिया और उनसे कह दिया कि तुम को मिनिस्टर बना दिया जायेगा और आपने मामला तय कर लिया। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस तरह से आप शंकरराव देव, गाडगील, हिरे इत्यादि को बुलाकर यदि इस मामले को तय करना चाहें तो यह तय नहीं हो सकेगा। जो लोग समझौता करेंगे, वे खत्म हो जायेंगे। इस प्रकार की भावना मैंने वहां पर पाई है। मैंने देखा है कि सामान्य जनता की आर्थिक, सामाजिक और जीवन विषयक आशाओं के साथ संयुक्त महाराष्ट्र की आशा और प्रश्न निहित है। आप इसकी उपेक्षा न करें। आप इस प्रश्न की तरफ पावर-पालिटिक्स (शक्ति की राजनीति) और सत्ता को राजनीति का एक भाग समझ कर देखते हैं। मैं आपको बताता हूं कि दीवार पर जो लिखा है उसको आप पढ़ें, वह सब मेरी आंखों के सामने है। महाराष्ट्र में एक नई क्रान्ति धीरे-धीरे हो रही है। लोग वहां पर पूछते हैं कि भाई यहां कोई पता नहीं है कि किस से बात की जाय। आप किसी भी नेता के साथ बात करें और किसी भी समझौते पर आप पहुंचें, वहां के लोग इसे मानने वाले नहीं हैं। वहां के लोगों की एक ही मांग है और वह सीधी सादी मांग है और वह मांग यह है कि बम्बई हमारी है और इसे हमें दिया जाये। इस देश को अगर आप किसी की जायदाद समझ कर बंटवारा करना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता है। कहा जाता है कि बम्बई हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है, इसे मैं भी मानता हूं। परन्तु कलकत्ता भी तो हिन्दुस्तान का ही एक हिस्सा है और इसी तरह से हिन्दुस्तान के दूसरे शहर भी तो इसी हिन्दुस्तान के हिस्से हैं। अगर कोई वेश्या यह कहे कि एक आदमी से मेरी शादी अगर हो जाये तो मेरा कास्मोपोलिटन (सर्वदेशीय) कारेक्टर (चरित्र) जो है वह चला जायेगा, तो यह बात मेरी समझ में तो आती नहीं है। किस तरह से अगर बम्बई को किसी दूसरे राज्य में मिला दिया गया तो उसका कास्मोपोलिटन कारेक्टर चला जायेगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। यह एक गलत बात है और इस प्रकार की दलील देकर आप महाराष्ट्र में एक क्रान्ति ला रहे हैं और उस क्रान्ति का दुष्परिणाम आज यह हो रहा है कि आज देश में आप एक राष्ट्र की भावना का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इस प्रकार से हर शहर के लिये यही नीति अपनायेंगे तो पता नहीं हमारे देश का क्या बनेगा। हमारे देश में धीरे-धीरे अनेक शहर जैसे दुर्गापुर जहां पर कि स्टील प्लांट (इस्पात कारखाना) लग रहा है, टाटा नगर, जहां पर भी एक स्टील प्लांट है, और इसी तरह से दूसरे नये शहर बन रहे हैं और जब यहां पर भारत के दूसरे हिस्सों से आकर लोग नौकरी करेंगे और यहां पर बस जायेंगे तो ये भी कास्मोपोलिटन शहर बन जायेंगे तो क्या आप इनको उस प्रान्त में से निकाल कर, यूनियन टैरिटरी (संघ क्षेत्र) बनाने के लिये तैयार होंगे? अगर ऐसी बात है तो यूनियन टैरिटरी बनाने का आपको एक नया कारखाना शुरू करना पड़ेगा और संविधान को तथा शेड्यूल (अनुसूची) को आपको रोज़ बदलना पड़ेगा। आज भी आप प्रोसीजर (प्रक्रिया) को रोज़-रोज़ तबदील करते रहते हैं, कांस्टीट्यूशन (संविधान) को रोज़-रोज़ बदलत रहते हैं और इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होती। उस वक्त भी आपको यूनियन टैरिटरीज़ की संख्या बहुत बढ़ानी पड़ेगी।

जिस तरह से आप इतने बड़े देश का पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं, वह फंडेमेंटली, बसिकली और आइड्योलोजिकली (मूलरूप में, आधार रूप में और सैद्धान्तिक रूप में) गलत है। बम्बई के बारे में जो रुख आपने अख्तियार किया है, और इसी प्रकार की और बहुत सी ग़लत बातें जो आपने की हैं, इसमें

[श्री वी० जी० देशपांडे]

आपने जो ज़ोनल काउंसिल्स (जोन परिषदें) बनाई हैं, इनके कारण देश की एकता खतरे में पड़ गई है। आपने मध्य प्रदेश के स्पीकर (अध्यक्ष) और डिप्टी स्पीकर को पूरे नये मध्य प्रदेश का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बना दिया है। अब जो यह डिप्टी स्पीकर है, यह मराठी प्रदेश का है और सौनेर से निर्वाचित हुआ है। आप इसको हमारे नये मध्य प्रदेश के जो मैम्बर होंगे उनके ऊपर ठोंस रहे हैं। इस प्रकार की अनेकों बातें हैं जिनके बारे में मैं जब क्लाज़-बाई-क्लाज़ डिसकशन (खंडवार चर्चा) होगा उसमें चर्चा करूंगा। लेकिन इस विधेयक के अन्दर बंगाल बिहार को जिस प्रकार आपने रखा है, जिस प्रकार उड़ीसा को आपने इसमें रखा है, नया मध्य प्रदेश बनाते वक्त, मध्य भारत और ग्वालियर की जो उपेक्षा की है, बम्बई के विषय में आपने महान अन्याय किया है, मैं इनका विरोध करता हूं। आपके ऊपर भगवान ने एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व डाला था, इस महान देश का शासन आपके हाथ में सौंपा गया था और अब आप इस देश का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं और यह करते वक्त आपकी मूलभूत विचार धारा जो है यह बिल्कुल गलत और फंडेमेंटली रांग (गलत) होने के कारण, आपने देश का अहित किया है। आपने हिन्दू-राष्ट्रवादिता को स्वीकार न करके, आपने गलत कदम उठाकर जो झगड़े इस देश में कराये हैं, इससे तो शायद देश के टुकड़े-टुकड़े हो सकते हैं। आज आप जो इस प्रकार का विधेयक लाये हैं, इसका मैं विरोध करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री रामानन्द तीर्थ। आज बम्बई के माननीय सदस्य बोलने की कोशिश न करें। आज अन्य स्थानों के सदस्यों को समय दिया जायेगा।

†**श्री फीरोज़ गांधी** (ज़िला प्रतापगढ़––पश्चिम व जिला रायबरेली–पूर्व) : अन्य स्थानों के माननीय सदस्य तो बम्बई के सम्बन्ध में बोल सकते हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अवश्य।

†**स्वामी रामानन्द तीर्थ** (गुलबर्गा) : यह विधेयक भारत के मानचित्र को बदल देगा। अपने गणतंत्र के लोकतांत्रिक जीवन के पारस्परिक सम्बन्धों की प्रगाढ़ता भी इसी से निश्चित होगी। इसीलिये मैं इसके विषय में बड़े संतुलित ढंग से सोचता हूं।

मैं इसके कुछ उपबन्धों से सहमत हूं, और कुछ से नहीं। पहले मैं कम महत्व के विषयों को ही लूंगा।

मैं हैदराबाद विधान सभा को बधाई देता हूं कि उसने हैदराबाद के विखंडन से उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं पर एक राय होकर विचार किया है। प्रवर समिति और माननीय सदस्यों को चाहिये कि वे आन्ध्र तैलंगाना के स्थान पर आन्ध्र प्रदेश नाम को ही स्वीकार कर लें। मैं पृथक् तैलंगाना के उन समर्थकों को भी बधाई देता हूं जो अब जनता की इच्छा के अनुकूल विचार प्रकट करने लगे हैं। उन्हें 'तेलगू प्रदेश' नाम पर अब जोर नहीं देना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि हमें मैसूर के स्थान पर इस नये राज्य को कर्नाटक के नाम से पुकारना चाहिये। इससे उस प्रदेश के लोगों की लोकतांत्रिक भावना को अधिक बल मिलेगा।

इस मैसूर राज्य के सम्बन्ध में एक और विचित्र सी बात है। मैसूर राज्य के मुख्य मंत्री कर्नाटक राज्य के द्वि-भाषीय राज्य बनाये जाने के बड़े उत्सुक थे। लेकिन अभी उसका समय नहीं आया है। कुछ समय बाद यदि दो या तीन राज्यों को जनता चाहेगी तो वह एक साथ मिल सकती हैं; उन्हें कोई भी नहीं रोकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक सेवाओं का सम्बन्ध है, एक राज्य के बड़े-बड़े क्षेत्रों को दूसरे राज्य में संविलय करते समय यह आवश्यक हो जाता है कि आप उन क्षेत्रों की जनता में सुरक्षा की भावना बनाये रखें और वह विस्थापित सा अनुभव न करें। मुझे मैसूर के मुख्य मंत्री के उस भाषण पर आपत्ति है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्थानांतरित होने वाले क्षेत्रों की जनता को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। पर इस विधेयक में तो एक ऐसा उपबन्ध है जो प्रशासन कर्मचारियों को सेवा की शर्तों की सुरक्षा प्रदान करता है। उस उपबन्ध को तो इस संसद् के अतिरिक्त और कोई भी नहीं बदल सकता। मैं चाहता हूं कि संसद् सेवा कर्मचारियों को पुनः यह आश्वासन दे कि राज्य विधान मण्डल या राष्ट्रपति के अतिरिक्त कोई भी उस सुरक्षा उपबन्ध के विरुद्ध नहीं जा सकेगा। मैं उन शर्तों में एकरूपता लाना चाहता हूं।

कर्नाटक के सम्बन्ध में, अभी एक निर्णय यह है कि बीदर जिले को बिलकुल हटा दिया जाये। इससे वहां की जनता पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। हैदराबाद विधान सभा ने एकमत होकर चार ताल्लुकों के बीदर ज़िले को बनाये रखने का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, उसका मत यह है कि नया राज्य गठित किये जाते समय उसमें गुलबर्गा के कुछ भाग और भी जोड़ दिये जायें। और मैं चाहता हूं कि बीदर ज़िले का प्रधान कार्यालय बीदर नगर में ही रखा जाये। प्रवर समिति को इसकी ओर ध्यान देना चाहिये।

सीमाओं के सम्बन्ध में सारे देश में विवाद चल रहे हैं। उनके लिये भी इस विधेयक में व्यवस्था की जानी चाहिये। उनके निबटारे के लिये सीमा आयोग या आयोगों की नियुक्ति का एक उपबन्ध विधेयक में जोड़ा जाना चाहिये, और फिर उन आयोगों के निर्णय सभी को मान्य होने चाहियें।

जहां तक भाषावार अल्पसंख्यकों के परित्राण का सम्बन्ध है, यह आवश्यक है कि उनमें सुरक्षा की भावना पैदा की जाये। अल्पसंख्यक तो प्रत्येक राज्य में होंगे, हमें उन्हें आश्वस्त कर देना चाहिये कि सभी को समान अवसर मिलेंगे और भाषावार बहुसंख्यकों का प्रभुत्व कायम नहीं होने दिया जायेगा। इसका दायित्व हमारे ऊपर ही है। प्रादेशिक परिषदों का प्रस्ताव एक बड़ा भौंडा प्रस्ताव है। पंजाब राज्य के सम्बन्ध में तो वहां की दशा को देखते हुए इसका एक औचित्य भी हो सकता था, पर किसी भी अन्य राज्य के लिये तो वह बिलकुल व्यर्थ है। विखंडन की यह प्रवृत्ति क्यों? इससे तो इन सभी विभिन्न प्रदेशों के एक राज्य में कभी भी उचित रूप में एकीकृत हो सकने की जड़ें ही कट जाती हैं। मैं चाहता हूं कि संसद् इसे, पंजाब के अतिरिक्त, अन्य किसी भी राज्य पर लागू न करे।

भाषावार अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में, मुझे एक बात और भी कहनी है। संविधान (नवां संशोधन) विधेयक में गारंटी दी गई है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जायेगी, लेकिन उसमें माध्यमिक शिक्षा का कोई भी उल्लेख नहीं है। प्रवर समिति को इस संशोधन पर भी विचार करना चाहिये कि यदि कोई व्यक्ति अन्य किसी क्षेत्र विशेष की जनता को उसकी मातृभाषा में ही ऊंची शिक्षा देने का कार्य आरम्भ करता है, तो उसको वित्तीय अनुदान और वैधानिक मान्यता दी जाये। राज्य के लिये इसका दायित्व सम्भालना कठिन होगा। पर अल्पसंख्यकों को उनके इस कार्य में हमें अवश्य सहायता करनी चाहिये।

अब, मैं बम्बई के प्रश्न को लेता हूं। इस पर दोनों ओर से काफी विवाद हो चुका है। मेरा विचार है कि बम्बई नगर के सम्बन्ध में किया गया निर्णय न्यायोचित नहीं है। मेरा विचार है कि यदि यह सभा समझती है कि बम्बई महाराष्ट्रीय लोगों का ही है, तो आप उन्हें न्याय से वंचित न करें। आप मानते हैं कि भौगोलिक रूप से बम्बई महाराष्ट्र का ही भाग है, तो मैं कहता हूं आप उसे महाराष्ट्र में ही रख दीजिये। एक दिन वह होकर रहेगा। हमें किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिये।

[स्वामी रामानन्द तीर्थ]

श्री एस० के० पाटिल ने कहा है कि बम्बई एक सर्वदेशीय नगर है, इसलिये उसे पृथक् रखा जाना चाहिये। सर्वदेशीयता के आधार पर ही किसी नगर को उसके आस-पास के प्रदेश से पृथक् करना न्यायोचित नहीं है और इससे एक बड़ा खतरनाक रुझान पैदा हो जायेगा। तब तो कलकत्ता और हैदराबाद भी अपनी सर्वदेशीयता खो देना चाहेंगे। बम्बई को महाराष्ट्र से पृथक् करने की ग़लती न कीजिये। बम्बई नगर के प्रश्न को गुजराती और महाराष्ट्रीय समुदायों का प्रश्न मत बनाइये। वह ग़लत है। वे दोनों समुदाय अच्छे मित्रों की भांति रह सकते हैं। बम्बई के प्रश्न का एक ऐसा समाधान किया जाना चाहिये कि जिससे महाराष्ट्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, गुजरातियों को भी, संतोष हो।

मुझे प्रधान मंत्री की न्यायनिष्ठता पर पूरा भरोसा है। इसलिये मैं उनसे निजी तौर पर अनुरोध करता हूं कि यदि वह यह समझते हैं कि भौगोलिक रूप से बम्बई महाराष्ट्र का ही भाग है, तो उसे महाराष्ट्र में मिला दिया जाये और अन्य सभी समुदायों के लोगों और उद्योगपतियों आदि को सभी प्रत्याभूतियां और परित्राण प्रदान कर दिये जायें।

अब इस प्रश्न पर और अधिक तर्क-वितर्क का स्थान नहीं रहा है। अब तो केवल औचित्य और न्याय की भावना के आधार पर ही अनुरोध किया जा सकता है। यदि कोई मुझे यह विश्वास करा दे कि बम्बई के लिये महाराष्ट्रीयों का दावा अनुचित है तो मैं उसे वापिस ले लूंगा। यदि वह उचित और न्यायपूर्ण है, तो आप उसे मान लीजिये। न्याय में विलम्ब करना, न्याय से वंचित करना ही होता है और विलम्ब के साथ ही साथ वहां की जनता की उनके साथ अन्याय किये जाने की भावना भी और गहरी होती जायेगी इसलिये, मैं गृह-मंत्री से न्याय के लिये आग्रह करता हूं।

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी (कुष्टगी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का पूरे-पूरे तौर से स्वागत नहीं कर सकता। कारण सिर्फ यही है कि हम भारतवर्ष की जनता से भाषावार प्रान्त (लिंग्विस्टिक स्टेट्स) बनाने का जो वादा सालों से कर रहे थे उस आधार पर हम ने स्टेट्स को नहीं बनाया है। हमने इस तरफ तवज्जह दी है लेकिन पूरी तरह से लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल (भाषा के सिद्धान्त) के तत्व को मान कर नहीं चले हैं। इसलिये में प्रवर समिति को यह सुझाव दूंगा कि अगर हो सके तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने का जो प्रिंसिपल है उसको अमल में लाने की कोशिश करे।

आज भारतवर्ष में जो छोटे-मोटे झगड़े बार्डर डिस्प्यूट्स (सीमा सम्बन्धी विवाद) को लेकर पैदा हो गये हैं उनके लिये कहा जाता है कि ऐडजस्ट (समायोजन) किया जाय। लेकिन अगर हम अपने जमहूरी (प्रजातंत्र) और वसूल गणतन्त्र के आधार पर इस चीज को देखें कि किस एरिया का ऐस्पिरेशन (महत्वाकांक्षा) किस स्टेट में जाने का रहा है तो भी यह प्रजातंत्री तरीके के ख़िलाफ होगा। लिहाज़ा जिस तरीके से स्टेट्स का रिआर्गेनाईजेशन (पुनर्गठन) करने के लिये कमीशन बैठा था, उसी प्रकार एक बाउंड्री कमीशन (सीमा आयोग) बनाया जाय, या सब स्टेट्स के लिये अलग-अलग बाउंड्री कमीशन बना दिये जायें, जो वहां की लोकल (स्थानीय) हालात को देखते हुए अपनी सिफारिशें करें। जिस तरह से श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा है अपने बयान में कि कांप्लिकेटेड प्राब्लेम्स (पेचीदा समस्याओं) को प्लेबिसाइट (जनमत संग्रह) के जरिये से हल किया जा सकता है, उसी तरह से इन बाउंड्री डिसप्यूट्स को भी खत्म करना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी इच्छा है कि भारतवर्ष एक यूनियन (संघ) बने। फेडरल स्टेट एक ही हो सकती है। इसलिये छोटी-छोटी फेडरल स्टेट बना कर उसको यूनियन आफ फेडरल स्टेट्स बनाना ठीक नहीं होगा। लिहाजा जो एक यूनियन आफ बंगाल ऐंड बिहार की बात की जाती है या यूनियन आफ दि सदर्न स्टेट्स (दक्षिण राज्य संघ) की बात की जाती है, जो कि ऐडवाइजरी नेचर

(परामर्शदात्री ढंग) की होंगी, मैं उसकी जरूरत भी नहीं समझता हूं । नार्थ (उत्तर) के भाइयों को, खुसूसन प्राइम मिनिस्टर को अगर खौफ है कि दुनियां में और हिन्दुस्तान में सेपरेटिस्ट टेन्डेन्सी (अलगाव की प्रवृत्ति) पैदा हो जायेगी और हर एक लोग अलग-अलग तरीके से सोचने लगेंगे इसलिये ऐडवाइजरी नेचर रखा जाय, तो मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि इससे बहुत काम्प्लिकेशन्स (पेचीदगियां) पैदा होंगे ।

हैदराबाद के जो तीन हिस्से बना दिये गये हैं उसका मैं स्वागत करता हूं । अभी मुझ से पहले स्वामीजी ने जो कहा कि बीदर ज़िले को कायम रखना चाहिये, इसके लिये मैं उनकी पुरज़ोर ताईद करता हूं । अगर इस ज़िले को ख़त्म कर दिया जायगा तो वहां के रहने वालों के जीवन में बड़ी भारी तब्दीली आ जायेगी । जब कुर्ग को, जहां की आबादी दो या ढाई लाख की है, एक ज़िला बनाया जा सकता है तो पांच या छः लाख की आबादी वाले कुर्ग को एक ज़िला मान कर मैसूर स्टेट में क्यों नहीं लगाया जा सकता ?

इसके अलावा मैं इस बात की मुख़ालिफ़त करता हूं कि मैसूर का नाम फिर रख दिया गया है । एस० आर० सी० रिपोर्ट (राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन) में कर्नाटक का जो नाम रखा गया था, मैं उसको बदलने के खिलाफ हूं । जो यहां पर मैसूर स्टेट क्रियेट (निर्मित) की गई है, कोई वजह नहीं है कि उसका नाम कर्नाटक न रखा जाय आज कोई भी इस कर्नाटक के खिलाफ़ नहीं है । आज जो मैसूर के महाराजा हैं उनको राजाधिराज आफ कर्नाटक कहा जाता है । उनके जो टाइटल्स (उपाधियां) हैं वह भी कर्नाटक के नाम के तहत में ही हैं । हमारे जो जिले अब उसमें शरीक हो रहे हैं वह भी पहले उनकी राजधानी के तहत में ही थे । लिहाज़ा कर्नाटक का नाम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी ठीक है । मैं चाहता हूं कि ज्वायेंट कमेटी (संयुक्त समिति) इस पर विचार करके उसका नाम कर्नाटक ही रखे । अगर वह ऐसा नहीं कर सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा यह कर सकते हैं कि जो न्यू मैसूर स्टेट बन रही है उस की ऐसेम्बली के जो एलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव (निर्वाचित प्रतिनिधि) हों उनकी राय ले लीजिये । आखिरी तौर पर इसका फैसला उन्हीं लोगों पर छोड़ दिया जाय और जो न्यू मैसूर स्टेट की ऐसेम्बली के लोग कहें उसको मुनासिब समझकर वही नाम रखा जाय । लेकिन इसके लिये फिर से कांस्टिट्यूशन को बदलना ठीक नहीं होगा । इसलिये यह फ़ैसला अभी से कर लिया जाय कि जो मैसूर ऐसेम्बली के लोग कहें, जो उनकी यूनैनिमस (एकमत से) राय हो उसके मुताबिक मैसूर का नाम रखा जाय । इसके सिलसिले में एक रेजोल्यूशन (संकल्प) मैसूर ऐसेम्बली में आया था उसके बारे में मैसूर चीफ मिनिस्टर (मुख्य मंत्री) ने भी, जो कि एक अनकंसर्न्ड (असम्बन्धित) आदमी थे, बोलते हुए उसको सपोर्ट (समर्थन) किया था ।

हमारे स्वामीजी ने एक और बात कही थी कि सिक्योरिटी आफ एंमप्लायमेंट (रोजगार की सुरक्षा) होना चाहिये । गवर्नमेंट सर्वेंट्स के कुछ फंडामेंटल राइट्स (मूलभूत अधिकार) होते हैं, इसलिये जो कुछ उन्होंने कहा है वह कुछ जायज बात नहीं मालूम होती है । जहां पर भी एक एरिया (क्षेत्र) से दूसरी एरिया में लोग जाते हैं वहां पर उनकी बिल्कुल सिक्योरिटी हो पेंशन और पे (वेतन) के मामले में लेकिन यह कहना मुश्किल है कि उनकी पे वगैरह पर कोई असर न पड़े । जहां तक नानगैजेटेड पोस्ट्स (अघोषित पदों) का सवाल है, मैं चाहता हूं कि उनकी तन्ख्वाह को न घटाया जाय लेकिन जो गैजेटेड आफिसर हैं उनको मैसूर के लेवेल (स्तर) पर लाया जाय, यह मैं कहना चाहता हूं । लेकिन मैसूर में छोटे-छोटे लेक्चरर्स होते हैं उनको १०० या १५० रुपये तन्ख्वाह मिलती है । वहां के लेवेल पर रखने से जो नानगजेटेड आफिसर्स हैं दूसरी जगहों के, उनकी एफिशिएन्सी (कार्यक्षमता) कम हो जायेगी, इसलिये उनकी तन्ख्वाहों को क़ायम रखना चाहिये । अगर मैसूर के नानगैजेटेड आफिसर्स की तन्ख्वाह कम हो तो उनको दूसरों के साथ ईक्वालाइज (समानीकरण) करने के लिये ऊपर उठाना जरूरी है । और इसको करना चाहिये ।

[श्री शिवमूर्त्ति स्वामी]

इसके बाद ऐसेट्स और लायबिलिटीज (आस्तियां तथा दायिता) की कुछ बातें कही गई हैं। यह कहा गया है कि अगर कहीं पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हों, तो उनको उसी एरिया में जाना चाहिये जहां पर कि वह जगह जाती हों। यह बहुत ठीक है। जांच कमीशन की रिपोर्ट के लिहाज से भी जो कि आंध्र स्टेट के बनने के वक्त ऐप्वाइंट (नियुक्त) किया गया था, यही तय हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट लेवेल पर जो इम्मूवेबल प्रापर्टी (अचल सम्पत्ति) हो उसको भी उसी स्टेट को जाना चाहिये जहां पर कि डिस्ट्रिक्ट हो। लेकिन हमारे बड़े-बड़े कैपिटल सिटीज (बड़े नगर) हैं जैसे हैदराबाद, मद्रास, बम्बई, ऐसी एरियाज में बड़े-बड़े बिजिनेसमेन (व्यवसायी) आ कर सेन्ट्रलाइज (केन्द्रित) हो गये हैं उनको बनाने में सारी स्टेट का पैसा लगा है। इसलिये उन स्टेट्स का कुछ हिस्सा उस एरिया को भी मिलना चाहिये जहां पर कि वह पहले रहा हो। जिन लोगों ने उस जगह को बनाया है उनको उसका मुनासिब शेअर (अंश) जरूर मिलना चाहिये।

इसके बाद जो छोटे-छोटे स्टेट्स की प्राब्लेम्स (समस्यायें) हैं उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि जब कि भारतवर्ष में भाषावार प्रान्त बन रहे हैं तो उनमें बहुत से झगड़े भी पैदा होंगे, जैसे बम्बई और दूसरे शहरों के बारे में भी बहुत से सवाल पाये जाते हैं। मैं समझता हूं कि इन तमाम सवालात के बारे में हम एक अजीब तरीके से सोचते हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट इन पर गौर करती है उससे तो मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि हम को बहुत शर्म आती है। आज भी हम यह देखते हैं कि जब किसी इलाके की मांग की जाती है और यह कहा जाता है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बननी चाहिये तो उसके जवाब में गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा जाता है कि यह चीज़ एंटी-नेशनल (राष्ट्र-विरोधी) है, यह यूनियन के खिलाफ़ है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हम कोई ऐसी मांग नहीं करते हैं, या हमने कभी भी ऐसी मांग नहीं की है और न ही कभी करेंगे कि हिस्से को एक इंडिपेंडेंट (स्वतंत्र) हिस्सा माना जाये या उसको इस देश से अलग कर दिया जाये। हम चाहते हैं कि हमारा देश एक फेडरल स्टेट हो। जब लोग यह कहते हैं कि हमको किसी दूसरी स्टेट के साथ मिला दिया जाये तो आपको चाहिये कि आप उस मांग पर गौर करें और अगर देश की बहबूदी और देश की भलाई उस में हो और उस इलाके के रहने वाले लोगों की भलाई उसमें हो तो उस इलाके को आपको चाहिये कि आप उसमें मिला दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और लोगों की जायज़ मांग को स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका यह रुख प्रजातंत्र के खिलाफ है और लोगों की विल (इच्छा) के खिलाफ जाने का जो एटीच्यूड (रुख) आप अख्तियार करते हैं, उसे मैं एंटी-डेमोक्रेटिक (लोकतंत्र-विरोधी) मानता हूं। जब आप लोगों की मांग को स्वीकार नहीं करते हैं तो इसके नतीजे अच्छे नहीं निकलते हैं। अभी आप देखते हैं कि अतुल चन्द्र घोष हज़ारों लोगों को ले कर कलकत्ता में मोर्चा लगाने जा रहे हैं। इसी तरह से बम्बई का झगड़ा चल रहा है। अगर आप बम्बई को महाराष्ट्र के साथ नहीं मिलाते हैं और लोगों के विल के ख़िलाफ़ जाते हैं तो मैं समझता हूं आपका यह रवैया अप्रजातंत्रीय है। आपको महाराष्ट्रवासियों की इस मांग को एक न एक दिन स्वीकार करना ही पड़ेगा और जितनी जल्दी आप उनकी मांग को मान लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आप इस डिमांड (मांग) को मान लें तो मैं समझता हूं कि आप लोगों के साथ इन्साफ करेंगे। लिहाज़ा मैं पुरज़ोर शब्दों में आपसे अपील करता हूं कि आप बम्बई को महाराष्ट्र में शामिल कर दें। आपके ऐसा न करने से वहां के लोगों में बहुत ज्यादा असन्तोष पाया जाता है। उनकी इस जायज़ मांग को पूरा करना आपका फर्ज़ है।

इसी तरह से बहुत से बोर्डर डिसप्यूट्स हैं जिनको तय करना आपका फज़ है। ये झगड़े बंगाल और बिहार के बीच हैं, बिहार और उड़ीसा के बीच हैं और इसी तरह से दूसरी स्टेट्स के दर्म्यान हैं। इनको भी प्रजातंत्रीय ढंग से और लोगों की राय लेकर आपको हल करना चाहिये। अगर आप प्लेबिसाइट लेकर इन

झगड़ों को हल नहीं कर सकते तो वहां की जो पंचायतें हैं, और उनमें जो लोगों के नुमाइंदे हैं, उनकी राय लेकर आप इन झगड़ों का फैसला प्रजातंत्रीय तरीकों से कर सकते हैं ।

अब मैं कर्नाटक के सम्बन्ध में दो-चार शब्द कहना चाहता हूं । कर्नाटक के मसले को जिस तरह से आपने हल किया है, उस पर कुछ हद तक मैं अपना संतोष प्रकट करता हूं । बेलारी का जो हिस्सा एस० आर० सी० की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र को दिया गया था और जिसे अब वापस मैसूर को दे दिया गया है, इसके लिये मैं गवर्नमेंट को बधाई देता हूं । लेकिन इसके साथ ही साथ एडोर, एडोनी, रायदुर्ग, मरगसिरा को भी, मैं चाहता हूं कि मैसूर को दे दिया जाये । मैं यह भी चाहता हूं कि कामुरगोड ताल्लुका, चन्द्रगिरी नदी तक, मैसूर को दे दिया जाये, इसी तरह से शोलापुर सिटी, साउथ शोलापुर, और अकालकोटजथ भी कर्नाटक में अगर मिला दिये जायें तो अच्छा होगा । इसी तरह से और जो छोटे-छोटे हिस्से हैं और जिन के बारे में कोई झगड़ा है, उनका फैसला वहां की जनता की राय लेने के बाद कर दिया जाना चाहिये । मैसूर के अन्दर जो कोलार जिला है, उसके अन्दर आंध्र लोग ज्यादा हैं इस वास्ते मैं चाहता हूं कि उनको आन्ध्र में मिला दिया जाये, लेकिन इसके बारे में वहां के लोगों की राय अगर ले ली जाये तो अच्छा होगा । यहां पर जो लोग रहते हैं वे ज्यादातर तेलुगू बोलते हैं और यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि कोलार को आन्ध्र में मिलाया जाये ।

इन सब बातों का जो बेसिस (आधार) होना चाहिये वह मैं समझता हूं विल आफ दी पीपल (जनता की इच्छा)) होनी चाहिये । अगर लोग चाहते हैं हमें इस स्टेट में मिला दिया जाये तो आपको चाहिये कि आप उनकी इस इच्छा को पूरी करें । मैंने कुछ पेटिशंस (याचिकायें) आपको भेजी हैं, शोलापुर इत्यादि के बारे में, जिन पर कि कितने ही लोगों के दस्तखत हैं, और मैं चाहता हूं कि सिलैक्ट कमेटी (प्रवर समिति) इस पर गौर करे तो उन पर भी साथ ही साथ विचार कर ले । जितने भी झगड़े हैं, मैं चाहता हूं, उनको पीसमील (अलग-अलग) तरीके से हल करने के बजाय आल-इंडिया लेवल पर हल किया जाये और जो पालिसी (नीति) एक के बारे में बरती जाये, वही दूसरे के बारे में भी बरती जाये ।

अन्त में मैं इतना कहना चाहता हूं कि एस० आर० सी० ने जैसे कि सिफारिश की है कि मैसूर स्टेट का नाम मैसूर न रख कर कर्नाटक रखा जाये और जिसको आपने अब बदल दिया है, वह ठीक नहीं है और इस स्टेट का नाम कर्नाटक ही रखा जाये ।

इतना कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो बिल (विधेयक) पेश किया गया है इसको अपना पूरा-पूरा सहयोग नहीं दे सकता । इसका कारण यह है कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स के आधार पर कोई ४०-५० वर्ष पहले कांग्रेस ने जो स्टेट्स की रचना की बात कही थी, उस पर वह स्टिक (दृढ़ रहे) करे और ऐसी स्टेट्स कायम करने के लिये कदम उठाये । साथ ही जो छोटे-मोटे झगड़े हैं, मैं चाहता हूं उनको भी मिल-बैठकर और लोगों की राय ले कर हल कर दिया जाये ।

†**श्री अच्युत्तन** (क्रेंगनूर) : इस देश के इतिहास में इस विधेयक का बड़ा महत्व है । गत २०० या ३०० वर्ष में कुछ ऐतिहासिक कारणों से राज्यों का ठीक प्रकार से पुनर्गठन नहीं किया जा सका था । ब्रिटिश शासन में भी इस बात का प्रयत्न किया गया था परन्तु उसके सभी पहलुओं को कार्यान्वित नहीं किया जा सका था । इस विषय में कांग्रेस ने भी कुछ आदर्श अपने सामने रखे हुए थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उसे देश की एकता के लिये इस समस्या पर विचार करना पड़ा । संविधान सभा के समय धर समिति को इस प्रश्न की निष्पक्षता से जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था ताकि वह निश्चय कर सके कि क्या आंध्र, कर्नाटक आदि राज्य बनाये जायें या नहीं । समिति इस परिणाम पर पहुंची कि केवल भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है और इस निणय से केवल

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अच्युत्तन]

राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि जनता भी सहमत थी। उसके पश्चात जवाहरलाल, वल्लभ भाई पट्टाभी समिति स्थापित की गई। उसका भी यही मत था कि भाषावार राज्य बनाने से केवल प्रशासन में सुविधा होगी परन्तु समिति के प्रतिवेदन पर ही मामले का अन्त नहीं हुआ। १९५३ में आंध्र राज्य बनाया गया। फिर भी देश में विद्रोह होता रहा। दिसम्बर १९५३ में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया जिसने सारे देश का दौरा करके प्रमुख संस्थाओं के सदस्यों और प्रतिनिधियों से बातचीत की और गत वर्ष अक्तूबर में अपना प्रतिवेदन दिया। इसके सम्बन्ध में अनेक अभ्यावेदन दिये गये और सभी स्तर पर चर्चा हुई।

१६ जनवरी को सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन के बारे में निश्चय किया और उसी के अनुकूल यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है और मैं इसका स्वागत करता हूं।

१६ जनवरी के पश्चात अब तक लोग यह निर्णय नहीं कर सके हैं कि क्या उन्हें भाषावार राज्यों की मांग करनी चाहिये। इस प्रकार तो यह भी कहा जा सकता है कि धर्म के आधार पर राज्य बनाये जायें। यह भी कहा जा सकता है कि संसार भर को विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर विभाजित किया जाये।

अतः मैं कहूंगा कि हमें विवेक से काम लेना चाहिये। जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री प्रायः कहते रहे हैं, मानव कल्याण सब से प्रमुख है। हमें इसी दृष्टिकोण से इस पर विचार करना चाहिये। हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि हम किसी विशेष भाषावार अथवा धार्मिक गुट के सदस्य हैं। हम मनुष्य हैं और हमें मानव कल्याण को बढ़ावा देना है। यही हमारे लिये पर्याप्त होगा।

मान लीजिये कि विधेयक पारित हो जाता है फिर भी यह कार्यवाही अन्तिम नहीं होगी। जिन लोगों में मतभेद है, जो चाहते हैं कि अमुक भाग उन्हें मिलना चाहिये और अमुक किसी अन्य राज्य को, वे बाद में भी ठंडे दिल से विचार कर सकते हैं। किसी लोकतन्त्र में कोई भी निर्णय अन्तिम नहीं होता है। परन्तु हड़तालों और प्रदर्शनों से क्या होगा? इससे हम अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्य तन्मयता से नहीं कर सकेंगे बल्कि योजना को कार्यान्वित करने में बाधायें पड़ेंगी।

हम सह अस्तित्व और सहनशीलता का प्रचार करते हैं और कहते हैं कि सभी राष्ट्र शान्तिपूर्ण तरीकों से अपने विवादों का निबटारा करें और हमारे ही देश में इस प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न की जायें तो क्या यह ठीक होगा। ऐसा करने से तो कोई भी राज्य स्थायी तौर पर नहीं रह सकते हैं। हमें संगठित रूप से अपने आर्थिक विकास के बारे में विचार करना चाहिये। मैं अपने माननीय मित्रों से निवेदन करता हूं कि वे लोगों को गलत मार्ग न दिखायें।

इस विधेयक द्वारा १५ राज्य बनाये जा रहे हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाग (क) भाग (ख) और भाग (ग) में भी राज्यों के भेद को दूर करने की सिफारिश की है और राजप्रमुखों की प्रणाली का भी उत्सादन किया जा रहा है।

फिर भी राज्यों का क्षेत्रफल समान नहीं होगा। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य भी होंगे और छोटे राज्य भी होंगे, परन्तु इसमें इर्ष्या की कोई बात नहीं है। हम तो देश की एकता चाहते हैं और हमें इसके लिये रचनात्मक प्रयत्न करने होंगे और हमें सदा याद रखना चाहिये कि हम भारतीय हैं।

इस विधेयक में क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का भी उल्लेख किया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने इसकी सिफारिश नहीं की है। पांच क्षेत्रीय परिषद् बनायी जायेंगी। मैं संयुक्त समिति से प्रार्थना करता हूं कि इन क्षेत्रीय परिषदों को अधिक शक्तियां प्रदान की जायें।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस विषय में जो कुछ कहा मैं उसे ठीक नहीं समझता हूं। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्रीय परिषद बेकार हैं और यह राज्यों की उन्नति में रुकावट पैदा करेंगे। उनके इस व्यवहार पर मुझे बहुत दुःख हुआ है। ऐसे लोगों को तो आगे बढ़ कर जनता को प्रोत्साहन देना चाहिए था और इस संगठन कार्य में सहयोग देना चाहिये था।

राज्यों के अतिरिक्त संघ प्रदेशों की भी व्यवस्था की गई है। वहां के लोगों का मत जानने के लिये भी किसी निर्वाचित संस्था की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि वहां का प्रशासन ठीक तौर से चलाया जाये और लोग यह न कहें कि उनके विचारों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। जैसे कि बम्बई को संघ प्रदेश बनाया जा रहा है। कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि बम्बई एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है अतः यहां विधान सभा की आवश्यकता नहीं है। मेरा सुझाव है कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा आदि संघ प्रदेशों के लिये कोई लोकप्रिय संस्था बनाई जाये जहां जनता के नेता अपनी शिकायतें बता सकें।

मेरे राज्य में इस समय विधान सभा नहीं है परन्तु तृतीय अनुसूची में मैंने देखा कि नये केरल राज्य के १८ प्रतिनिधि लोक-सभा में होंगे। प्रारूप-विधेयक में सरकार ने प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित करने का जो सूत्र बताया था उसके अनुसार यह संख्या १९ होनी चाहिये थी। तृतीय अनुसूची में यह गलती है। विधान सभा की सीटों के बारे में भी १ से ७ का आधार निश्चित किया गया है। यदि सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाये तो आपको इसमें क्या आपत्ति है ?

एक और बात मेरे ध्यान में आई है, कि जो नये राज्य बनाये जा रहे हैं उनमें से अधिकांश में उपरि सदनों की व्यवस्था की गई है। उड़ीसा और आसाम में विधान परिषदें नहीं हैं जबकि मध्य प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों में विधान परिषदें हैं। इसके लिये भी एक एकरूपीय सूत्र है। या तो द्विसदनीय विधान मण्डल होने चाहियें या एक सदनीय, इसी को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय किया जा सकता है। जब संविधान बना तब कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधान मण्डल नहीं थे। अब जब कि राज्यों का पुनगठन किया जा रहा है तो इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये। संयुक्त समिति को इस बात पर विचार करना चाहिये कि देश भर में द्विसदनीय विधान मण्डल बनाये जायें या कि एकसदनीय।

मेरा विचार है कि पहले एक राज्य में एक ही विधान मण्डल रखा जाये। यह कहना ठीक नहीं होगा कि बड़े राज्य में द्विसदनीय विधान मण्डल हों और छोटे राज्यों में एकसदनीय।

इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण उपबन्ध हैं। आस्तियों और दायितों का बटवारा करने वाला भाग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। नये केरल राज्य में विधान मण्डल नहीं होगा इसलिये मद्रास और केरल की आस्तियों और दायिताओं का निबटारा करते समय केन्द्रीय सरकार को विशेष ध्यान रखना होगा। केरल को हानि नहीं पहुंचनी चाहिये। इस पर बहुत सी बातें निर्भर करती हैं।

मलाबार को त्रावनकोर-कोचीन में मिलाया जा रहा है। आस्तियों और दायित्वों का बटवारा करते समय इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये कि मलाबार एक अविकसित क्षेत्र है।

राज्य सभा में केरल के ९ सदस्य होंगे। विधेयक में केरल को राज्य सभा के लिये दो और सदस्यों का निर्वाचन करने का अधिकार दिया गया है। सरकार ने यह निश्चय पूरे सोच विचार के बाद ही किया है।

भाग ९ अन्तर्राज्यिक करारों और अन्य मामलों के बारे में है। विद्युत्, जल संभरण योजनाओं, बहुप्रयोजन परियोजनाओं और सड़कों आदि का निर्माण जारी है। यदि इनके बारे में कोई विवाद हुआ तो उसमें केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप करेगी। यह बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है।

[श्री अच्युत्तन]

आस्तियों और दायित्वों के बटवारे के लिये जनसंख्या को आधार माना गया है। यही सम्भव था और आंध्र के बारे में भी ऐसा ही किया गया था। परन्तु जैसा कि श्री शिवमूर्त्ति स्वामी ने कहा इस मामले में सावधानी से कार्य करना होगा।

सेवाओं के बारे में मेरा ज्ञान स्पष्ट नहीं है परन्तु खंड १०६ (४) से मैं समझता हूं कि राज्यों में अखिल भारतीय सेवा के कई कर्मचारी हैं। उन्हें वहां रखने में क्या कठिनाई है? उन्हें अन्य राज्यों में भेजना ठीक नहीं होगा।

मैसूर विधान सभा में केन्द्रीय सेवाओं के बारे में यह सुझाव दिया गया था कि केन्द्रीय पदाधिकारियों का अतिरिक्त वेतन केन्द्रीय सरकार दे ताकि राज्यों पर उसका बोझ न पड़े। यह एक अच्छा सुझाव है।

जब मंत्रणा परिषद् नियुक्त किये जायें तो उनका कर्तव्य केवल सेवाओं का एकीकरण करना ही नहीं बल्कि उन सेवाओं पर पुनर्विचार करना भी होना चाहिये जो कि कोचीन को त्रावनकोर से मिलाने पर एकीकृत की गई थीं। क्या उस समय उचित नीति का अनुसरण किया गया था? कोचीन क्षेत्र के पदाधिकारियों से अब अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि सेवाओं को सन्तुष्ट रखे बिना हम उनसे पूरा लाभ नहीं उठा सकते। मंत्रणा परिषदों को ऐसे मामलों का ध्यान रखना चाहिये। संयुक्त समिति को भी इसका हल ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिये। वर्ष १९५६ में यदि यह विधेयक पारित हो जाये तो यह बड़ी प्रसन्नता का विषय होगा।

†**श्री वल्लाथरास** (पुदुकोटै) : मुगल साम्राज्य में नष्ट-भ्रष्ट हुए और ब्रिटिश शासन में पुनः निर्मित राज्यों को भावी कल्याणकारी राज्य के राष्ट्रीय अंग बनाने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने के पश्चात छोटे-छोटे भागों के बारे में खींचातानी करना व्यर्थ है। परन्तु इस गम्भीर स्थिति में सरकार को एक दो मामलों में हार होगी। जिस प्रकार औरंगजेब ने सब लोगों की मनोवृत्ति और मनोविज्ञान की ओर ध्यान न देते हुए उन्हें एक ही साम्राज्य के अन्तर्गत लाने का प्रयत्न किया था और उसे असफलता हुई, वही दशा कांग्रेस दल की होगी। यह नष्ट हो जायेगा इसमें कोई सन्देह नहीं है।

जिस प्रकार स्पेन ने नेपोलियन का सर्वनाश किया था उसी प्रकार बम्बई हमारे राष्ट्र को नष्ट कर देगा। मेरा और प्रजा समाजवादी दल का निश्चित विचार है कि बम्बई महाराष्ट्र को दिया जाना चाहिये। महाराष्ट्र के कुछ स्थानों का दौरा करने और विभिन्न दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के पश्चात मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि बम्बई की हालत दयनीय है।

दिल्ली और बम्बई जिन्हें संघ प्रदेश बनाया जा रहा है उनकी क्या हालत होगी? संविधान (नवां) संशोधन विधेयक के अनुच्छेद २४ के अन्तर्गत राष्ट्रपति किसी संघ प्रदेश की शान्ति और प्रशासन सुधार के लिये संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि का खंडन कर सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित की गई वह विधि संसद् द्वारा पारित विधि के समान समझी जायेगी। संघ प्रदेशों के बारे में राष्ट्रपति को इतने अधिकार देने की क्या आवश्यकता थी? दिल्ली और बम्बई को संसद के नियन्त्रण से निकालना बहुत बुरा होगा। इतिहास को देखने से पता चलेगा कि राष्ट्रकूटों और चालुक्यों के समय में भी गुजरात के दक्षिण का सारा क्षेत्र महाराष्ट्र में था। ऐतिहासिक और भौगोलिक सांस्कृतिक तथा भाषाई दृष्टि से यह महाराष्ट्र का अंग है। जिस किसी ने इसे दबाने का प्रयत्न किया उसकी हार हुई। इन परिस्थितियों के कारण मैं कहता हूं कि बम्बई महाराष्ट्र को दिया जाये और दिल्ली को संघ प्रदेश न बनाया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

वर्तमान तामिलनाद की जनता की भावनायें भी वर्तमान सरकार के विरुद्ध हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि देवीकुलम परिमेदी और शेनकोट्टो को किस सिद्धान्त के आधार पर इस राज्य से अलग किया गया है। तामिलनाद की जनता की मांग है कि देवीकुलम और परिमेदी तामिलनाद को दिये जायें। यहां की ७६ प्रतिशत जनता तामिल हैं। उन्हें केरल में क्यों शामिल किया जा रहा है? इसे केरल में शामिल न करने से केरल को कोई आर्थिक अथवा राजनैतिक हानि नहीं पहुंचेगी। जनता चाहती है कि सरकार को राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट स्वीकार नहीं करनी चाहिये। केरल की जनता, मलाबार की जनता और तामिल सभी द्रविड जाति कुल के हैं। आन्ध्र और राष्ट्रकूट भी द्रविड थे। दुर्भाग्यवश हमारा विभाजन कर दिया गया है।

†**एक माननीय सदस्य** : महाराष्ट्रीयों के बारे में आपकी क्या राय है?

†**श्री वल्लाथरास** : वह द्रविड़ हैं इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि हम पिछले इतिहास को देखें तो हम यह देखेंगे कि उन दिनों में भी राजाओं की आकांक्षा साम्राज्य स्थापना की रहती थी। अब हमें ब्रिटिश शासन के कटु अनुभव हो रहे हैं। हमारे आंतरिक मतभेद कितने ही क्यों न हों हम अपने आपको एक राष्ट्रीय इकाई महसूस करते हैं। इसलिये हमें वार्ताओं के माध्यम से अपने मतभेदों को इस तरह दूर करना होगा ताकि हम आनेवाली पीढ़ी के लिये एक शांतिपूर्ण युग छोड़ सकें।

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक में अल्पसंख्यकों की भाषा में प्राथमिक शिक्षा दिये जाने के लिये उपबन्ध किया गया है। अल्पसंख्यकों के लिये परित्राण, विशेषकर उनकी मातृभाषा के बारे में, राज्य पुनर्गठन आयोग के चौथे भाग में दिये गये हैं। मेरा निवेदन है कि समिति कृपा करके स्थिति का अध्ययन करे और उसमें जो बातें कही गई हैं उन्हें सुधारे।

उक्त विधेयक से मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रस्ताव पर समुचित विचार नहीं किया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक के खंड ४२ में सह सदस्यों के बारे में कहा गया है। इन सह सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष महोदय द्वारा की जाती रही है। किन्तु अब उनसे यह शक्ति ले ली गई है और अब सरकार नियुक्ति करेगी। किन्तु वह किसके परामर्श पर नियुक्ति करेगी? इस सम्बन्ध में वह जनता की राय नहीं लेगी। संभव है कि सभी विरोध समाप्त हो जायें और किसी एक दल के सह सदस्यों को वरीयता मिल जाये। कई सदस्य ऐसे होते हैं जो एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं। मान लीजिये कि किसी विरोधी दल के सह सदस्य किसी दूसरे दल में चले जाते हैं तो उनकी गणना विरोधी दल के सदस्यों में नहीं की जानी चाहिये। इस आधार पर सह सदस्यों का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और मेरा निवेदन है कि समिति द्वारा इस प्रश्न की ओर उचित ध्यान दिया जाये।

राजपूताना के बारे में मेरा निवेदन है कि उसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। निस्संदेह हाल ही में माननीय मंत्री ने इस बात का निर्देश किया था कि राजपूताना को उसकी सीमा पर स्थित विरोधी बातों के बारे में सतर्क रहना चाहिये। राजपूताना के बिना इस देश की प्रतिरक्षा की कोई उचित व्यवस्था करना संभव नहीं है। राजपूताना का महत्व काफी है और लार्ड हेस्टिंग्ज़ ने भी यही मत व्यक्त किया था, राजपूताना की स्थिति पर उस समय भी विचार किया गया था। मैं समिति से निवेदन करता हूं वह इस मामले की तह में जाकर जांच करे और यह देखे कि क्या राजपूताना के राज्यों का गठन इस प्रकार किया जा सकता है जिसमें कि इस सिद्धान्त को प्रधानता दी जाये? आर्थिक दृष्टि से वह भले ही उन्नत हो या न हो किन्तु दूसरी ओर प्रतिरक्षा के मामले में राजपूताना को कार्यक्षम बनाने के लिये शेष देश के सभी संसाधनों को काम में लाया जाना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वल्लाथरास]

विद्रोहकारी तत्वों के वितरण के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस द्वारा ऐसा कोई उपाय योजना त्रावनकोर-कोचीन में नहीं की जानी चाहिये क्योंकि वहां पुरानी लोकप्रियता को प्राप्त करना कांग्रेस के लिये, हमारी राय में, असंभव है।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** (सैलम) : माननीय सदस्य कृपा कर यह बता दें कि वह कहां से पढ़ रहे हैं ?

†**श्री वल्लाथरास** : आपको मुझ पर कुछ तो विश्वास होना चाहिये। आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपने कागज़ों को बार-बार देख रहे हैं किन्तु माननीय सदस्य यह नहीं कह सकते हैं कि वह उन्हें पढ़ रहे हैं।

†**श्री वल्लाथरास** : मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि त्रावनकोर-कोचीन में विरोध की तीव्रता को कम करने के लिये मद्रास राज्य के साथ त्रावनकोर-कोचीन के विलय की कल्पना का एकाएक सूत्रपात किया गया है। आन्ध्र के साथ तेलंगाना के विलय के लिये अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी एक उद्देश्य है। मौजूदा परिस्थितियों में तामिलनाड का विलय केरल के साथ कभी संभव नहीं है।

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम) : क्यों ?

†**श्री वल्लाथरास** : इसके कारण निश्चित हैं। जवाहरलाल-वल्लभभाई-पट्टाभि समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों को विशेषरूप से कर्नाटक और केरल को बड़े बहुभाषी प्रांतों के साथ उनके सम्बन्ध होने के परिणामस्वरूप काफी हानि उठानी पड़ी है। यह तो केरल के सम्बन्ध में कहा गया है किन्तु तामिलनाड के बारे में किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा है। यदि आप मेरे ज़िले के किसी सबडिवीज़न को देखें तो वहां प्राय: सभी अधिकारी मलयाली हैं। हम क्या करें और कहां जायें ? हम अपने देश में, अपने क्षेत्र में रोज़गार चाहते हैं।

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : हम तामिलनाड का शोषण नहीं करना चाहते हैं।

†**श्री वल्लाथरास** : केरल के साथ मिलाये जाने का हम विरोध करते हैं। मद्रास राज्य सन् १८०१ में बनाया गया था और उसे लगभग १५५ वर्ष का अनुभव प्राप्त है। एक लम्बे अर्से तक साथ-साथ रहने के बाद आन्ध्रवासी इससे बाहर जाना चाहते थे। यही स्थिति कर्नाटक और केरल की थी और केरलवासी ऐक्य केरल के लिये प्रयत्न करना चाहते थे। हम तामिलभाषीयों को व्यर्थ ही छेड़ा जा रहा है। मद्रास के मुख्य मंत्री श्री कामराज नाडर के प्रयत्नों का ही यह फल है कि विलय सम्बन्धी प्रस्तावों पर अधिक ज़ोर नहीं दिया गया है और उन्हें विधेयक में सम्मिलित नहीं किया गया है। हम क्रांतिकारी नहीं हैं और हम शासन का विरोध भी करने नहीं जा रहें हैं किन्तु हम चाहते हैं कि हमें अपने ही क्षेत्र में रोज़गार प्राप्त हो। मद्रास राज्य के सभी जिलों की विभिन्न पदालियों में नियुक्त मलयलियों की संख्या कुल संख्या की ६५ प्रतिशत है। निश्चय ही यह अन्याय है और आपको हमें न्याय देना चाहिये (अन्तर्बाधाएं)।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि सभा की अनुमति हो तो अन्तर्बाधा करने वाले सदस्यों द्वारा लिया गया समय मैं उनके भाषण के समय काट लूंगा। मैं इस बात पर ध्यान दे रहा हूं।

†**श्री के० के० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : तो जिन्हें बोलने का कोई अवसर नहीं मिलने वाला है वह अन्तर्बाधा कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इसके लिये संभवतः एक स्थायी अभिलेख बनाया जाये ताकि भविष्य में जब भी माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हों तो उतना समय उन्हें दिये गये समय में से काट लिया जायेगा ।

†**श्री वल्लाथरास :** मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्षेत्रिय परिषदों में उन क्षेत्रों के कुछ संसद् सदस्य और स्थानीय विधान-मंडलों के कुछ सदस्य भी होने चाहियें अन्यथा शासन का जनता के प्रतिनिधियों से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा । यद्यपि मंत्री जनता के प्रतिनिधि होते हैं तथापि मंत्री बनने के बाद उनका रुख़ बदल जाता है ।

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर) :** मैं इस पर आपत्ति करता हूं ।

†**श्री वल्लाथरास :** माननीय मंत्रियों पर कोई आरोप लगाना मेरा उद्देश्य नहीं है । हमारा उन पर विश्वास है और उन्हें हम पर विश्वास करना होगा । इसके अतिरिक्त जब क्षेत्रीय परिषदों द्वारा मुख्य निर्णय किये जायें तो वह राज्य और केन्द्रीय सरकार के लिये किसी हद तक अनिवार्य होने चाहियें अन्यथा परामर्श का कोई उपयोग ही नहीं होगा । समिति को इस बात पर विचार करना चाहिये । मैं राज्यों के पुनर्गठन का स्वागत करता हूं । राज्य पुनर्गठन विधेयक में ९० प्रतिशत वास्तविकता है । किन्तु बम्बई का प्रश्न ऐसा है जो क्षीर में नमक के समान है । इसलिये बम्बई के बारे में हमें सावधान रहना चाहिये और बम्बई सम्बन्धी हमारी नीति दलगत भावनाओं या किन्हीं अन्य भावनाओं पर आधारित नहीं होनी चाहिये । सामान्य जनता की स्थिति पर शान्ति से विचार किया जाये और संयुक्त समिति के माध्यम से निर्णय किया जाये । संयुवत समिति प्रश्न पर विचार करके विधेयक में इस आशय का एक संशोधन करे कि बम्बई महाराष्ट्र को दिया जाये तो सभी को प्रसन्नता होगी ।

†**श्री मुहीउद्दीन** (हैदराबाद नगर) : श्रीमान्, यह राज्य पुनर्गठन विधेयक स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और महान कार्यवाही है । इस बात को हम सभी जानते हैं कि आर्थिक विकास अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है । सामान्य जनता के स्तरोन्नयन को प्रथम पूर्ववर्तिता दी जानी चाहिये । इस समय हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने जा रहे हैं । यदि हम उक्त दोनों बातों को एक साथ करें तो केन्द्र और राज्य सरकारों के विभागों को काफी भार वहन करना पड़ेगा । किन्तु हम यह खतरा उठाने जा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कम से कम समय में हम सफलता प्राप्त कर लेंगे ।

आयोग की सिफारिशों के अनुसार हैदराबाद राज्य का विघटन किया जा रहा है । प्रधान मंत्री ने एक से अधिक बार यह कहा है कि वह राज्य का विघटन नहीं चाहते थे किन्तु राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों अथवा जनता की सामान्य मांग के साथ उन्हें सहमत होना पड़ा है । हमें विघटन की अवस्था में से होकर गुज़रना है किन्तु कुछ महत्वपूर्ण बातों की जांच अत्यंत सावधानी से की जानी चाहिये और हम आशा करते हैं कि संयुक्त समिति उस कार्य को करेगी ।

यह विधेयक मौजूदा और नये राज्यों के मध्य विभेद करता है । किन्तु इस विभेद का कारण स्पष्ट नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि वह केवल एक विधिक कल्पना है । मेरा सुझाव है कि संयुक्त समिति को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या उक्त विधिक कल्पना को हटा देना वांछनीय है और इसके बाद वह खंडों का इस प्रकार से पुनः प्रारूपण करे ताकि राज्यों के मध्य विभेद किये जाने की कोई आवश्यकता न रहे ।

मैं एक उदाहरण देता हूं । आन्ध्र और तेलंगाना, इन क्षेत्रों का विलय किया जा रहा है । विधेयक में उपबन्ध किया गया है तेलंगाना के कुल जिलों को मौजूदा आन्ध्र में विलीन किया जायेगा और इस प्रकार

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुहीउद्दीन]

आन्ध्र-तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आयेगा। दूसरी ओर खंड के पुनः प्रारूपण से यह उपबन्ध किया जाये कि आन्ध्र-तेलंगाना राज्य का निर्माण किया जायेगा और राज्य की सीमायें अनुसूची में परिभाषित सीमाओं के अनुसार होंगी तो विधिक कल्पना या कोई बड़ी जटिलतायें शेष नहीं रहेंगी।

विधेयक में यह उपबन्ध भी किया गया है कि मौजूदा बकाया ऋण केन्द्र द्वारा ले लिये जायेंगे और ऋण की राशि के भुगतान के लिये सम्बन्धित राज्य केन्द्र के प्रति उत्तरदायी होंगे। ऐसी व्यवस्था आंतरिक होगी और हैदराबाद राज्य द्वारा देय ऋण केन्द्र द्वारा ले लिया जायेगा और नया राज्य उसका भुगतान केन्द्र को करेगा।

[**श्रीमती सुषमा सेन** पीठासीन हुईं]

यह बात अत्यंत महत्व की है कि आगामी १ अक्तूबर से जो यह नया राज्य अस्तित्व में आयेगा उसका प्रारम्भ एक ठोस आर्थिक आधार पर होना चाहिये। उक्त व्यवस्था के लागू होने से नये आन्ध्र-तेलंगाना राज्य का भार कम अवश्य होगा, किन्तु दो मास पूर्व हमें ज्ञात हुआ था कि आन्ध्र राज्य ने १० करोड़ रुपये उधार लिये थे या रिजर्व बैंक आफ इन्डिया में उसने १० करोड़ से अधिक राशि का अधि-विकर्षण किया था और वह इस राशि का ब्याज देने की स्थिति में भी नहीं था। मुझे विश्वास है कि प्रस्तावित विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध किया जायेगा जिससे कि कुछ ऋण, जो कि नये राज्यों के लिये भार हो सकते हैं, संघनित किये जायें अथवा केन्द्र द्वारा ले लिये जायें। अन्यथा १ अक्तूबर से अस्तित्व में आने वाले राज्यों को विकास कार्य में काफी कठिनाइयां होंगी।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** (एलुरु) : आपका सुझाव क्या है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : केन्द्र द्वारा इस भार को उसी प्रकार ले लिया जाये जिस प्रकार कि वह वर्तमान हैदराबाद और अन्य राज्यों के मौजूदा ऋणों को ले रहा है।

हैदराबाद विधान सभा ने एक काफी लम्बा संकल्प पारित करते हुए राज्य पुनर्गठन विधेयक में विभिन्न संशोधन किये जाने के सुझाव दिये हैं। उनमें से एक सुझाव यह है। चूंकि हैदराबाद या तेलंगाना क्षेत्र को आन्ध्र राज्य में विलीन किया जा रहा है इसलिये हैदराबाद उच्च-न्यायालय भी समाप्त हो जायेगा। किन्तु हैदराबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का क्या होगा इस बारे में विधेयक में कुछ नहीं कहा गया है।

†**श्री नम्बियार** (मयूरम्) : उनका ध्यान रखा जायेगा। न्यायाधीशों के बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं है।

†**श्री मुहीउद्दीन** : स्वयं विधेयक में इस सम्बन्ध में उपबन्ध अवश्य होना चाहिये।

†**डा० रामा राव** (काकिनाड़ा) : जहां तक हैदराबाद में एक उच्च न्यायालय का सम्बन्ध है हम आपका समर्थन करते हैं।

†**श्री मुहीउद्दीन** : हैदराबाद के मुख्य मंत्री ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसे हैदराबाद विधान-सभा ने स्वीकार किया है और वह यह है कि इस आशय का एक निश्चित उपबन्ध किया जाना चाहिये कि हैदराबाद के उच्च न्यायालय के समाप्त हो जाने पर उसके न्यायाधीश स्वतः ही आन्ध्र राज्य के न्यायाधीश हो जायेंगे इसमें संदेह नहीं है कि सरकार ने न्यायाधीशों के लिये उपबन्ध करने के अन्य तरीकों पर विचार किया होगा किन्तु यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और न्यायाधीशों की सेवाओं को जारी रखने के बारे में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : आन्ध्र में न्यायाधीश अपेक्षित संख्या में नहीं है, इसलिये हैदराबाद के न्यायाधीशों के ले लिये जाने के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं आशा करता हूं कि श्री मूर्त्ति मेरी बात को समझ गये होंगे । जब किसी उच्च न्यायालय को समाप्त किया जाता है तो उसके न्यायाधीशों की सेवायें भी समाप्त हो जाती हैं । उनको नियुक्ति फिर से की जाये यह एक और बात है ।

†**स्वामी रामानन्द तीर्थ** : श्रीमान्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । संविधान के उपबन्धों के अनुसार किसी उच्च न्यायालय की समाप्ति के साथ उसके न्यायाधीशों की सेवायें समाप्त नहीं हो जाती हैं । उनकी सेवायें जारी रखी जायेंगी ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : मुझे खेद है कि मैं स्वामीजी के निर्वचन से सहमत नहीं हूं । न्यायाधीशों की सेवाएं जारी रखी जाने के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया है ।

सन् १९५७ के आम चुनाव और उसके बाद के चुनावों के बारे में विधेयक में एक उपबन्ध किया गया है । उपबन्ध यह है कि १९५७ के आम चुनाओं के साथ तेलंगाना में संसद् के लिये चुनाव आयोजित किये जायेंगे और आन्ध्र में १९६० में आम चुनाव आयोजित किये जायेंगे जबकि तेलंगाना के सदस्यों के लिये भी चुनाव होंगे । किन्तु जब तक संविधान में आवश्यक संशोधन नहीं किया जाता है तब तक हम किसी विधान सभा अथवा उसके किसी भाग की पांच वर्ष की अवधि को बढ़ा नहीं सकते हैं । किन्तु मैं संयुक्त समिति को यह सुझाव देता हूं कि इस प्रकार का उपबन्ध किया जाये कि सन् १९६० या कम से कम सन् १९६२ में विधान सभा के लिये आम चुनाव और संसद् के चुनाव एक ही समय आयोजित किये जायें ।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने अल्पसंख्यकों की भाषा के बारे में प्रभावशाली सिफारिशें की हैं । संविधान (नवां संशोधन) विधेयक में उपबन्ध किया गया है कि अल्पसंख्यकों की मातृभाषा में शिक्षा दिये जाने के लिये राष्ट्रपति निदेश दे सकता है । किन्तु मुझे विश्वास है कि संयुक्त समिति द्वारा, उक्त उपबन्ध के अतिरिक्त, अन्य उपायों को विधेयक में उपबन्धित किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा । स्वामी रामानन्द तीर्थ ने कुछ उपायों के बारे में सुझाव दिये हैं । राज्य विधानसभाओं से प्राप्त संशोधनों में भी कुछ उपायों के बारे में सुझाव दिये गये हैं । मैं आशा करता हूं कि संयुक्त समिति इन प्रस्तावों पर विचार करेगी और अल्पसंख्यकों की भाषा की रक्षा के लिये उपबन्ध करेगी ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (करनाल) : सभानेत्री महोदय, पहले भी यहां पर कई दिन तक एस० आर० सी० रिपोर्ट (राज्य पुनर्गठन आयोग प्रतिवेदन) पर बातचीत हुई और आज भी इस बिल (विधेयक) पर बातचीत हो रही है । मैं यह कहना चाहती हूं कि इस बिल के कुछ प्राविजन्स (उपबन्ध) ऐसे हैं जो कि बहुत रिएक्शनरी (प्रतिक्रियात्मक) हैं और बहुत कुछ देश को और हुकूमत (शासन) को पीछे ले जाने वाले हैं ।

मैं उन टेरिटरीज (प्रदेशों) के बारे में अर्ज करना चाहती हूं जो कि इस बिल में बनाई जा रही हैं और सेन्टर के अन्डर (केन्द्र के अन्तर्गत) में रहेंगी । मुनासिब तो यह होता कि जो टेरिटरीज पिछली दफा बनाई गई थीं जिन को पार्ट सी स्टेट्स (भाग 'ग' में के राज्य) कहते थे, उन को कुछ थोड़ी-सी पावर्स (शक्तियां) ऊपर उठने की दी जायें, मुनासिब यह होता कि यह सोचा जाता कि किस तरह से उन की पावर्स को बढ़ाया जा सकता है कि वह मुनासिब तौर पर काम कर सकें, और उनको बढ़ाया जाता । परन्तु मुझे ताज्जुब हुआ और एक शाक (धक्का) सा लगा इस बात से कि हम न सिर्फ यह कि वापस चले हैं बल्कि हम एक धक्का लगा रहे हैं उन एरियाज को जैसे कि ऐडवाइजर्स के जमाने में हुआ करता था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

मुझे याद है दिल्ली में एक ऐडवाइजरी कौंसिल (परामर्शदात्री परिषद्) हुआ करती थी जिसके सदस्य हमारी पार्लियामेंट के मेम्बर (संसद् के सदस्य) श्री कृष्ण नायर हुआ करते थे। एक दिन उनको मार-पीट कर हवालात में बन्द कर दिया गया था। वह ऐडवाइजरी कमेटी क्या कर सकती थी और क्या नहीं कर सकती थी, इस बात में मैं इस मौके पर नहीं जाना चाहती। मुझ को तो आज यह अर्ज करना है कि बहुत से सभासदों की बात-चीत से और यहां पर सभा में बहस के समय मैं ने इस चीज को महसूस किया कि बहुत कम लोगों का ध्यान उस ओर है। सब लोग अपनी अपनी स्टेट्स की मुसीबतों और कंट्रोवर्सीज (विवादों) की ओर ध्यान दिला रहे हैं, पार्ट सी स्टेट्स की तरफ उनका ध्यान नहीं है। और अगर कुछ ध्यान है भी तो मजाक में वह कहते हैं कि दिल्ली स्टेट नहीं रही तो बड़ा अच्छा हुआ मानो यह एक बड़ी हंसी की बात है। मालूम ऐसा होता है कि जब हम दिल्ली की बात करते हैं या और जगहों की बात करते हैं, तो हमारे इस सभा के सभासद यह समझते हैं कि शायद हम दिल्ली के मिनिस्टर्स (मंत्रियों) और सेन्टर के मिनिस्टर्स का मुकाबला करते हैं, या यह समझते हैं कि शायद एसेम्बली (विधान सभा) के मेम्बर्स यहां के सभासदों से मुकाबला करने का प्रयत्न करते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि यह बात सही नहीं है। दिल्ली की जनता क्या, आज सारे हिन्दुस्तान में कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां की जनता इस बात को अपनी खुशनसीबी न समझे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मंत्री) उस स्टेट के मसलों को हल करें, न आज कोई ऐसा होगा जो यह मानने को तैयार न हो कि हमारे होम मिनिस्टर (गृह-मंत्री) साहब अगर अपना काम काज छोड़ कर उसकी स्टेट का इन्तिजाम करने लगें तो वे बहुत अच्छा इन्तिजाम कर सकेंगे। तो दिल्ली या कोई छोटी स्टेट अपने यहां के मिनिस्टरों का और अपने यहां के सभासदों का यहां के मिनिस्टरों से और सभासदों से मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन साथ ही यह बात भी सोचने की है कि यह बात भी जरूरी नहीं है कि जो मेम्बर यहां पार्लियामेंट में आते हैं वे राज्यों के बैस्ट (सर्वोत्तम) आदमी आते हैं। हमने यह भी देखा है कि यहां ऐसे भी लोग आते हैं जिनसे कि राज्यों के लोग अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं या कोई सताने वाला होता है तो उसको यहां भेज दिया जाता है यह सोच कर कि यहां दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या ७५० है और इसमें आकर वह खो जायेगा। तो मुकाबला करने का तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन मैं दिल्ली की जनता का उत्तर प्रदेश या किसी और राज्य की जनता से मुकाबला करना चाहती हूं और कहना चाहती हूं कि दिल्ली की जनता की भी वैसी ही शिकायतें और मसले हैं जैसे कि दूसरे राज्यों के हैं। और राज्यों की जनता की तरह से दिल्ली की जनता को भी रोना और हंसना आता है। यही हाल और सी स्टेटस में भी है।

मैं देखती हूं कि जिन स्टेट्स में म्युनिसिपल कमेटीज हैं, कारपोरेशन (निगम) हैं और असेम्बलीज भी हैं, जहां पर कि वह दिन रात तरह-तरह के सवाल करते हैं, लेकिन फिर भी उन स्टेट्स के मेम्बर पार्लियामेंट भी यहां उन मामलों के बारे में बराबर प्रश्न करते हैं और उनको फिर भी सन्तोष नहीं होता। यद्यपि हमारे स्पीकर (अध्यक्ष) कहते हैं कि यह सवाल इर्रेलेवेंट (असंगत) हैं, ये सवाल स्टेट्स से सम्बन्ध रखते हैं, फिर भी यहां के सभासद अपनी-अपनी स्टेट्स के बारे में यहां सवाल करते हैं। इससे भी उनको सन्तोष नहीं होता और जब यहां पर बजट (आय-व्ययक) की या किसी और चीज की बहस होती है तो उसमें भी उन सवालों का जिक्र करते हैं। मैं अर्ज करना चाहती हूं कि पार्ट सी स्टेट्स और दूसरी स्टेट्स में क्या अन्तर है। कुछ साल पहले हमने पार्ट सी स्टेट्स को असेम्बलीज दीं लेकिन उनको बहुत कम पावर्स दीं। जरूरत इस बात की थी कि हम उन पावर्स को बढ़ाते और जो उनमें कमजोरी थी उसको दूर करते। मैं यह नहीं कहती कि यहां के सभासद हमारे मामलों को हल नहीं कर सकते लेकिन मेरा कहना यह है कि यहां के सभासदों को इतना अवकाश नहीं कि वे हमारी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दे सकें। यहां पर न सिर्फ सारे हिन्दुस्तान के मसले तै होते हैं बल्कि इंटरनैशनल

(अन्तर्राष्ट्रीय) मसले भी हल किये जाते हैं। इसलिये यह सम्भव नहीं है कि यहां के सदस्य या मंत्री इस बात पर ध्यान दे सकें कि दिल्ली की किसी गली या कूचे में किसी को क्या शिकायत है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप यहां की छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे सकते।

मैं फिर कहना चाहती हूं कि दिल्ली के मिनिस्टरों का यहां के मिनिटरों से मुकाबले का कोई सवाल नहीं है। लेकिन यहां के मिनिस्टरों के पास वक्त कहां है। अगर यह कहा जाये कि यहां के मिनिस्टर हमारी शिकायतों को देखेंगे तो जरूर हम इसका स्वागत करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हो सकता और मुझे डर है कि हमारा भी वही हाल हो जायेगा जो दूसरे सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरियाज (केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों) का है, जहां का काम अफसरों की मेहरबानी पर चलता है।

'कभी-कभी दिल्ली की भी कुछ बातें, जैसे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की या हैल्थ की यहां हमारे सामने आती हैं। अभी जोंडिस (पीलिया) के बारे में यहां जिक्र आया था। इन चीजों में यहां के सभासद दिलचस्पी लेते हैं। इसी तरह से आप देखें तो आपको और मुहकमों की शिकायतें भी दिखायी दे सकती हैं लेकिन मैं कहती हूं कि यहां किसी को इतना अवकाश ही नहीं है। आप दिल्ली पुलिस के रिकार्ड को देखें। यहां यह हाल है कि जो पिटता है और जो शिकायत करता है वह जेल में जाता है। पर किसी की तवज्जह इस तरफ नहीं जाती। अभी आपने उस दिन देखा कि जब यहां पर मारपीट हुई और हमारे यहां के सभासद एक ने यहां आकर कहा कि आठ आदमी मारे गये। लेकिन कोई आदमी नहीं मारा गया था। इससे स्पष्ट है कि उन सभासद को इतनी दिल्चस्पी नहीं थी कि वहां जाकर इस बात की तहकीकात करते और मालूम करते कि वास्तविकता क्या है। उन सभासद की यहां पर इस गलत खबर के लिये हंसी की गयी। मैं कहती हूं कि यह हंसी करने की बात नहीं थी। मैं पूछती हूं कि यहां कितने सभासद हैं जिन्होंने कि बाद में जाकर इस चीज की जांच की हो यह क्या चीज थी और जो कि आठ आदमी नहीं मारे गये, पर आखिर शिकायत क्या थी। किसी ने उस मसले को स्टडी (अध्ययन) करने की कोशिश नहीं की। तो मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहती हूं कि यहां मुकाबले का कोई सवाल नहीं है, बात यह है कि यहां के सभासदों और मिनिस्टरों को दिल्ली की शिकायतों में जाने का अवकाश ही नहीं है। इसीलिये मैं चाहती हूं कि हिन्दुस्तान में सात-सात सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरियाज न हों जहां कि आफिसर्स की हुकूमत हो जैसी कि पुराने जमाने में हुआ करती थी।

दूसरी बात मुझे यह अर्ज करनी है कि दिल्ली के बारे में यह डिमांड (मांग) कोई नई नहीं है। सन् १९१८ से इंडियन नेशनल कांग्रेस (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) की यह डिमांड चली आ रही है कि दिल्ली में इस किस्म की हुकूमत होनी चाहिये कि जिसमें दिल्ली की जनता को अधिकार हो। उसके बाद राउंड टेबिल कानफरेंस (गोल मेज सम्मेलन) में भी किसी वक्त इस चीज की मांग की गयी। सन् १९४७ में पट्टाभि कमेटी ने भी इसकी सिफारिश की। उसके बाद हमने दिल्ली को कुछ अधिकार दिये।

दूसरी चीज मुझे यह अर्ज करनी है कि एक वक्त यह आवाज उठी कि दिल्ली बढ़नी चाहिये। एक महा दिल्ली होनी चाहिये। लेकिन वह नाम तो ऐसा था जिससे लोग चौंक जाते हैं। पर मैं चाहती हूं सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) इस बात पर गौर करे कि जिस वक्त दिल्ली का प्राविंस (प्रांत) बनाया गया था उस वक्त दिल्ली की आबादी २ लाख ३२ हजार के करीब थी।

आज दिल्ली की आबादी २० लाख के करीब है। मुझ को तो ताज्जुब हुआ और कुछ हंसी भी आई कि एस० आर० सी० की रिपोर्ट में देश की किस्मत का फैसला करने वालों ने जब यह कहा कि अगर दिल्ली के साथ नजदीक के कुछ गांव रखने जरूरी समझे जायें तो वह रखे जायें और बगैर जरूरत के वापिस कर दिये जायें। जब दिल्ली बनी थी उस वक्त यहां की आबादी केवल २ लाख

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

थी जब कि आज यह बढ़कर २० लाख हो गई है और इस हालत में भी उनका ख्याल है कि जो आस-पास के गांव जरूरी न हों, वह दिल्ली से बाहर कर दिये जायें। मुझे तो उन महानुभावों के ऐसा कहने पर ताज्जुब मालूम होता है और मैं समझती हूं कि उन्होंने इस समस्या पर काफी गौर नहीं किया और बड़ी लापरवाही से रिपोर्ट पेश कर दी है। उन्होंने यहां के मसलों को समझने की कोशिश नहीं की है और अगर वह ठीक से समझे होते तो वे यह कहते कि जितने जरूरी हों, उतने और ले लिये जायें और दिल्ली में ऐड (जोड़) कर दिये जायें। और यह सवाल नहीं उठाते कि जितने जरूरी न हों, उतने वापिस कर दिये जायें।

आज हमारे सामने दिल्ली को बड़ा बनाने का सवाल नहीं है। आज मालूम होता है कि दिल्ली छोटी हो गई है। दिल्ली हम बड़ी बनाने नहीं जा रहे हैं बल्कि हकीकत यह है कि दिल्ली २० लाख निवासियों को बसाने के लिये छोटी पड़ गयी है और आज की जरूरत के लिहाज से उसको एक्सपैंड (विस्तार) करने के लिये और उसकी तरक्की और डेवलपमेंट (विकास) करने के लिये जितना ऐरिया उसमें और मिलाना जरूरी मालूम पड़े, उसके मिलाने के लिये हमको गौर करना चाहिये।

दिल्ली के मौजूदा प्रजातंत्री ढांचे को कायम रखने के विरुद्ध यह कहा गया है कि दिल्ली एक छोटी-सी स्टेट है और वहां का डेमोक्रेटिक (प्रजातांत्रिक) सेट अप (व्यवस्था) बहुत महंगा पड़ता है और यह भी कहा गया कि उन चार स्टेट्स को जिनको कि सेंटर को ज्यादा से ज्यादा रुपया की मदद देनी पड़ती है और वह मदद १० रुपये पर कैपिटा (प्रति व्यक्ति) पड़ती है, और दिल्ली उनमें से एक स्टेट है जिसको कि यह मदद सेंटर से मिलती है। मैं फीगर्स (आंकड़ों) के मामले में अपने को बहुत एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) तो नहीं मानती हूं लेकिन डरते-डरते थोड़ा कोट करना चाहती हूं और बतलाना चाहती हूं कि १० रुपये पर कैपिटा की मदद दिल्ली स्टेट के बारे में ठीक नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि सन् १९५२-५३ में दिल्ली को ५ लाख, २५ हजार रुपये की ग्रांट (अनुदान) दी गई, १९५३-५४ में १४ लाख ४० हजार की मदद की गई और यह जो मदद है, यह ५ आने पर कैपिटा पर ईयर (प्रति वर्ष) से भी कम मालूम पड़ती है। मैं समझती हूं किस तरह 'ए' और 'बी' क्लास की स्टेट्स को इनकमटैक्स (आयकर) और एक्साइज ड्यूटी (चुंगी शुल्क) मिलती है अगर दिल्ली को उसी तरीके से मिल जाया करे तो दिल्ली की इनकम (आय) इतनी होती है कि वह अच्छी तरह से अपना इंतजाम कर सकती है। दिल्ली के खारी बावली के बाजार में इतना बिजनेस (व्यापार) होता है कि बहुत बड़ी-बड़ी स्टेट्स से वह मुकाबला कर सकती है और अगर दिल्ली को कहीं वह हिस्सा दिया जाय जिस तरीके का कि इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी दूसरी 'ए०' और 'बी०' स्टेट्स को दी जाती हैं तो वह मजे से खुद अपना काम चला सकती है।

एक बात यह भी कही गई कि छोटी-सी स्टेट है जहां इतने बड़े-बड़े लोग दिल्ली में रहते हैं, कभी किसी की तस्वीर नहीं आती है, फोटो नहीं आता ह फिर दिल्ली के मिनिस्टर्स किस गिनती में आते हैं तो उसके बारे में मुझे कुछ खास नहीं कहना है वैसे मैं यह बतला दूं कि करीब-करीब रोज दिल्ली के मिनिस्टर्स का नाम आता है और उनके कार्यों का जिक्र रहता है।

यह कहा जाता है कि इतनी जरा सी दिल्ली के लिये इतनी बड़ी असेम्बली हो और जहां कि मिनिस्टर्स लोग १, १ हजार रुपये की तनख्वाह लें, ठीक नहीं है और दिल्ली के लोगों को डेमोक्रेसी बहुत महंगी पड़ती है। मैं अदब से अर्ज करना चाहती हूं कि मुझ को पार्लियामेंट का मुकाबला असेम्बली से नहीं करना है लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि देश के लिये हमने पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी (संसदीय प्रजातंत्र) को माना है और यहां सेंटर में हमने दो हाउस (सदन) बनाये हैं और मेम्बरों के लिये काफी हमने भत्ता भी निश्चित किया और एक दफा हाउस के मिलने पर यहां पर काफी पैसा खर्च होता है और उसके अलावा सेलेक्ट कमेटीज की मीटिंग्स होती रहती हैं और मेम्बर्स उसमें भाग लेते

हैं और एक दिन की मीटिंग एटेंड करने के लिये, तीन-चार रोज का भत्ता लेते हैं। जाहिर बात है कि डेमोक्रेसी काफी महंगी पड़ती है लेकिन हमने जानबूझ कर पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को अपने देश के वास्ते चुना है और मैं समझती हूं कि मुझ को और हममें से ज्यादातर लोगों को ज्यादातर वक्त सेंट्रल हाल में काफी पी कर गुजारना होता है .....

एक माननीय सदस्य : काफी मुफ्त नहीं मिलती है।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : मुझे अर्ज करना है कि अगर हम कोशिश भी करें कि जितने टोपिक्स (विषयों) में हमारी दिलचस्पी है, उनके बारे में अगर हम अपने विचारों को रखना चाहें तो हम नहीं रख सकते हैं, इतना वक्त ही नहीं मिल सकता है। पांच साल में अगर हर एक मेम्बर कोशिश कर कि मैं इतने सब्जैक्ट्स (विषयों) पर बोलूं और अपने विचार रखूं तो नहीं रख सकता है। यह चीज बिल्कुल साफ है कि डेमोक्रेसी काफी महंगी होती है लेकिन हम डिक्टेटरशिप (तानाशाही) के तरीके को गलत समझते हैं। यह जो आप दिल्ली को सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड करने की बात करते हैं तो वह तो ब्यूरोक्रेसी (नौकरशाही) के जरिये रूल करना हुआ और मैं अदब से अर्ज करूंगी कि अगर हमने ऐसा महसूस किया हो कि डेमोक्रेसी हमारे यहां फेल (असफल) हो गयी है तो अकेले दिल्ली में ही क्यों आप और स्टेट्स में भी इसको लागू कर सकते हैं और उन पर भी इस डेमोक्रेसी के खर्च के भार को क्यों डालते हैं? उत्तर प्रदेश में आटे पर टैक्स लिया गया और हम देख रहे हैं कई जगहों पर कांग्रेस निरंतर हारती जा रही है और आपस में लड़ाई-झगड़े भी होते हैं, दिल्ली में भी होते थे और आज बाहर भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहां डेमोक्रेसी के सिस्टम (प्रणाली) को खत्म कर दिया जाय। मैं समझती हूं कि इस बिल में कोई प्रेपोर्शन (अनुपात) नहीं है क्योंकि इसके मुताबिक छोटी टेरिटेरी नहीं रह सकती है लेकिन यू० पी० जितनी बड़ी टेरिटेरी रह सकती है। इसके अलावा मेरा निवेदन है कि इस तरह के मामलों में आगे बढ़ने से पहले जनता की राय लेनी चाहिये और जनता को अपनी स्वतन्त्र राय को प्रकट करने का अवसर देना चाहिये और मैं समझती हूं कि इस तरह का डेमोक्रेटिक राइट (प्रजातांत्रिक अधिकार) जो दूसरी स्टेट्स को दिया गया है वह दिल्ली की जनता को भी प्राप्त होना चाहिये था। अगर हमारी केन्द्रीय सरकार का यह ख्याल है कि डेमोक्रेसी यहां फेल हो रही है तो मैं कहूंगी कि उसको बाकी हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों से भी हटा देना चाहिये और मैं समझती हूं कि यहां केन्द्र में ऐसे बड़े-बड़े वज़ीर हैं जो कि बहुत योग्य हैं और उन पर ही सारे देश भर पर हुकूमत करने का भार सौंप दिया जाय।

श्री नंद लाल शर्मा :

नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाम।
देव्यै चतस्यै जनकात्मजायै।
नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो
नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः॥

सभानेत्री महोदया, इस राज्य पुनःसंघठन विधेयक में एक नया अर्थ प्रतिपादक शब्द राज्य पुनर्विघठन विधेयक भी देखने में आ रहा है।

अभी मुझ से पहले एक माननीय सदस्या दिल्ली के लिये जो उनके मन में भाव थे उनको रखते हुए वे रो पड़ीं और मैं समझता हूं कि दिल्ली के बारे में जो केन्द्रीय सरकार कदम उठाने जा रही है उससे उनके दिल को बहुत सदमा पहुंचा है। मैं यह समझता हूं कि जिन प्रदेशों से वक्ता अभी बोले नहीं हैं, चाहे वह विन्ध्य प्रदेश के हों, मध्य भारत के हों, चाहे वे बम्बई के क्षेत्र के हों, उनके दिलों में वेदना छिपी पड़ी है क्योंकि उनका घर बिगड़ रहा है, अलबत्ता जिनका कि घर बन रहा है उनको

[श्री नंद लाल शर्मा]

प्रसन्नता है। जिनका कि घर बिगड़ रहा हो, उनको अपने घर के टूटने का दर्द न हो, ऐसा हम नहीं कह सकते। वैसे, तो सभानेत्री महोदया, सारा हिन्दुस्तान मेरा है और "वसुधैव कुटम्बकम्" सारी पृथ्वी हमारी है, अन्ततोगत्वा सारा ब्रह्मांड हमारा है और अनगनित कोटि ब्रह्मांड मेरे हैं, लेकिन यह कह कर अपने तत्व को खो देना यह भी मूर्खता का लक्षण है, इसलिये अपने घर को भी पहचानना चाहिये, केवल कास्मोपोलिटियन (सर्वदेशीय) बनने के जोम में अपनी लिमिट्स (सीमायें) को खो देना, यह हमारे भारतीय नेताओं में एक बीमारी आ गई है और उसका फल यह भोग रहे हैं जैसा कि हमारे गृह-मंत्री महोदय ने आज संकेत दिया कि शत्रु बाहर से जिहाद की आवाज लगा रहा है और आवश्यकता इस बात की है कि हमको संगठित हो कर राष्ट्र के निर्माण के लिये आगे बढ़ना चाहिये। मैं उस धारणा का स्वागत करता हूं और भारत की सुरक्षा और उसकी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये यदि भारत का एक-एक बच्चा भी बलिदान कर दिया जाय तो मुझे उसके लिये जरा भी कष्ट नहीं होगा और अगर हम लोगों का जीवन अपने राष्ट्र की रक्षा के लिये काम नहीं आयेगा तो फिर किस काम आयेगा।

मुझे एक बात का खेद है कि हमारे प्रधान मंत्री महोदय के मुख से काश्मीर के उस भाग के लिये जिस के कि ऊपर शत्रु ने अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है और जिस काश्मीर के भाग को और एक-एक चप्पा भूमि में से शत्रु को खदेड़ कर स्वतन्त्र कराने के लिये प्रतिज्ञाबद्ध थे, उसके सम्बन्ध में आज बिना पार्लियामेंट से परामर्श किये हुए, उन्होंने उस भाग को शत्रु के हाथ में सरंडर (समर्पण) कर देने की बात कही है और जिसका कि फल उनको यह भुगतना पड़ रहा है कि वह शत्रु उनका और विरोध करता चला जा रहा है। चाहिये तो यह था कि यदि हम राज्य पुनर्गठन करते हैं तो हम पहले देश का पुनर्गठन करें, राष्ट्र का पुनर्गठन करें। राष्ट्र का पुनर्गठन करने के लिये उन सारी विघटित शक्तियों का जो कि देश और राष्ट्र को कमजोर बनाने वाली हैं पहले हटावें। लेकिन आज हम उसके बदले उनको बना कर और पनपाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

मैं पंजाब की ओर जरा ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने प्रातःकाल भी **'नो'** शब्द कहा था। लेकिन उस 'नो' में ऐसी भावना नहीं थी कि मुझे गृह-मंत्री महोदय की भावनाओं से मतभेद है। बल्कि सारे के सारे बिल के बारे में जो कि आप ने सदन में रखा है, उसके दृष्टिकोण में भेद है। केवल एक नियम बांधकर के किसी भी प्रकार से हम साम्प्रदायिक शक्तियों को पनपने नहीं देंगे, आज कांग्रेस दल ने कुछ साम्प्रदायिक संस्थाओं के साथ मिल कर के पंजाब के ७५ फी सदी नहीं तो कम से कम ७२ या ७३ प्रतिशत व्यक्तियों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध एक भावना लादने का प्रयत्न किया है। इसको स्वयं हमारे गृह-मंत्री अनुभव करते हैं और मैं भी अनुभव करता हूं कि जो एक मात्र दल महा पंजाब की मांग करता था उनको हम ने कांफिडेन्स (विश्वास) में नहीं लिया, उनसे किसी प्रकार का विचार-विमर्श नहीं किया गया, उनसे कोई बातचीत नहीं की गई। मेरा महा पंजाब दल के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु मैं कहूंगा कि मेरा कहना उस जनता के लिये है जिसने हिन्दी भाषा को अपनी भाषा बनाया है और जिस जनता ने हिन्दी भाषा का राष्ट्र भाषा के रूप में सम्मान बढ़ाया। उस जनता के ऊपर, जिसने जीवन भर में कभी गुरुमुखी लिखी नहीं, जबर्दस्ती गुरुमुखी अक्षरों के लादने का प्रयत्न किया जा रहा है। यद्यपि इस विधेयक के अन्दर वह अंश नहीं है, लेकिन जोन के बारे में पंजाब के जो विभाग किये जाने वाले हैं यदि उनका रूप आपके सामने या प्रवर समिति के सामने उपस्थित हो तो मैं निवेदन करूंगा कि आप और वह इस ओर ध्यान दें। पंजाब का बंटवारा और आगे नहीं होना चाहिये, पंजाब और जोन्स में नहीं बांटना चाहिये। वहां पंजाबी भाषा को अवश्य उन्नत बनाया जाय, पंजाबी भाषा को पूर्ण सुरक्षा हो इसकी व्यवस्था होनी चाहिये, परन्तु साथ में उन लोगों के ऊपर गुरुमुखी लिपि न लादी जाय जो स्वयं उसको अपनी लिपि नहीं मानते।

साथ ही साथ मुझे हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में दो शब्द कहने हैं। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्रवाई को देखते हुए मुझे कितने ही सदस्यों द्वारा ऐसे संशोधन मिले जिन में कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश को उत्तर प्रदेश में मिला देना चाहिये। देहरादून, टेहरी गढ़वाल, और हिमाचल प्रदेश को एक कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा खतरनाक मूव है। हिमाचल प्रदेश शिमला से लेकर कुल्लू वैली तक, सारे का सारा क्षेत्र पंजाब का अंग है और पंजाब के साथ मिलता है। उसकी भौगोलिक स्थिति भी उसको पंजाब के साथ ही रखती है, इसलिये उसको कभी भी पंजाब से विलग न किया जाय और उसका पंजाब में मिलना आवश्यक है।

राजस्थान के सम्बन्ध में मुझे इस विधेयक का स्वागत करना है। मैं अपने अजमेर के बन्धुओं का स्वागत करता हूं क्योंकि अजमेर के बन्धुओं ने भी इसका स्वागत किया।

श्री बी० डी० पांडे (जिला अल्मोड़ा—उत्तर-पूर्व) : कुछ तो अक्ल आई।

श्री नंद लाल शर्मा : म आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने यह स्वीकार तो किया कुछ अक्ल मुझे आई और मैं समझता हूं कि आप के मन में भी यह भावना कुछ है कि विरोधी को भी कुछ अक्ल होनी चाहिये। राजस्थान में मन्दसौर का एक छोटा-सा इलाका मिलाया गया है, बाकी का सारे का सारा हिस्सा वहां से हटा दिया गया हालांकि मन्दसौर क्षेत्र के निवासी श्री त्रिवेदी स्वयं कहते रहे कि वह सारे का सारा राजस्थान से मिला ही दिया गया है। मुझे मध्य भारत के विघटन का खेद है। मैं अपने सामने माननीय श्री काटजू को देखता हूं, उनको अधिक खेद होना चाहिये था किन्तु शायद उन्होंने जनता की ओर से कुछ कहना अभी उचित नहीं समझा। और अगर उचित समझा भी हो तो हो सकता है कि वह अनुशासन के कारण यहां कुछ न कह सकते हों। मैं मध्य भारत क्षेत्र में घूमा हूं और वहां की जनता का असन्तोष मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है तथा अपने नेत्रों से देखा है। इसी प्रकार मैं विन्ध्य प्रदेश में भी घूमा हूं, वहां की जनता का असन्तोष भी मैंने देखा और हमारे गृह मंत्री महोदय को भी उस का अच्छी तरह अनुभव है। उसका प्रदर्शन भी मैंने एक भयंकर रूप में देखा है। बम्बई के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका परन्तु मेरा स्पष्ट कहना है कि सिवा इस के कि महाराष्ट्र के निवासी गरीब हैं, उनके पास अधिक धन नहीं है, वह अधिक प्रलोभन नहीं दे सकते हैं और कोई कारण नहीं है कि बम्बई क्षेत्र से उस को वंचित रखा जाय। इसके सम्बन्ध में तर्क दिये जा चुके हैं, और इतना समय नहीं है कि उनको और बढ़ा कर कहूं, लेकिन मेरा यह विश्वास है कि बम्बई किसी न किसी समय, जब तक मराठे वहां रहते हैं, और थोड़ी संख्या में नहीं रहते हैं, अधिक से अधिक संख्या में रहते हैं, महाराष्ट्र में मिल कर रहेगा। कोई बम्बई को उस से छीन नहीं सकता। आपको उसे महाराष्ट्र में मिलाना ही पड़ेगा।

एक-दो शब्द मैं आपकी जोनल कौंसिल्स (प्रादेशिक परिषदों) अथवा जोनल सिस्टम (प्रादेशिक प्रणाली) के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं और वह यह है कि जोनल कौंसिल को जो जगह दी जा रही है उसमें मुझे पार्लियामेंट या केन्द्र का कोई सम्बन्ध उससे नहीं दीखता। एक जगह पर केवल धारा २० के दूसरे भाग में दिया हुआ है :

> "उस कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, जिसमें सचिव के अतिरिक्त परिषद् के कर्मचारी वर्ग के सदस्यों को या उनके सम्बन्ध में देय वेतन तथा भत्ते सम्मिलित हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कार्य के लिये संसद् द्वारा उपबन्धित धन में से किया जायेगा।"

इसके अतिरिक्त कहीं भी नहीं हैं कि उसकी कोई भी प्रोसीडिंग्स (कार्यवाही का विवरण) पार्लियामेंट के सामने आयेगी या नहीं, या पार्लियामेंट का उससे क्या सम्बन्ध होगा, या पार्लियामेंट का कोई सदस्य उसमें होगा या नहीं। अर्थात् जोनल कौंसल में कहीं पर भी डिमाक्रेसी का कोई सम्बन्ध

[श्री नंद लाल शर्मा]

नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जबकि आपकी बनाई हुई डिमाक्रेसी और प्रजातंत्र के सिद्धांतों पर बनी हुई विधान सभायें और ऊपर बनने वाली यह कौंसिल और वह कौंसिल जिनमें डिमाक्रेसी का नाम तक नहीं, वह किस प्रकार से एक दूसरे के साथ मेल खा सकेंगी और किस प्रकार की गवर्नमेंट खड़ी करेंगी। जैसा मेरे मित्र श्री देशपांडे जी ने कहा, हो सकता है यह छोटी-छोटी गवर्नमेंट्स फिर खड़ी कर दें। इसलिये मेरा फिर निवेदन है कि प्रवर समिति और हमारे मंत्री महोदय इस बात पर भी ध्यान दें।

इतना निवेदन अन्त में मैं अवश्य करूंगा कि जम्मू और काश्मीर की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाय। न केवल जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में बल्कि बंगाल, आसाम और उड़ीसा के सम्बन्ध में भी यह विधेयक सर्वथा मूक-सा ही है और उनके अन्तर्गत जो क्षेत्र हैं उनके बटवारे के सम्बन्ध में भी यह विधेयक बहुत अंशों में मूक ही है। हो सकता है कि हमारे गृह-मंत्री का पुनः उसके सम्बन्ध में संशोधन लाने का प्रोग्राम हो, परन्तु चाहिये तो यह था कि इस विधेयक को जितना पूर्ण बनाया जा सके, उतना बनाया जाय।

†**श्री ए० के० दत्त** (कलकत्ता—दक्षिण—पश्चिम) : राज्य पुनर्गठन विधेयक के प्रारूप में, मंत्रिमंडल द्वारा संशोधित रूप में राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझावों को क्रियान्वित करने का कोई उपबन्ध नहीं है। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल और बिहार के प्रस्तावित विलय को ध्यान में रखते हुए, इस विधेयक में इन दो राज्यों के बीच प्रादेशिक समायोजन करने के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। मैं इस बात पर सहमत नहीं हूं। चाहे विलय हो या न हो, इन दो राज्यों के क्षेत्रों का सीमांकन करना आवश्यक है। इसलिये आयोग के सुझाव को मंत्रिमंडल द्वारा शोधत रूप में क्रियान्वित करना आवश्यक होगा। यदि ऐसा न किया गया, तो हमारे लिये बंगाल और बिहार के विलय का समर्थन करना और लोगों को यह विश्वास दिलाना कि यह विलय उपयोगी है, कठिन होगा।

विलय का प्रस्ताव दोनों राज्यों के लिये लाभप्रद है, किन्तु जब लोगों ने देखा कि विधेयक में बिहार से पश्चिम बंगाल को भूमि हस्तांतरित करने का उपबन्ध नहीं है, जिसके लिये आयोग और मंत्रिमंडल ने सिफारिश की है, तो उन्हें बहुत निराशा हुई और उन्होंने विलय के प्रस्ताव पर भी विचार करने से इन्कार कर दिया है। मैं गृह-कार्य मंत्री से अपील करता हूं कि वह आयोग के सुझाव को, मंत्रिमडल द्वारा संशोधित रूप में क्रियान्वित करके शान्ति का वातावरण पैदा करे, ताकि हम लोगों को विश्वास दिला सकें, कि विलय को स्वीकार करना दोनों राज्यों के लिये लाभप्रद होगा।

†**श्री पोकर साहेब** (मलयपुरम) : सब से पहले मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अपने जिले अर्थात् मलाबार की ओर दिलाना चाहता हूं। वर्तमान विधेयक के अन्तर्गत, मलाबार १ अक्तूबर से मद्रास से पृथक् होकर त्रावनकोर-कोचीन के साथ नये केरल राज्य का भाग बनेगा। विधेयक में यह उपबन्ध है कि वर्तमान मद्रास विधान मंडल में मलाबार जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, त्रावनकोर-कोचीन राज्य में सम्मिलित होकर, केरल राज्य विधान मंडल के सदस्य बन जायेंगे।

किन्तु प्रारूप विधेयक के परिचालित किये जाने के बाद, त्रावनकोर-कोचीन राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति ने संभाल लिया है और विधान सभा विघटित कर दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि १ अक्तूबर से मलाबार का प्रशासनिक ढांचा क्या होगा ?

मैं चाहता हूं कि सरकार यह बात स्पष्ट करे कि मलाबार की स्थिति क्या होगी ? यदि यह विचार है कि मलाबार त्रावनकोर-कोचीन राज्य के साथ राष्ट्रपति के शासन के अधीन आ जायेगा, तो मैं इसे

†मूल अंग्रेजी में

उचित नहीं समझता। दूसरा विकल्प यह है कि मलाबार वर्तमान मद्रास राज्य में रहे और इसे केरल में सम्मिलित करने की तिथि और आगे बढ़ा दी जाये। ऐसी अवस्था में मद्रास सरकार, इसके प्रति अधिक अन्यायपूर्ण व्यवहार करेगी और मद्रास सरकार को इस अस्थायी अवधि के लिये इसके प्रति उचित व्यवहार करने के लिये कहना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

मुझे विधेयक के एक-दो और पहलुओं की ओर निर्देश करना है। गुडालूर के बारे में आयोग ने कुछ नहीं कहा है। इस क्षेत्र की बहु-संख्या ने यह अभ्यावेदन किया था कि इसे केरल में सम्मिलित किया जाये किन्तु आयोग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा निवेदन है कि इस विधेयक में गुडालूर को केरल राज्य में सम्मिलित किया जाये। यदि त्रावनकोर-कोचीन के दक्षिणी जिलों में जनमत गणना की जाय, तो मालूम होगा कि वहां के लोग केरल में रहने के लिये उत्सुक हैं।

मेरी दूसरी बात लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीन द्वीपों के बारे में है। यहां के लोगों को शिक्षा, चिकित्सा आदि की कोई सुविधायें प्राप्त नहीं हैं। संविधान के अनुसार उन्हें अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त है। अब उन्हें इस अधिकार से वंचित करके उन्हें सीधे केन्द्र के अधीन लाया जा रहा है। यह उनके प्रति न्याय नहीं होगा। निस्सन्देह यदि उनका प्रशासन केन्द्र द्वारा अधिक अच्छा हो, तो मुझे बहुत हर्ष होगा किन्तु उन्हें वर्तमान विशेषाधिकारों से वंचित करना घोर अन्याय है।

उच्च न्यायालयों के बारे में मेरा निवेदन है, कि यदि प्रत्येक छोटे राज्य के लिये अलग उच्च न्यायालय बनाया गया, तो उनकी प्रतिष्ठा उतनी नहीं होगी जितनी कि वर्तमान उच्च न्यायालयों की है। इस विधेयक के अन्तर्गत, केरल के उच्च न्यायालय का दर्जा कम होगा। संस्पर्शी राज्यों की एकता और प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि केरल और मद्रास राज्यों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय हो। मेरे विचार में त्रावनकोर-कोचीन राज्य को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रादेशिक परिषदों के प्रयोग का मैं स्वागत करता हूं किन्तु हमें यह व्यवस्था भी करनी चाहिये कि उन राज्यों में विधान मंडलों के चुने हुए प्रतिनिधि भी हों।

श्री हेम राज (कांगड़ा) : सभानेत्री महोदया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

जिस समय स्टेट्स रिआरगेनाइजेशन कमीशन (राज्य पुनर्गठन आयोग) की रिपोर्ट देश में आयी इसमें शक नहीं कि उस समय देश का वायुमंडल बहुत उत्तेजित हुआ और देश में बहुत जोश पैदा हुआ और उसकी वजह से कुछ ऐसे वाकयात भी हो गये जिनकी वजह से हमारे देश को शर्मसार होना पड़ा और बाहर के देशों में भी हमें बदनामी का टीका लगने का खतरा पैदा हो गया। लेकिन हमारे देश के नेताओं ने पुरअमन तरीके से सारी उलझनों को सुलझाया जिसका नतीजा यह है कि आज वह जोश व खरोश नहीं रहा और देश के दुश्मन जो यह चाह रहे थे कि देश में एक जबरदस्त खाना-जंगी (गृह युद्ध) शुरू हो जायेगी उनको मायूसी उठानी पड़ी।

इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे गृह मंत्री पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त ने बहुत ही योग्यता से अपने कर्तव्य का पालन किया है और देश के लोगों में यह विश्वास जम गया है कि उनके रहते देशवासियों और इस देश का कोई अहित नहीं होगा। लोगों को उनमें इतना भरोसा है कि वे समझते हैं कि उनकी मौजूदगी में देश में किसी किस्म की खराबी भी नहीं हो सकती और उनकी योग्यता का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेचीदा से पेचीदा मसले का वह बड़ी

[श्री हेम राज]

खूबसूरती से हल कर लेते हैं । काश्मीर के मुताल्लिक उन्होंने जो स्टेटमेंट (वक्तव्य) निकाला उसका देश भर की जनता ने स्वागत किया और देशवासियों के दिलों में एक जोश की लहर उठ खड़ी हुई । यह जो स्टेट्स रिआरगेनाइजेशन का बिल उन्होंने हमारे सामने पेश किया है, वह उनके तदव्वुर वुर्दवारी और काबिलियत का नतीजा है । यह बिल जो उन्होंने आज पेश किया है यह जनता की जो आवाज है उसको सामने रख कर बनाया गया है और उसके साथ ही जो उसूल स्टेट्स रिआरगेनाइजेशन कमीशन ने अपने सामने रखे थे, उनको मद्देनजर रख कर एक बहुत ही अच्छा और माकूल हल इस पेचीदा मसले का उन्होंने देश के सामने पेश किया है ।

इस बिल में जो जोनल कौंसिलों की स्थापना का सुझाव है वह बहुत ही माकूल है और स्वागत योग्य चीज है । विशेषकर जैसा कि हमारे माननीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बतलाया था कि ऐसी स्टेट्स जो कि सरहद पर स्थित हों और जो कि १५०० मील से लम्बी हों वहां पर इस तरह की जोनल कौंसिल का होना बहुत ही मुनासिब है, जैसे पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा जम्मू और काश्मीर प्रदेशों की एक जोनल कौंसिल बनाना निहायत जरूरी है क्योंकि जो बार्डर स्टेट्स (सीमांत राज्य) हैं, वह लाजिमी तौर पर बहुत अच्छी हालत में और काफी मजबूत होनी चाहियें ।

जौनल कौंसिलों की स्थापना के साथ ही साथ हम इस हाउस में एक इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स बिल (अन्तः राज्य नदी विवाद विधेयक) और एक रिवर बोर्ड बिल (नदी बोर्ड विधेयक) ला रहे हैं जिसका कि ताल्लुक उन सारी स्टेट्स और इंडस बेसिन (सिन्धु घाटी) से पड़ेगा जहाँ कि यह तीनों चारों नदियां मसलन् सतलज, व्यास, रावी, और चेनाब होकर बहती है और फायदा पहुंचाती हैं, मैं चाहता हूं कि इस किस्म के मामलात भी जोंनल कौंसिल के सुपुर्द होने चाहियें और वे जो भी इनके सम्बन्ध में फैसला करेंगे, वह सारी चीजों की छान-बीन करने के बाद करेंगे, इसलिये उनका जो फैसला होगा वह माकूल होगा और सबको मान्य होने की आशा है ।

इस राज्य पुनर्गठन बिल के जरिये काफी धन की बचत होने वाली है और जो नई स्टेट्स बनने वाली हैं उनके वजूद में आने से पांच गवर्नर कम हो जायेंगे, दो लेफटिनेंट गवर्नर कम हो जायेंगे, तीन जुडिशयल कमिशनर्स हट जायेंगे और चार हाईकोर्टस एबालिश (समाप्त) हो जायेंगे । इसके अतिरिक्त राज्य प्रमुख का पद समाप्त करने के लिये जो जनता तीव्र आन्दोलन कर रही थी, उस राज्य प्रमुख के सिस्टम को भी आपने खत्म कर दिया है और इस तरह भी काफी धन की बचत की है । ६ पब्लिक सर्विस कमीशन (लोक सेवा आयोग) कम हो जायेंगे ।

मैं पंजाब की पेचीदा समस्या को सफलतापूर्वक और योग्यतापूर्वक सुलझाने के लिये आपको विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूं । पंजाब का मसला बहुत ही उलझन में पड़ा हुआ था और बार्डर स्टेट होने की वजह से पंजाब का सवाल काफी अहमियत रखता था और उसको जिस खूबसूरती के साथ हमारे होम मिनिस्टर साहब ने सुलझाया है, उसके लिये सारा देश उनका आभारी रहेगा । अभी हमारे रामराज्य परिषद् के एक भाई कह रहे थे कि पंजाब में इससे वायुमंडल खराब हो गया है, मैं कहता हूं कि यह बिलकुल गलत बात है । पंजाब में जितनी पार्टीज हैं, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, अकाली पार्टी और आर्य समाज आदि जितनी भी पार्टियां हैं, वे समझती हैं कि पंजाब की समस्या को ठीक तरीके से हल किया गया है और वह पंजाब के निवासियों और देश के हित में है । इसके साथ ही मैं यह भी समझता हूं कि इसके द्वारा जो दो हिस्सों में एक दूसरे के खिलाफ मतभेद चला आ रहा था, वह खत्म हो गया है और आज सारे पंजाब के लोगों में एक आपसी मेल मिलाप और भाईचारे का वातावरण पैदा हो गया है । हमारे ज्ञानी करतार सिंह जो कि अभी तक यह समझते थे कि यह मामला हल नहीं हो सकता और यह जुदा-जुदा होकर रहेंगे, वह इसको ठीक और माकूल हल कह रहे हैं, और आज फिजा यह

हो गई है कि मास्टर तारा सिंह जगह-जगह इस बात का प्रचार करते फिर रहे हैं कि सिक्ख और हिन्दू भाई-भाई हैं और दोनों को मिल कर पंजाब में रहना है और उनमें आपस में भाई-भाई का रिश्ता है और आज वे उनके दरमियान किसी किस्म की लड़ाई-झगड़े को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि यह आपकी काबलियत का ही नतीजा था कि आपने इस तरीके से पंजाब के पेचीदा मसले को हल कर दिया।

इसके साथ ही आपने अपनी तजवीजों में रीजनल कमेटीज (प्रादेशिक समितियां) सेट अप (स्थापित) करने की बात कही है और आपने उसका नाम पंजाब रीजनल कमेटीज रखा है, मैं चाहता हूं कि इसके मुताल्लिक ज्ञानी करतार सिंह ने पंजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल में जो अपने विचार प्रकट किये हैं, उनके अनुसार इनका नाम रीजनल डेवलपमेंट कमेटी रख देना चाहिये। इनके नाम ईस्टर्न और वेस्टर्न डेवलपमेंट कमेटी होना चाहिये। ज्ञानी करतार सिंह ने इसके मुताल्लिक यह कहा है :

> "यह सुझाव कि प्रादेशिक समितियों को प्रादेशिक परिषदें कहा जाये... मेरा निवेदन है कि इन समितियों के नाम से पृथकता की कोई भावना प्रकट नहीं होनी चाहिये। तथापि जब ये प्रादेशिक समितियां बनाई जायें, तो उन्हें प्रदेश का नाम सुझाने का अधिकार देना चाहिये। इस बीच में हमारे हिन्दू और सिक्ख भाई एक ऐसा उपयुक्त नाम ढूंढें जो सब को स्वीकार हो।"

यह बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि वे हिन्दुओं और सिक्खों के दरिमयान भ्रातृभाव पैदा कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि रीजनल डेवलपमेंट कमेटियों के पीछे यही भावना काम कर रही है कि हिन्दुओं और सिक्खों में मेल-मिलाप कायम किया जाय और जो कोई भी उनके बीच मतभेद विद्यमान हो, इनके जरिये मिटाया जाय और हिन्दुओं और सिक्खों में भाई-भाई का सा रिश्ता कायम हो जाय। लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं और वह जो पहाड़ी एरियाज हैं उनसे ताल्लुक रखती है। जो हमारी पहाड़ी एरियाज हैं जिनमें कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, पठानकोट तहसील है, होशियारपुर की मुकेरियां सब तहसील है, उन्ना और पेप्सू का कंडाघाट हैं, उनके जो भी मामलात हैं, चाहे खेती के, चाहे इरिगेशन (सिंचाई) के या जंगलात के, वह सब प्लेन (मैदानी क्षेत्र) के मामलात से मुख्तलिफ हैं। अगर आप हकीकी तौर पर हिल रीजन्स (पहाड़ी क्षेत्रों) को डेवेलप (विकसित) करना चाहते हैं, जैसा कि आपको चाहिये, पंजाब की जो लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली है, उसने भी कहा है कि वह हकीकी तौर पर हिली रीजन्स को डेवेलप करना चाहती है, तो आपको इसके लिये एक तीसरी रीजनल कमेटी कायम करनी चाहिये। हिल्स को डेवलप करने का यही एक वाजेह तरीका हो सकता है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस वास्ते मैं यह चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। जो हमारी पंजाब की विधान सभा के मेम्बरान उन इलाकों से हैं उन्होंने भी गृह-मंत्री महोदय को एक मेमोरेन्डम (ज्ञापन) दिया है। हमारे इलाके की जो पब्लिक है, उसकी भी यही डिमांड है। इसलिये मुझे उम्मीद है कि हमारे गृह मंत्री जी इस डिमांड पर लाजिमी तौर पर ध्यान देंगे और पंजाब के लिये एक तीसरी रीजनल कमेटी भी रखेंगे।

इसके अलावा मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप ने जो पहले बिल भेजा था हमारे यहां की विधान सभा को उसमें आपने लिखा था :

> "अन्त में हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिलाया जायेगा।"

[श्री हेम राज]

यानी किसी न किसी समय हिमाचल प्रदेश पंजाब के साथ शामिल हो जायेगा । हिमाचल प्रदेश की जनता में जो भय काम कर रहा है वह यह है कि अगर वह पंजाब के साथ शामिल हो गये तो जो उनके हुकूक हैं पंजाब के लोग गासिब हो जायेंगे और उनको हड़प कर जायेंगे । उनके दिलों के अन्दर आज यह डर काफी समाया हुआ है । लेकिन अगर पहाड़ी रीजन बना दी जाय तो उन लोगों का डर कम हो जायेगा और मैं नहीं समझता कि जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं वे बहुत दिनों तक अपने को पंजाब से अलग रखेंगे । जो तीसरी रीजनल कमेटी होगी उसमें वह शामिल हो जायेंगे । मैंने कई दफा उन भाइयों से बातचीत करने की कोशिश की है, उनका यह खयाल है कि तीसरी रीजनल कमेटी बन जाने पर वह उसमें शामिल हो जायेंगे तो कोई असर उनके हुकूक पर नहीं पड़ेगा ।

एक और चीज जो इस बिल के अन्दर रखी गई है वह यह है कि दो या तीन स्टेट्स के लिये एक हाईकोर्ट हो सकेगा । जहां तक पंजाब और पेप्सू के हाईकोर्ट्स का ताल्लुक है, वहां पर आपने यह चीज नहीं रखी कि जो पेप्सू हाईकोर्ट के जजेज होंगे उनको पंजाब के हाईकोर्ट में जज्ब कर लिया जायेगा । मैं चाहता हूं कि पेप्सू जो कि अब तक एक अलग स्टेट रही है, और जिसने इतनी कुर्बानी की है कि वह पंजाब में शामिल हो रही है तो उसके जजेज को मौका देना चाहिये कि वह पंजाब हाईकोर्ट के अन्दर जज्ब किये जा सकें । जैसे आप ने पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में एक प्राविजन (उपबन्ध) किया है धारा ११० में कि जो पेप्सू पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर होंगे वह पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर बन जायेंगे, इसी तरह से इस मामले में भी आप को करना चाहिये था । लेकिन आपने हाई कोर्ट्स के मामले में कोई इस किस्म का प्राविजन नहीं रखा है । मैं चाहता हूं कि इस तरह का प्राविजन इसमें अभी से कर दिया जाय ।

आपने जो जोनल कौंसिल रखी हैं उसमें यह प्राविजन किया जाय कि आल इंडिया सर्विस के कर्मचारी जोनल कौंसिल की स्टेट्स में कहीं पर भी जा सकेंगे ताकि हमारे दरमियान जो करप्शन (भ्रष्टाचार) आज चलता है या फेवरिटिज्म चलता है, वह खत्म हो सके । मैं समझता हूं कि आपके ऐसा करने से हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) में जो खराबियां आज पैदा हो गई हैं वह दूर हो जायेंगी ।

मैं अब एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं, और वह यह है कि पंजाबी रीजन में भाषा के सम्बन्ध में एक विषमता चलती रही है । इस हद तक तो दीगर बात हुई कि कोई भी लड़का जो दसवीं पास करेगा, उसको लाजिमी तौर पर दसवीं जमात में दो भाषाओं में इम्तहान देना पड़ेगा । एक पंजाबी में और दूसरा हिन्दी में । इस तरह से मैं समझता हूं कि पहले भाषा के सम्बन्ध में जो विषमता थी वह दूर हो जायेगी, लेकिन एक बात का झगड़ा जो हिन्दुओं के दरमियान चल रहा है और जिसकी वहज से पंजाबी रीजन में एक नाराजगी पाई जाती है वह यह है कि हर आदमी को मजबूर किया जाय कि अगर कोई पंजाबी रीजन में रहता है और वह हिन्दी जानते हुए हिन्दी में दर्खवास्त देना चाहता है किसी अदालत में, तो वह गुरुमुखी में दे । अगर उन को इस हद तक छूट दे दी जाय कि अदालतों में वह हिन्दी में दरख्वास्त देना चाहें तो उनको मजबूर न किया जायेगा कि वह गुरुमुखी में दें, तो मैं समझता हूं कि जो बहुत सारी विषमतायें हैं और हिन्दुओं के दिल में यह खयाल पैदा हो गया है कि उनके ऊपर कोई चीज ठूंसी जा रही है, वह खत्म हो जायेगा और प्रेम का वायुमंडल जो आज पैदा हो गया है, वह बढ़ता जायेगा । जितनी भी मुख्तलिफ पार्टियां हैं, सबने इसका समर्थन किया है ।

इन शब्दों के साथ जो बिल यहां पेश हुआ है उसके लिये मैं श्री पंत जी को मुबारकबाद देता हूं और इसको सपोर्ट करता हूं ।

†**श्री मैथ्यू** (कोट्टयम) : मेरे मित्र श्री वल्लाथरास ने पहले के एक प्रस्ताव—केरल और मद्रास राज्यों के विलय—की ओर निर्देश किया है । यद्यपि वर्तमान विधेयक में इसका कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी उन्होंने इस प्रस्ताव पर आपत्ति करना उचित समझा । मैं नहीं समझा कि उन्होंने आपत्ति किस आधार पर की है, क्योंकि यदि यह बड़ा राज्य बन भी जाये, तो केरल के लोगों की संख्या इसमें कम होगी और मद्रास राज्य के तामिल लोगों को जो कि बहुसंख्यक होंगे, कोई शंका नहीं होनी चाहिये । इस शंका को निराधार समझते हुये, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे विलय के स्पष्ट राजनैतिक और आर्थिक लाभ होंगे । श्री राजगोपालाचारी ने और मद्रास राज्य के वित्त मंत्री ने इस विलय के लाभों की ओर ध्यान दिलाया है और इसका समर्थन किया है । मैं भी उनके साथ आशा करता हूं कि भविष्य में इस प्रस्ताव पर पुनः विचार किया जायेगा ।

मेरे मित्र श्री वल्लाथरास ने देवीकुलम और पीरमेद्र के प्रश्न का भी उल्लेख किया है। मैं न समझा था कि इस मामले को अन्तिम रूप से निपटा दिया गया है । जैसा कि एक मित्र ने यहां कहा, दक्षिणी ताल्लुकों को हटा देना त्रावनकोर-कोचीन या केरल राज्य का पांव काट देने के बराबर है । यदि देवीकुलम और पीरमेद्र को उस राज्य से निकाल दिया जाये, तो यह उसका सिर काटने के बराबर होगा । तथापि इस समय ऐसा करने का कोई विचार नहीं है । इसलिये त्रावनकोर-कोचीन के दक्षिणी ताल्लुकों का प्रश्न फिर से उठाना ठीक नहीं होगा । जो बातें तय हो चुकी हैं और वाद-विवाद के बाद जो निर्णय कर लिये गये हैं, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिये । इसलिये वर्तमान स्थिति में, मैं विधेयक के प्रस्तावों को युक्तियुक्त समझते हुए, इसे संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : इस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं गृह-कार्य मंत्री और प्रधान मंत्री को उनकी राजनैतिक सूझबूझ और साहस पर बधाई देता हूं । उन्होंने राज्य पुनर्गठन की समस्या को बहुत सफलतापूर्वक सुलझाया है । प्रादेशिक निकाय बना कर उन्होंने राज्यों में पारस्परिक झगड़ों की संभावना को समाप्त कर दिया है । इन निकायों में सम्बन्धित राज्य विचार विनिमय के बाद अपने मतभेदों को दूर कर सकेंगे ।

आंध्र राज्य ने, तेलंगाना और आंध्र के झगड़ों के अन्तिम निर्णय की सराहना की है किन्तु उसने बेल्लारी जिले के तीन ताल्लुकों अर्थात् बेल्लारी, सिरुगप्पा और होसपेट के बारे में असंतोष प्रकट किया है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने इन तीन ताल्लुकों को आंध्र राज्य में सम्मिलित किये जाने की सिफारिश की है । यदि भाषावार प्रांतों के सिद्धांतों का अनुसरण किया जाये, तो यदि बेल्लारी आदि मैसूर को दिये जायें, तो कोलार आंध्र को मिलना चाहिये । इन परिस्थितियों में मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस मामले पर फिर से विचार किया जाये और बेल्लारी और अन्य दो ताल्लुक, अच्छे प्रशासन के हेतु और रायलासीमा के विकास के हेतु आंध्र राज्य को दिये जायें ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६]

पृष्ठ

कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत २६०७–०८

तैंतीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

नियम ९२ के प्रथम परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव २६०८–१७

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) ने प्रस्ताव किया कि प्रक्रिया नियम के नियम ९२ के प्रथम परन्तुक को, राज्य पुनर्गठन विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव पर लागू होने से निलम्बित किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संयुक्त समिति को विधेयक सौंपने का प्रस्ताव २६१७–५९

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) ने प्रस्ताव किया कि राज्य पुनर्गठन विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६ के लिये कार्यावलि—

संयुक्त समिति को राज्य पुनर्गठन विधेयक सौंपे जाने के प्रस्ताव पर और आगे विचार ।

M121LSD—190—3-12-57—GIPF